

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम



Hindi
الهندية
हिन्दी

लेखक

शैख मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

अनुवादक

ज़ाकिर हुसैन वरासतुल्लाह

सम्पादना

अब्दुल करीम अब्दुस्सलाम

محرمات استهان بها الناس

المؤلف
محمد صالح المنجد

ترجمة
ذاكر حسين وراثة الله

مراجعة
عبدالكريم عبدالسلام



Hindi
الهندية
हिंदी

© جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية المجاليات بالربوة، ١٤٤٢ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وراثة الله، ذاكر حسين

محرمات استهان بها الناس: اللغة الهندية . / ذاكر حسين وراثة الله. - الرياض، ١٤٤٢ هـ

١٢٨ ص، ١٤ سم × ٢١ سم

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٨٣٢٩-٦٩-٦

١- الحلال والحرام ٢- الوعظ والإرشاد أ. العنوان

١٤٤٢/٨٦٣٤ ديوبي ٢٥٩

رقم الإيداع: ١٤٤٢/٨٦٣٤

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٨٣٢٩-٦٩-٦



This book has been conceived, prepared and designed by the Osoul International Centre. All photos used in the book belong to the Osoul Centre. The Centre hereby permits all Sunni Muslims to reprint and publish the book in any method and format on condition that 1) acknowledgement of the Osoul Centre is clearly stated on all editions; and 2) no alteration or amendment of the text is introduced without reference to the Osoul Centre. In the case of reprinting this book, the Centre strongly recommends maintaining high quality.


+966 11 445 4900

+966 11 497 0126


P.O.BOX 29465 Riyadh 11457

osoul@rabwah.sa

www.osoulcenter.com



शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान (कृपालु)
निहायत रहम करने वाला (दयालु) है



विषय सूची

भूमिका	9
अल्लाह के साथ शिर्क करना	19
बद शुगूनी	29
गैरुल्लाह की कसम खाना	31
मुनाफिकों या फासिकों (वहमुखीयों या पापीयों) के साथ उनसे करीब होने के लिए अथवा उनको करीब करने लिए उठना-बैठना	34
नमाज़ में इत्तमीनान न रखना	35
नमाज़ में फुजूल काम तथा ज्यादा हरकत करना	37
जान-बूझकर मुक्तदी का अपने इमाम पर सबूकत ले जाना	38
पियाज़, लहसुन या कोई बदबू (कुवास) वाली चीज़ खाकर मस्जिद में आना	40
ज़िना (व्यभिचार)	42
लिवातत (समलिंगी व्यभिचार)	44
बीवी का बिना किसी शरई उड़े के शौहर के बिस्तर पर आने से इनकार करना	45
बीवी का बिना किसी शरई उड़े के अपने शौहर से तलाक तलब करना	46
ज़िहार	48
हेज़ (माहवारी) की हालत में हमियस्तरी (संभोग) करना	49
बीवी की सुरीन (मलाद्वार) में सहवास करना	50
बीवीयों के बीच इंसाफ (न्याय) न करना	52
परनारी के साथ निर्जनता (अज़नबी औरत के साथ तन्हाई में रहना)	53
अजनबी औरत से मुसाफ़ा करना	54
धर से निकलते समय औरत का खुशबू लगाना तथा सुंगंधी लगाकर मर्दों के पास से गुज़रना	56
औरत का महरम के बिना सफर करना	57
अम्बन (जान बूझकर) अजनबी औरत की ओर देखना	58
बैगैरती	60
बच्चे का अपने आपको अपने बाप के अलावा की ओर मंसूब करने में झूट का सहारा लेना तथा आदमी का अपने बच्चे का इंकार करना	60
सूदख्योरी	62
सामान का ऐब छिपाना और बेचते समय उसे न बताना	65
दलाती करना	66
जुमुआ की दूसरी अज़ान के बाद ख़रीद व फरोख़त (क्रय-विक्रय) करना	67
जुआ	68
चोरी	70
रिश्वत लेना तथा देना	72

जमीन ग्रस्व (अपहरण) करना	74
सिफारिश करने के कारण हृदिया कवूल करना	75
मजदूर से काम पूरा लेना मगर उसकी मजदूरी न अदा करना	77
अतीया (दान-प्रदान) में बच्चों के बीच अदल व इंसाफ (समता तथा न्याय) न करना	80
बगैर ज़खरत के लोगों से माँगना	82
अदा न करने की नियत से कर्ज़ लेना	83
हराम भक्षण (खाना)	85
शराब पीना चाहे एक कठूरा ही क्यों न हो	86
सोने चाँदी के बर्तन इस्तेमाल (प्रयोग) करना और उस में खाना पीना	89
झूटी गवाही	90
गाना-भजना (गीत-म्यूज़िक) सुनना	92
गीवत	94
दुगलङ्गोरी	95
बगैर इजाजत के दूसरों के घरों में झाँकना	97
तीसरे को छोड़कर दो आदमी का आपस में सरगोशी (कानाफूसी) करना	98
टख़ने के नीचे कपड़ा लटकाना	99
मर्दों के लिए किसी भी प्रकार के सोने का सामान इस्तेमाल करना	101
औरतों का छोटा (शॉर्ट), पतला तथा तंग (टाइट) कपड़ा पहनना	102
मर्द व औरत का अपने बाल में दूसरे इंसान का या इंसान के अलावा किसी और का बाल लगवाना	103
वेश-भूषा, बात-चीत तथा चाल-चलन में नारी-पुरुष का एक दूसरे की मुशाबहत (अनुरूपता) अधिक्तयार करना	104
बालों को काले रंग से रंगना	106
कपड़े, दीवार तथा कागज़ इत्यादि में प्राणी (ज़ी रुह) की तस्वीर उतारना	107
गढ़ करके झूटे ख्याब (सपना) बयान करना	109
कप्रों पर बैठना, उनको रौंदना तथा कब्रिस्तान में पेशाब-पाखाना करना	110
पेशाब से न बचना	112
चोरी-छिपे किसी की बात सुनना जबकि वह इसे नापसंद करता हो (जासूसी करना)	113
पड़ोसीयों के साथ बद सुलूकी (कुआचरण) करना	114
वसीयत में हक़दार का हक़ मारकर या बटाकर उसे नुक़सान पहुँचाना	116
नर्द (चौसर) का खेल	117
मोमिन तथा उस व्यक्ति को शाप (लानत) करना जो इसका मुस्तहिक न हो	118
नौहा करना (मैयत पर रोना पीटना)	119
चेहरे पर मारना और दाग़ लगाना	120
किसी शरई उज्ज़ के बिना तीन दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान से बात न करना (संबंध न रखना)	121
परिसमाप्ति (खातिमा)	124



भूमिका

प्रशंसा केवल अल्लाह के लिए है। हम उसकी तअरीफ़ करते हैं, उस से मदद तलब करते हैं, उस से माफी चाहते हैं और अपने नफ़सों (आत्माओं) की बुराईयों से तथा अपने करतूतों के अनिष्टों से उसकी पनाह माँगते हैं। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और वह जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मा‘बूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं। और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उसके बंदे तथा रसूल हैं।

अम्मा बा‘द (तत्पश्चात):

अल्लाह तअ़ाला ने जिन चीज़ों को फ़र्ज़ किया है उनको बर्बाद करना जायज़ नहीं है, जो सीमाएं निर्धारण (हदें मुकर्रर) कर दी है उनका उल्लंघन (तजाउज़) करना हराम है, और जिन चीज़ों को हराम किया है उनमें पतित होना नाजायज़ है। नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيَّاً، ثُمَّ تَلَّا هَذِهِ الْأُلْيَاءُ» ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ سَيِّئًا﴾ [مريم: ٦٤]. [رواه الحاكم: ٣٧٥/٢، وحسنه الألباني في غلية المرام: ١٤].

«अल्लाह ने अपनी किताब में जो हलाल किया वह हलाल है, तथा जो हराम किया वह हराम है, और जिस से ख़ामोशी अखिलयार किया वह कल्याण (आफ़ियत) है। अतः तुम अल्लाह की ओर से कल्याण को क़बूल करो, बेशक अल्लाह तअ़ाला भूलने वाला नहीं है, फिर आप ﷺ ने यह आयत पढ़ी जिसका अर्थ: “‘और तेरा रब भूलने वाला नहीं है।’» {सूरह मरयम: ٦٤} {इस हडीस को हाकिम ने रिवायत किया है: ٢/٣٧٥, और अल्बानी ने ग़ायतुल मराम पृष्ठ ٩٨ में इसे हसन कहा है।}

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

मुहर्रमात (हराम की गई चीज़ों) अल्लाह तअ़ाला की सीमाएं हैं:

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرِبُوهَا﴾ [البقرة: ١٨٧]

10

“यह अल्लाह की सीमाएं हैं, तुम इनके क़रीब भी न जाओ।” {अल्बकरा: ९८७}

अल्लाह तअ़ाला ने सीमा उल्लंघन करने वालों को धमकी देते हुए फ़रमाया:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَعْكِدَ حُدُودَهُ، يُدْخِلُهُ كَارَأَ خَلِيلًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [النساء: ١٤]

“और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल की अवज्ञा (नाफ़रमानी) करे और उसके (निर्धारित) सीमाओं का उल्लंघन करे उसे वह आग (नरक) में दाखिल करेगा, जिस में वह हमेशा हमेश (सदा सर्वदा) रहेगा, और उसके लिए है अपमानजनक शास्ति (रुसवाकुन अज़ाब)।” {अन्निसा: ٩٨}

हराम चीज़ों से दूर रहना तथा उनसे परहेज़ करना ज़खरी है। رَسُولُ اللَّهِ نَبَّأَ
ने फ़रमाया:

«مَا نَهِيتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمْرَكُمْ بِهِ فَافْعُلُوا مِنْهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ». [رواه مسلم: كتاب
الفضائل، حديث رقم: ١٢٠، ط. عبد الباقي.]

«मैं ने तुम्हें जिन चीज़ों से रोका उन से रुक जाओ, और जिनके करने का हुक्म दिया वह साध्य अनुसार करो।» {इस हडीस को इमाम मुस्लिम ने किताबुल फ़ज़ाइल में रिवायत किया है, हडीस नम्बर: ९३०}

लक्षित (देखा जाता) है कि कुछ ख़ाहिश की पैरवी करने वाले, कम्ज़ोर नफ़्स वाले तथा कम ज्ञान रखने वाले लोग जब हराम वस्तुओं के बारे में बार बार सुनते हैं, तो तंगी महसूस करते हैं और गुस्से से कहते हैं: हर चीज़ हराम है? तुम ने सारी चीज़ों को हराम कर दिया, हमारी ज़िन्दगी अजीरन बना दिया, जीवनयात्रा को दूधर कर दिया और हमारे दिलों को तंग कर दिया। “हराम! हराम!” इसके सिवाय तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, हालाँकि दीन आसान है, विषय प्रशस्त (वसीअू) है, और अल्लाह तअ़ाला माफ़ करने वाला तथा रहम करने वाला है।

हम उनकी इन बातों का जवाब देते हुए कहेंगे:

बेशक अल्लाह तआला जो चाहे आदेश करता है, उसके आदेश पर किसी को उंगली उठाने का अधिकार नहीं है, वह हिक्मत वाला है और हर चीज़ की खबर रखने वाला है। वह जो चाहे हलाल करता है और जो चाहे हराम करता है। हमारी बंदगी का तकाज़ा है कि हम अल्लाह के हुक्म से संतुष्ट रहें और उसको मान लें।

अल्लाह के आदेश ज्ञान तथा हिक्मत पर प्रतिष्ठित हैं, बेकार तथा खेल-तमाशा नहीं हैं। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَتَمَتْ لِكَمْتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلْمَتِهِ، وَهُوَ أَسَمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنعام: ١١٥]

“आपके रब के कलाम सच्चाई तथा इन्साफ में पूर्ण हो गये, उसके कलाम को कोई परिवर्तन करने वाला नहीं, और वह भली-भाँति सुनने वाला जानने वाला है।” {अल-अऩाम: ٩٩}

अल्लाह तआला ने हमारे लिए ऐसा नियम-नीति भी बयान कर दिया है जिस पर हलाल तथा हराम निर्भरित (का दारो मदार) है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الظَّبَابَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَابَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]

“वह उनके लिए पवित्र वस्तुओं को हलाल करता है तथा उन पर गंदी चीज़ों को हराम करता है।” {अल-आरफ़: ٩٥}

अतः पाक चीज़ें हलाल और नापाक चीज़ें हराम हैं। किसी चीज़ को हलाल तथा हराम करने का अधिकार केवल अल्लाह को है। अतः अगर किसी ने अपने लिए इस अधिकार का दावा किया अथवा दूसरे के लिए इसका इकरार किया तो वह काफ़िर होगा और दीने इस्लाम से निकल जाएगा। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]

“क्या उनके ऐसे साझीदार (देवता) हैं जिन्होंने उनके लिए वह धर्म मुक़र्रर किया है जिसकी अनुमति अल्लाह ने नहीं दी है।” {अशूरा: ٢٩}

इसके अतिरिक्त (यह बात भी है कि) हलाल व हराम में किताब व सुन्नत के

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

12

जानकार (उलमा) के सिवाय किसी का जुबान खोलना जायज़ नहीं है। बगैर इत्म के हलाल तथा हराम क़रार देने वालों के लिए सख्त धमकी आई है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْسِنَّةُ كُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْرَوْا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: ١١٦]

“किसी चीज़ को अपनी जुबान से झूट-मूट न कह दिया करो कि यह हलाल है और यह हराम है कि अल्लाह पर झूट बुहतान बाँध लो।” {अन्हूल: ٩٩٦}

जो चीज़ें निश्चित रूप से हराम हैं उनका उल्लेख तो कुरआन व हदीस में मौजूद है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿فُلَّ تَعَالَوْا أَتُلُّ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَإِلَوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقْتُلُوا أُولَئِكَ كُمُّ مِنْ إِمْلَقِ﴾ [الانعام: ١٥١]

“आप कहिये कि आओ मैं तुम को वह चीज़ें पढ़कर सुनाऊँ जिनको तुम्हारे रब ने तुम पर हराम कर दिया है, वह यह कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक मत करो, और पिता-माता के साथ इहसान करो, और अपनी संतान को इफ़्लास (दरिद्रता) के कारण हत्या न करो।” {अल-अऩआम: ٩٥٩}

अनुरूप हदीस में भी बहुत सारी हराम चीज़ों का उल्लेख किया गया है। जैसे नबी ﷺ का फ़रमान:

«إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَنْصَنَامِ». [رواه أبو داود: ٣٤٨٦، وهو في صحيح أبي داود: ٩٧٧، متفق على صحته (ج).]

«अल्लाह तआला ने शराब (दारू), मुर्दार, सूअर तथा मूर्तियों के बेचने को हराम क़रार दिया।» [अबू दाऊद, हदीस नम्बर ٣٤٨٦, सहीह अबू दाऊद, नम्बर ٦٧٩, इब्ने बाज़ राहिमहुल्लाह ने फ़रमाया: इस हदीस के सहीह होने पर इत्तिफ़ाक है]

और नबी ﷺ का फ़रमान:

«إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَمَ شَيْئًا حَرَمَ ثَمَنَهُ». [رواه الدارقطني: ٧/٣، وهو حديث صحيح].

«जब अल्लाह तआला किसी चीज़ को हराम करता है तो उसकी मूल्य को भी हराम करता है» [दाराकुतनी ३/७, और यह हदीस सहीह है]

कुछ प्रमाण ऐसे भी हैं जिन में विभिन्न प्रकार के खास खास हराम चीज़ों का उल्लेख है। जैसे कि खाई जाने वाली चीज़ों के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿حُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَكُمُ الْأَخْنَزُرُ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنَقَةُ وَالْمَوْفُوذُ وَالْمُرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّيِّعُ إِلَّا مَا دَيْنُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنَّ سَنَقِيسُمُوا بِالْأَذْكَرِ﴾ [بाहदर: २]

“तुम पर हराम किया गया मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो और जो गला घुटने से मरा हो और जो किसी चोट से मरा हो और जो ऊँची जगह से गिरकर मरा हो और जो किसी के सीध मारने से मरा हो और जिसे दरिदों (हिंसा जन्तुओं) ने फाड़कर खाया हो, लेकिन उसे तुम ज़बह कर डालो तो हराम नहीं, और जो थानों पर ज़बह किया गया हो और यह भी कि पाँसे द्वारा भाग्य मालुम करो।” {अल्माइदा: ३}

और अल्लाह तआला ने शादी-व्याह में मुहर्रमात (हराम की गई औरतों) का उल्लेख करते हुए फरमाया:

﴿حُرِّمَ عَلَيْكُمُ أَمْهَاتُكُمْ وَبَنَائِكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَائِكُمُ الْأَخْرَى وَبَنَائِتُ الْأُخْرَى وَأَمْهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنْ أَرْضَدَعَةٍ وَأَمْهَاتُ نِسَاءِكُمْ﴾ [النساء: २३]

“हराम की गई तुम पर तुम्हारी माँ और तुम्हारी लड़कियाँ और तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ और भाई की लड़कियाँ और बहन की लड़कियाँ और तुम्हारी वह माँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी सास।” {अन्निसा: २३}

इसी तरह अल्लाह तआला ने कमाइयों (उपार्जनों) के बारे में हराम चीज़ों का उल्लेख करते हुए फरमाया:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْأَبْيَعَ وَحَرَمَ الْبَيْوَأِ﴾ [البقرة: २७५]

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

14

“अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया तथा सूद को हराम किया।” {अल्बकरा: २७५}

बेशक अपने बंदों पर दयावान अल्लाह ने अत्यधिक (बहुत ज्यादा) तथा विभिन्न प्रकार की पवित्र चीज़ों को हलाल किया है जिनका शुमार नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि मुबाह अर्थात् जायज़ चीज़ों की तफसील नहीं बताई, क्योंकि वह बहुत तथा बेशुमार हैं। अलबत्ता हराम चीज़ों की तफसील बता दी है, क्योंकि वह सीमित हैं, ताकि हम उन्हें जानकर उन से बचे रहें। अल्लाह तआता ने फ़रमाया:

﴿وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَصْطَرَرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الانعام: ١١٩]

“अल्लाह ने उन सब जानवरों की तफसील बता दी है जिनको तुम पर हराम किया है, मगर वह भी जब तुम को सख्त ज़खरत पड़े तो हलाल है।”
{अलअऩआम: ९६}

लेकिन हलाल चीज़ों को -अगर वह पाक हैं- तो सार्विक रूप से उन्हें जायज़ करार दिया है। जैसाकि उसका फ़रमान है:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [البقرة: ١٦٨]

“लोगो! ज़मीन पर जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं उन्हें खाओ पियो।”
{अल्बकरा: १६८}

अतः यह उसकी रहमत है कि उसने बुनयादी तौर पर चीज़ों को हलाल ठहराया है, जब तक कि उसके हराम होने पर कोई दलील न हो। और यह उसका अपने बंदों पर करम तथा उदारता है। इस लिए हमें उसकी फर्माबदारी तथा उसका शुक्र अदा करना चाहिए।

कुछ लोग जब उनके सामने हराम चीज़ों का परिसंख्यान (गिनती) तथा विवरण पेश किया जाता है तो उनके दिल शरई अहकाम (विधि-विधान) से कुछ (तंग हो) जाते हैं। यह उनके ईमान की कम्ज़ोरी तथा शरीअत के बारे में उनके कम अनुधावन (समझ) की दलील है। क्या यह लोग चाहते हैं कि उनके सामने

हलाल चीज़ों की किस्मों को एक एक करके बयान किया जाए, ताकि वह तुष्ट हो जाएं कि दीन हकीकत में आसान है? क्या यह लोग चाहते हैं कि पाकीज़ा चीज़ों की लिस्ट उनके सामने पेश की जाये, ताकि वह निश्चिंत हो जायें कि शरीअत उनकी मज़ा की ज़िंदगी में कोई तल्खी नहीं घोलती।

क्या वह चाहते हैं कि उन से कहा जाये कि ज़बह किया गया ऊँट, गाय, भेड़, ख़रगोश, हिरन, पहाड़ी बकरा, मुर्ग, कबूतर, बत्तख, हंस, शुतुरमुर्ग इत्यादि का गोशत और मरी हुई टिङ्डी तथा मछली हलाल है?

और यह कि सबज़ियाँ, तरकारियाँ, सारे ग़ल्ले और उपकारी फल-फूट हलाल हैं?

और यह कि पानी, दूध, शहद, तेल तथा सिरका हलाल है?

और यह कि नमक एवं मसाले (जैसे लौंग, मिर्च, ज़ीरा, तेजपत्ता आदि) हलाल हैं?

और यह कि लकड़ी, लोहा, बालू, कंकरी, प्लास्टिक, काँच तथा रबर का प्रयोग हलाल है?

और यह कि चौपायाँ, गाड़ियाँ, ट्रेनों, पानी जहाज़ों तथा हवाई जहाज़ों पर सवार होना हलाल है?

और यह कि एयर कन्डीशन, फ्रीज, वाशिंग मशीन, ड्राई मशीन, चक्की, आटा गोंधने वाली मशीन, कूटने वाली मशीन, जूस मशीन और डाक्टरी, इंजीनियरिंग, हिसाब, फ़्लक (कक्ष) संबंधी विषयों के ज्ञान हासिल करने, तामीर के सारे आलात और पानी, पेट्रोल, धात (खनीज पदार्थ) निकालने तथा परिशोधन करने वाली मशीन और प्रिन्टिंग प्रेस एवं कम्प्यूटर आदि हलाल हैं?

और यह कि रुई, कॉटन, ऊन, पश्म, जायज़ चमड़ा, नाइलोन और पॉलिस्टर इत्यादि का लिबास हलाल है?

और यह कि शादी-ब्याह, ख़रीद व फ़रोख़ (क्रय बिक्रय), किसी के देख-भाल की ज़िम्मेदारी, कर्ज़ अदा करने की ज़िम्मेवारी किसी पर सौंपना, किराया देना, और बढ़ई, लोहार, मशीनों की मरम्मत तथा बकरी चराने आदि का पेशा हलाल है?

आप ही ज़रा सा सोचें कि अगर इसी तरह हम गिनाते जायें तो आखिर कहाँ पहुँच कर रुकेंगे? लोगों को क्या हो गया, वे समझते क्यों नहीं?

और उनका दलील के तौर पर यह पेश करना कि ‘दीन तो आसान है’ तो यह बात सही है लेकिन इसका बातिल मतलब लिया गया है। क्योंकि दीन में आसानी लोगों की ख़ाहिशात और ख़्याल-खुशी अनुसार नहीं है, बल्कि शरीअत अनुसार है। ‘दीन आसान है’ -और वह निःसंदेह आसान है- का बहाना बना कर हराम काम करने और शरीअत की लाई हुई रुख़सतों (छूटों) पर अमल करने के दरमियान बड़ा अंतर है। शरीअत की रुख़सतें जैसे: सफ़र में दो नमाज़ का जमा करके (इकट्ठी) तथा चार रकअत वाली नमाज़ों को दो दो रकअत पढ़ना, और रोज़ा छोड़ना, मुक़ीम का एक दिन एक रात और मुसाफ़िर का तीन दिन तीन रात मोज़ों पर मसह करना, पानी के इस्तेमाल से ख़तरे का अंदेशा होने पर तयम्मुम करना, बारिश या बीमारी की वजह से दो नमाज़ों को मिला कर पढ़ना, शादी की ख़ातिर पैग़ाम देने वाले के लिए अज़्नबी औरत (मँगेतर) को देखना, क़सम का कफ़ारा अदा करने के लिए गुलाम आज़ाद करने, कपड़े पहनाने तथा खाना खिलाने में अखिल्यार देना और मज़बूरी में हराम चीज़ों का खाना प्रभृति।

इसके अलावा मुसलमानों को जानना चाहिए कि हराम चीज़ों को हराम करने में बहुत सारी हिक्मतें हैं, जैसे: अल्लाह तआला अपने बंदों को इन मुहर्रमात (हराम की हुई चीज़ों) के ज़रीया आज़माता है ताकि देखे कि वे कैसे अमल करते हैं। और इस से जन्ती तथा जहन्नमी के दरमियान अंतर सूचित होता है, क्योंकि जहन्नमी लोग ऐसी शहवतों में डूबे होते हैं जिन से जहन्नम धिरी हुई है। और जन्ती लोग ऐसी नापसंदीदा चीज़ों पर सब्र करते हैं जिन से जन्त धिरी हुई है। अगर यह आज़माइश न होती तो फ़रमावर्दार और नाफ़रमान के दरमियान अंतर न रह जाता। ईमानदार लोग शरीअत के हुक्म-अहकाम की मशक्कत को अब्र व सवाब की निगाह से देखते हैं और अल्लाह की रिज़ामंदी हासिल करने के लिए उसके आदेश को बजा लाते हैं, इस लिए उन पर मशक्कत आसान हो


जाती है। और मुनाफ़िक़ लोग शरीअत के हुक्म-अहकाम की मशक्कत को दुख, परेशानी और महसूमी की निगाह से देखते हैं, जिसकी वजह से अमल करना उन पर कठिन हो जाता है और फ़रमाबदारी मुश्किल हो जाती है।

फ़रमाबदार लोग हराम चीज़ों को छोड़ते हुए उस चीज़ की मिठास अनुभव करते हैं कि जो अल्लाह के वास्ते कुछ छोड़ देता है तो अल्लाह तआला उसे इस से बेहतर प्रदान करता है, और वह अपने दिल में ईमान की लज़्ज़त पाता है।

पाठक महोदय (कारेईने किराम) इस पुस्तिका में चंद ऐसे हराम विषयों का मुशाहदा करेंगे जिनका हराम होना किताब व सुन्नत की दलीलों से प्रमाणित है।⁽¹⁾ यह वह हराम विषय हैं जो मुसलमानों में अ़ाम हो चुके हैं। इनके उल्लेख से मेरा मक़सद वज़ाहत व नसीहत (स्पष्टिकरण तथा सदुपदेश) है। मैं अपने लिए और मुसलमान भाईओं के लिए अल्लाह तआला से हिदायत, तौफीक और उसके हुदूद (सीमारेखा) पर रुक जाने का तलबगार हूँ। वह हमें हराम विषयों तथा बुराइयों से बचाये। वही सब से बेहतर हिफ़ाज़त करने वाला और रहम करने वालों में सब से ज़्यादा रहम करने वाला है।⁽²⁾



-
- 1 हराम चीज़ों या उसके चंद प्रकारों (जैसे कबायेर) से मुतभल्लिक कुछ उलमा ने किताबें लिखीं हैं। मुहर्रमात (हराम चीज़ों) के सिलसिले में अच्छी किताबों में से एक किताब ‘तम्बीहुल ग़ाफ़िलीन अ़न् आ‘मालिल् जाहिलीन’ है, जिसके लेखक इब्नुन्हास अदिमश्की हैं।
 - 2 चंद उलमाये किराम -अल्लाह तआला उनके अज्ञ व सवाब को ज़्यादा करे- ने इस पुस्तिका का सम्पादना किया है जिन में सरे फ़िहरिस्त अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहेमहुल्लाह हैं। उनके टीकाओं को मैं ने ब्राकेट में अक्षर (ज़) द्वारा स्पष्ट किया है।





अल्लाह के साथ शिर्क करना

हराम चीजों में सब से बड़ा हराम यही है। क्योंकि अबू बक्रा ﷺ से वर्णित (मर्वी) हदीस में रसूल ﷺ ने फरमाया:

«أَلَا أَنْبَتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» (ثلاثاً) قَالُوا: قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «إِلَّا إِشْرَاكٌ بِاللَّهِ»
[متفق عليه، البخاري رقم (٢٥١١)].

«क्या मैं तुम्हें गुनाहों में सब से बड़े गुनाह के बारे में न बता दूँ?» (आप ﷺ ने यह बात तीन बार दोहराई) सहाबए किराम ने कहा: हम ने कहा: क्यों नहीं, आप ज़रूर फरमायें ऐ अल्लाह के रसूल! आप ﷺ ने फरमाया: «अल्लाह के साथ शिर्क करना» {बुखारी व मुस्लिम, बुखारी हदीस नम्बर: २५११}

शिर्क के अलावा हर पाप अल्लाह तआला क्षमा कर सकता है, क्योंकि इसके लिए विशिष्ट (मख्सूस) तौबा ज़रूरी है। अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَعْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]

“निःसंदेह अल्लाह तआला अपने साथ शरीक किये जाने को क्षमा नहीं करता, इसके अलावा जिसे चाहे क्षमा कर देता है।” {अन्निसा: ४८}

शिर्क अगर बड़ा (शिर्क अक्बर) हो तो उसके करने वाले को इस्लाम धर्म से निकाल देता है, और अगर उसी पर उसकी मौत हो गई तो वह हमेशा के लिए जहन्नमी है।

बहुत से मुस्लिम मुल्कों में यह शिर्क अक्बर फैला हुआ है, इसके चंद नमूने पेश किये जा रहे हैं:

۞ कब्रों की पूजा:

मरे हुए औलिया के बारे में यह अळीदा रखना कि वे ज़रूरतें पूरी तथा

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

20

परेशानियाँ दूर कर सकते हैं, और उन से मदद तथा फ़रयाद तलब करना। हालाँकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِنِّيٌّ إِلَهُكُمْ﴾ [الإِسْرَاءٌ: ٢٣]

“‘और तेरे रब ने फैसला कर दिया कि तुम लोग उसके अ़लावा किसी की इबादत न करो।’” {अल़इस्मारा: २३}

इसी तरह अम्बिया अथवा नेक लोग वगैरा जिनकी वफ़ात हो चुकी है उन्हें सिफारिश के लिए या कठिनाइयाँ दूर करने के लिए पुकारना। हालाँकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿أَمَّنْ يُحِبُّ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْسِفُ أَسْوَءَ وَيَجْعَلُ كُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ﴾ [النَّمْلٌ: ٦٢]

“‘बेकस की पुकार को जबकि वह पुकारे कौन क़बूल करके कठिनाई को दूर कर देता है? और तुम्हें ज़मीन का ख़लीफ़ा बनाता है। क्या अल्लाह के साथ और माबूद है?’” {अन्नमूल: ६२}

कुछ लोग उठते बैठते चलते फिरते पीर या वली का नाम जपना अपनी आदत बना लेते हैं। जब भी किसी संकट, मुसीबत या परेशानी में पड़ते हैं तो कोई ‘ऐ मुहम्मद!’ कहकर पुकारता है, कोई ‘ऐ अ़ली!’ कहकर, कोई ‘ऐ हुसैन!’ कहकर, कोई ‘ऐ बदरी!’ कहकर, कोई ‘ऐ जीलानी!’ कहकर, कोई ‘ऐ गौस!’ कहकर, कोई ‘ऐ शाज़ली!’ कहकर, कोई ‘ऐ रिफाई!’ कहकर, कोई ‘ऐ अलूइद्रोस!’ कहकर, कोई ‘ऐ सय्येदा जैनब!’ कहकर और कोई ‘ऐ इब्ने अ़लवान!’ प्रभृति कहकर। हालाँकि अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ [الاعراف١٩٤]

“‘निश्चय तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वह भी तुम ही जैसे बंदे हैं।’” {अलूआरफ़: १६४}

कुछ कब्रों के पुजारी कब्रों का तवाफ़ करते हैं, उनके गोशों को स्पर्श करते हैं,

उन पर हाथ फेरते हैं, उनकी चौखटों को चूमते हैं, वहाँ की मिट्टी में अपने चेहरों को रगड़ते हैं, उनको देखते ही उनका सज्जा करते हैं, उनके सामने बिल्कुल अ़ाजिज़ी, इंकिसारी, ख़ाकसारी तथा नम्रता के साथ खड़े होकर अपनी हाजतों और ज़खरतों -जैसे बीमारी की शिफ़ा, औलाद की प्राप्ति तथा मुश्किल आसान करने- का मुतालबा करते हैं। और कभी कभी कब्र का पुजारी यह कहकर पुकारता है कि ऐ मेरे आका! मैं आपके पास दूर दराज से आया हूँ, आप मुझे महसूम न करें। हालाँकि अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَحِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ [الاحقاف: ٥]

“और उस से बढ़कर गुमराह और कौन होगा? जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारता है जो कियामत तक उसकी दुआ क़बूल न कर सकें बल्कि वे उनके पुकारने से बिल्कुल बेखबर हों।” {अल्लाहकाफ़: ٥}

और नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يُدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًا دَخَلَ النَّارَ» [رواه البخاري، الفتح (١٧٦/٨)]

«जिसकी मौत इस हालत में हुई कि वह अल्लाह के अ़्लावा किसी और को पुकारता रहा हो तो वह दोज़ख में जायेगा।» {बुखारी, देखिए फ़त्हुल बारी: ٢/٩٧٦}

और उन में से कुछ लोग कब्रों के पास अपने सरों को मुंडाते हैं। और उन में से कुछ लोगों के पास ‘मज़ारों का हज्ज करने के नियम-नीति (तरीक़े)’ जैसे उनवान (विषय) की किताबें होती हैं। और कुछ लोग यह अ़कीदा रखते हैं कि औलिया कायेनात में तसरुफ़ कर सकते हैं (यानी जग में कल्याण अकल्याण करने की क्षमता रखते हैं) और वे नफ़ा तथा नुक़सान (लाभ तथा हानि) पहुँचा सकते हैं। हालाँकि अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَإِنْ يَمْسِسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدَكَ بِغَيْرٍ فَلَا رَادَ لِغَصْبِهِ﴾

[يونس: ١٠٧]

“और अगर तुमको अल्लाह कोई तकलीफ़ पहुँचाये तो उसके सिवा उसे कोई दूर करने वाला नहीं है, और अगर वह तुमको कोई भलाई पहुँचाना चाहे तो उसकी कृपा को कोई हटाने वाला नहीं।” {यूनुस: ٩٠}

इसी तरह गैरुल्लाह (अल्लाह के अळावा दूसरों) के लिए मिन्नत मानना भी शिर्क है, जैसाकि मिन्नत मानने वाले लोग कब्र वासियों (वालों) के लिए रोशनियों तथा चिरागों का चढ़ावा चढ़ाते हैं।

गैरुल्लाह के लिए ज़बह करना:

अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْهَرْ﴾ [الکوثر: ٢]

“पस अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और कुर्बानी कीजिए।” {अल्कौसर: २}

यानी अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़िए और अल्लाह के नाम पर ज़बह कीजिए।
और रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया:

«لَعَنَ اللَّهِ مَنْ دَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ» [رواه مسلم: ١٩٧٨].

«उस व्यक्ति पर अल्लाह की लानत हो जो गैरुल्लाह के लिए ज़बह करे।» {मुस्लिम: ٩٦٧٧} कभी कभी ज़बीहा (ज़बह किये गये जानवर) में दो हराम चीज़ें जमा हो जाती हैं: एक गैरुल्लाह के लिए ज़बह करना और दूसरा गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करना। और यह दोनों चीज़ें उसके खाने को हराम कर देती हैं। जाहिलियत के ज़बीहों में से जो हमारे इस ज़माने में आम तथा मुंतशिर है वह ‘जिन्नात के लिए ज़बह करना’ यानी घर द्वार ख़रीदते या बनाते समय अथवा कुँआ खोदते समय उसके पास या उसके चौखट पर जिन्नात की तकलीफ़ के डर से ज़बह करते हैं। {तैसीरुल अर्जीज़िल हमीद: ٩٥}

शिर्के अकबर की अळीम तथा आम मिसालों में से अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को हलाल करना अथवा अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को हराम करना है, या यह अळीदा रखना कि इसका अधिकार अल्लाह के अळावा किसी और

को भी है, अथवा रिज़ामंद होकर, अपनी खुशी से तथा हलाल व जायज़ समझते हुए फैसला करवाने के लिए जाहिली कानून (मानव रचित आईन) तथा अदालतों का सहारा लेना। अल्लाह तआला ने इसे बड़ा कुफ़ गरदानते हुए इर्शाद फ़रमाया:

﴿أَنْخَذُوا أَجْبَارَهُمْ وَرَهَبُكُنَّهُمْ أَذْكَارًا مِّنْ دُوبِنَ اللَّهِ﴾ [التوبه: ٢١]

“उन्हों (यहूद और नसारा) ने अल्लाह को छोड़ कर अपने आलिमों और दरवेशों को रब बना लिया है।” {अल्तौबा: ٣٩} अदी बिन हातिम ﷺ ने जब नवी ﷺ को यह आयत तिलावत फ़रमाते हुए सुना तो कहा: वह लोग तो उनकी इबादत नहीं करते। आप ﷺ ने फ़रमाया: «हाँ, लेकिन वे अल्लाह ने जिसे हराम किया उसे हलाल कहते तो यह लोग भी उसे हलाल समझने लगते, और अल्लाह ने जिसे हलाल किया वे उसे हराम कहते तो यह लोग भी उसे हराम समझने लगते, यही तो है उनकी इबादत।» {बैहकी अस्सुननुल कुब्रा (٩٠/٩٩٦), तिरमिज़ी (٣٠٦٥), अलबानी रहिमहुल्लाह ने ग़ायतुल मराम (पृष्ठ ٩٦) में इसे हसन करार दिया है}

और अल्लाह तआला ने मुशरिकों की हालत बयान करते हुए फ़रमाया:

﴿وَلَا يُحِمِّلُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدْيُمُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾ [التوبه: ٢٩]

“वे अल्लाह और उसके रसूल की हराम की हुई चीज़ को हराम नहीं जानते और न दीने हक़ (सत्य धर्म) को क़बूल करते हैं।” {अल्तौबा: ٢٦}

और अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿فُلَّ أَرْءَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذْكَرُ
كُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفَرُّدُكُمْ﴾ [يوونس: ٥٩]

“आप कहिए कि यह तो बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो कुछ रिज़क् भेजा था फिर तुम ने उसका कुछ हिस्सा हराम और कुछ हिस्सा हलाल करार दे लिया। आप पूछिये कि क्या तुमको अल्लाह ने इसका हुक्म दिया था या तुम अल्लाह पर बुहतान आरोप करते हों?” {यूनुस: ٥٦}

❖ शिर्क की फैली हुई किस्मों में जादू कहानत और भविष्य वाणी (गणना, इल्मे नुजूम, ज्योतिष) है:

जादू कुफ़ है और सात हलाक करने वाले बड़े गुनाहों में से एक है। वह नुक्सान पहुँचाता है फ़ायदा नहीं। अल्लाह तआला ने उसके सीखने के बारे में इर्शाद फ़रमाया:

﴿وَيَعْلَمُونَ مَا يَصْرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ [البقرة: ١٠٢]

“और वे ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो उन्हें नुक्सान पहुँचाती हैं नफ़ा नहीं।”
 {अलबक्रा: ٩٠٢}

दूसरी जगह इर्शाद फ़रमाया:

﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَقَى﴾ [طه: ٦٩]

“और जादूगर कहीं से भी आये कामयाब नहीं होता” {ताहा: ٦٦}

और जादू सीखने सिखाने वाला काफिर है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَنَلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلُكٍ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الْسِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَأْلَ هَرُوتَ وَمَرْوَتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا مَحْنُ فِتْنَةً فَلَا تَكْفُرُوا﴾ [البقرة: ١٠٢]

“सुलैमान (अलैहिस्सलाम) ने तो कुफ़ न किया था, बल्कि यह कुफ़ शैतानों का था, वह लोगों को जादू सिखाया करते थे। और बाबिल में हारूत और मारूत दो फ़रिश्तों पर जो उतारा गया था, वह दोनों भी किसी शब्दस को उस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक यह न कह देते कि हम तो एक आज़माइश (परीक्षा) हैं, पस तू कुफ़ न कर।” {अलबक्रा: ٩٠٢}

जादूगर के बारे में (शरई) हुक्म है उसे हत्या करना। उसकी कमाई हराम तथा ख़बीस है। जाहिल, ज़ालिम और कम्ज़ोर ईमान के लोग दूसरों पर अन्याय करने या उन से इंतिकाम (प्रतिशोध) लेने के लिए जादूगरों के पास जाते हैं। और कुछ लोग जादू ख़त्म कराने (छुड़ाने) के लिए जादूगरों की पनाह लेकर (शरणापन्न

होकर) यह हराम काम कर बैठते हैं। हालाँकि उन पर ज़रूरी है कि अल्लाह की पनाह लें और उसके कलाम -जैसे मुअव्वज़ात आदि- से शिफ़ा तलब करें।

नुजूमी और गुमशुदा चीज़ों का पता बताने वाले (गणक और ज्योतिषी) अगर गैब (परोक्ष) का दावा करें तो दोनों के दोनों काफ़िर हैं। क्योंकि गैब का इल्म (परोक्ष का ज्ञान) सिवाय अल्लाह के किसी और को नहीं है। इन में से बहुत से लोग सीधे-सादे लोगों का माल भक्षण करने (खाने) के लिए धांदली करते हैं और विभिन्न प्रकार के माध्यम (मुख्तलिफ़ किस्म के वसायेल) -जैसे रेत में लकीरें खींचना, कोड़ी चलाना, हथेली की लकीरें देखकर तथा पियाला या शीशा और आयना का गेंद पढ़कर भविष्य वाणी करना (मुस्तकबिल की खबरें बताना) इत्यादि। यह लोग अगर एक सच कहें तो निन्नानवे झूट कहते हैं। लेकिन बेवकूफ़ लोग झूटों की एक सच को मान कर (और ६६ झूटों को भूल कर) मुस्तकबिल (भविष्य), शादी या तिजारत में खुश नसीबी और बद नसीबी और गुमशुदा चीज़ों की जानकरी के लिए उनके पास जाते हैं।

जो शख्स उनके पास जाता है और उनकी बातों की तस्वीक (पुष्टि) करता है तो वह काफ़िर तथा मिल्लते इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। इसकी दलील नबी ﷺ का यह फ़रमान:

«مَنْ أَتَىٰ كَاهِنًا أَوْ عَرَافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ». [رواہ الإمام
أحمد: ۴۲۹، وهو في صحيح الجامع: ۵۹۳۹].

«जो शख्स किसी नुजूमी या ज्योतिषी (गुमशुदा चीज़ों का पता बताने वाले) के पास आये और उसकी तस्वीक करे तो उसने मुहम्मद ﷺ पर उत्तारी गई शरीअत का कुफ़ किया।» {मुस्नद अहमद: २/४२८, सहीहुल जामेअ०: ५६३६}

परंतु जो शख्स उनके पास तजुरबा (परीक्षा) वगैरा के लिए जाता है और इस बात की तस्वीक नहीं करता है कि वे गैब जानते हैं तो वह काफ़िर नहीं है, लेकिन उसकी चालीस दिन की नमाज़ें क़बूल नहीं हूँगी। इसकी दलील नबी ﷺ का यह फ़रमान:

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

«مَنْ أَتَى عَرَافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». [رواه مسلم: ٤/١٧٥١].

26

«जो शख्स किसी गुमशुदा चीज़ों का पता बताने वाले के पास आये और उससे किसी चीज़ के बारे में पूछे तो उसकी चालीस दिन की नमाज़ कबूल नहीं होती»
{मुस्लिम: ٤/٩٧٥٩}

इसके साथ साथ उस पर नमाज़ की क़ज़ा वाजिब और तौबा ज़रूरी है।

❖ सितारों तथा ग्रहों (सव्यारों) का हवादिस और लोगों की ज़िंदगी में असर अंदाज़ होने (प्रभाव विस्तार करने) का अङ्कीदा रखना:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهْنِيِّ قَالَ: صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ الْلَّيْلَةِ - فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطْرِنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنُؤْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ٢٣٢/٢].

जैद बिन ख़ालिद अलजुहनी ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा: रात में बारिश होने के बाद रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें लेकर फ़ज्र की नमाज़ अदा की। सलाम फेरने के बाद लोगों की ओर रुख़ करके फ़रमाया: «क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे रब ने क्या कहा?» लोगों ने कहा: अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फ़रमाया: «मेरे बंदों में से कुछ ने मुझ पर ईमान लाने वाले और कुछ ने कुफ़ करने वाले बनकर सुबह की। पस जिस ने कहा कि अल्लाह की कृपा व रहमत से हम पर बारिश हुई तो वह मुझ पर ईमान लाने वाला और सितारों का कुफ़ करने वाला है। और जिस ने कहा कि फ़लाँ फ़लाँ सितारों के कारण हम पर बीरश हुई तो वह मेरा कुफ़ करने वाला और सितारों पर ईमान लाने वाला ठहरा।» {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ٢/٣٣} में गज़ीनों तथा अख्भारों में बताये गए भाग्यराशि (राशिचक्र) का आश्रय लेना भी इसी के अंतर्गत है। पस अगर अङ्कीदा रखे कि उन में फ़लकों (कक्षों) और सितारों का असर (प्रभाव) है तो वह मुशरिक होगा। और अगर मनोरंजन (दिल बहलाने) के लिए पढ़े तो

वह नाफ़रमान पापी होगा। क्योंकि शिर्किया चीज़ें पढ़कर मनोरंजन करना जायज़ नहीं है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि शैतान उसके दिल में इसका विश्वास डाल दे जो शिर्क का वसीला (माध्यम) बन जाए।

۞ जिन चीज़ों में अल्लाह ने नफ़ा नहीं रखा है उन में नफ़ा का अ़कीदा रखना शिर्किया काम है:

जैसे कि कुछ लोग काहिन (गणक) या जादूगर के इशारा को बुनियाद बना कर अथवा बाप दादा के परम्परा की भित्ति पर तावीज़-गंडे, शिर्किया कर्मों, सीपियों, धूगों अथवा लोहे के कड़ों इत्यादि में नफ़ा का अ़कीदा रखते हैं। लिहाज़ा वे नज़र से बचने के लिए उन्हें अपने या अपने बच्चों के गले में लटकाते हैं, अपने शरीरों पर बाँधते हैं, अपनी गाड़ियों में और अपने घरों में टांगते हैं, अथवा तरह तरह के नगीने वाली अंगूष्ठियाँ पहनते हैं, और अ़कीदा रखते हैं कि यह बलाओं को दूर करते या टालते हैं। हालाँकि यह अ़कीदा निःसदैह अल्लाह पर तवक्कुल (आस्था) के खिलाफ़ है। इस से इंसान की कम्ज़ोरी ही बढ़ती है। यह हराम के ज़रीया इलाज करना है। और यह तावीज़-गंडे जो लटकाये जाते हैं उन में के बहुतों में स्पष्ट शिर्क होता है तथा कुछ जिन्नात और शैतानों से मदद मांगी जाती है, अस्पष्ट नक्शे होते हैं या न समझी जाने वाली बातें लिखी हुई होती हैं। कुछ भेलकीबाज़ (मदारी) कुरआन की आयतें लिखते हैं और उन्हें दुसरी शिर्किया चीज़ों के साथ मिला देते हैं। और कुछ भेलकीबाज़ कुरआन की आयतें गंदगी या हैज़ के खून से लिखते हैं। मज़कूरा (उल्लिखित) सारी चीज़ें लटकाना या बाँधना हराम है। क्योंकि नवी ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ عَلِقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ». [رواه أحمد: ١٥٦/٤، وهو في السلسلة الصحيحة رقم: ٤٩٢.]

«जिसने तावीज़ लटकाई उसने शिर्क किया ॥» {मुस्नद अहमद ४/१५६, सिलसिला सहीहा: ४६२}

इसका करने वाला अगर अ़कीदा रखे कि यह चीज़ें अल्लाह के बगैर नफ़ा या नुक्सान पहुँचाती हैं तो बड़ा शिर्क करने वाला होगा। और अगर अ़कीदा रखे कि

यह चीज़ें नफा या नुक्सान के माध्यम हैं तो वह छोटा शिर्क करने वाला होगा तथा यह माध्यम के शिर्क में दाखिल होगा, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें माध्यम नहीं बनाया।

❖ इबादत में रिया (दिखावा):

नेक अःमल की शर्तों में से है कि वह रिया से रिक्त व मुक्त हो तथा सुन्नत के मुताबिक हो। जो शख्स इस ग़र्ज़ से इबादत करे कि लोग उसे देखें तो वह छोटा शिर्क करने वाला होगा और उसका अःमल बरबाद हो जायेगा, जैसे वह व्यक्ति जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़े। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿إِنَّ الْمُنَفِّقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيرٌ عُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرْأَوُنَ أَنَّاسٍ وَلَا يَذَكُّرُونَ اللَّهُ لَا فَيْلًا﴾ [النساء: ١٤٢]

“‘बेशक मुनाफ़िक लोग अल्लाह से चालबाज़ियाँ कर रहे हैं और वह उन्हें इस चालबाज़ी का बदला देने वाला है, और जब वे नमाज़ के लिए खड़े होते हैं तो बड़ी काहिली की हालत में खड़े होते हैं सिफ़ लोगों को दिखाते हैं, और अल्लाह की याद तो यूँ ही नाम के वास्ते करते हैं।’” {अन्निसा: ٩٤٢}

इसी तरह अगर इस ग़र्ज़ से अःमल करे कि उसकी ख़बर फैल जाये और लोग आपस में उसका चर्चा करे तो वह शिर्क में पड़ जायेगा। और जो ऐसा करेगा उसके बारे में सख्त धमकी आई है। जैसाकि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी (वर्णित) हडीस में है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ سَمَعَ سَمْعَ اللَّهِ بِهِ، وَمَنْ رَأَيَ رَأْيَ اللَّهِ بِهِ» [رواه مسلم: ٤/٢٢٨٩]

«जो शख्स लोगों को सुनाने के लिए नेक काम करेगा अल्लाह तआला भी (कियामत के दिन उसकी ज़िल्लत लोगों को) सुना देगा, और जो शख्स दिखावे के लिए अःमल करेगा अल्लाह तआला भी उसको दिखला देगा।» {मुस्लिम: ٤/٢٢٦٦}

और जिस ने कोई ऐसी इबादत की जिस में उसका मक्सद अल्लाह और लोग दोनों हों तो उसका अःमल बातिल होगा। जैसाकि हडीसे कुदसी में आया है:

«أَنَا أَغْنِيُ الشُّرْكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشَرَكْهُ» [رواه

«रैं शरीकों से सब से ज्यादा बेनियाज़ हूँ। जिस ने कोई ऐसा अमल किया जिस में मेरे साथ किसी को शरीक किया तो मैं उसको और उसके शिर्क को छोड़ दूँगा» {मुस्लिम, नम्बर: २६८५}

और जो अल्लाह के लिए अमल शुरू करे फिर उस में रिया दाखिल हो जाये, पस अगर वह इसे नापसंद करते हुये हटाने की कोशिश करे तो उसका अमल सही होगा, लेकिन अगर उसका दिल इस पर मुतमझन तथा संतुष्ट हो तो अदि अकांश विद्वानों (अक्सर उलमा) की राय अनुसार उसका यह अमल बातिल होगा।



बद शुगूनी

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿فِإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَاتُلُوا لَنَا هَلْبِرٌ وَإِنْ تُصْبِحُوهُ سَيِّئَةً يَطَّيِّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ﴾

[الاعراف: ١٢١]

“यदि उनके पास भलाई आती है तो कहते हैं कि यह हमारे लिए होना ही चाहिए, और अगर उनको कोई बुराई पेश आती है तो मूसा तथा उनके साथियों से बद शुगूनी लेते हैं।” {अलआराफ़: ٩٣٩}

जब अरब के लोग कोई काम -जैसे सफ़र वगैरा- करने का इरादा करते तो एक चिड़िया पकड़ कर उसे उड़ा देते, अगर वह दायें ओर जाती तो इस से नेक फ़ाल लेते हुए (इसे शुभ लक्षण समझते हुए) उस काम को कर गुज़रते, और अगर बायें ओर जाती तो इस से बद शुगूनी लेते हुए (इसे कुलक्षण समझते हुए) उस काम से बाज़ आ जाते। नबी ﷺ ने इस काम का हुक्म बयान करते हुए इशाद फ़रमाया:

«الطَّيِّرَةُ شُرُكٌ» [رواه الإمام أحمد: ٢٨٩، وهو في صحيح الجامع: ٣٩٥٥]

«बद शुगूनी शिर्क है» {मुस्नद अहमद: ٩/٣٧٦, सहीहुल जामेअ: ٣٦٥٥}

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

30

उक्त हराम एतिकाद -जो तौहीद के कमाल (एकत्ववाद के पूर्णता) के खिलाफ है- में निम्नलिखित चीज़ें भी शामिल हैं:

महीनों से बद शुगूनी लेना, जैसे सफर के महीना में शादी ब्याह न करना। और दिनों से बद शुगूनी लेना, जैसे हर महीना के आखिरी बुध को मनहूस (अशुभ) समझना। अथवा संख्या से बद शुगूनी लेना, जैसे संख्या ۹۳ को मनहूस समझना। अथवा बाज़ नामों या बाज़ ऐबदार (व्याधिग्रस्त) लोगों को देख कर बद शुगूनी लेना, जैसे दूकान खोलने के लिए जाते समय रास्ते में किसी एकाक्ष (काना) को देखने पर बद फ़ाली लेते हुए दूकान न खोल कर वापस आ जाना। यह सब के सब हराम हैं तथा शिर्क के अंतर्गत (शामिल) हैं। ऐसे लोगों से नबी ﷺ ने बराअत (मुक्तता) का एलान किया है। इम्रान बिन हुसैन ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ، وَلَا تُطَيِّرَ لَهُ، وَلَا تَكْهَنَ وَلَا تُكَهَنْ لَهُ، (وَأَنْتُنَّهُ قَالَ): أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحْرَ لَهُ». [رواه الطبراني في الكبير: ۱۶۲/۱۸، انظر صحيح الجامع: ۵۴۲۵]

«वह शख्स हम में से नहीं जो बद फ़ाली करे या जिसके लिए बद फ़ाली की जाए, या कहानत (भविष्य वाणी) करे या जिसके लिए कहानत की जाए, (रावी ने कहा: मेरा गुमान है कि यह भी फ़रमाया:) या जादू करे या जिसके लिए जादू किया जाए» [तबरानी कबीर: ۹۷/۹۶۲, सहीहुल जामेअ०: ۵۸۳۵]

जो व्यक्ति इन ग़लतियों में से किसी में वाकेअ० (पतित) हो जाए तो उसका कफ़्फ़ारा (प्रायश्चित) वह है जो अब्दुल्लाह बिन अब्दुरज़ियल्लाहु अन्हुमा की हडीस में उल्लेख हुआ है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ رَدَتْهُ الْطَّيْرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا كَفَارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرٌ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرٌ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهٌ غَيْرُكَ». [رواه الإمام أحمد: ۲۲۰/۲]

السلسلة الصحيحة: ۱۰۶۵ . هذا الحديث فيه ضعف، ويحسن أن يذكر بصيغة التمريض (۳)

«जो व्यक्ति बद शुगूनी (अशुभ लक्षण) के कारण किसी काम से बाज़ रहता है वह शिर्क करता है» लोगों ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! इसका कफ़्फ़ारा क्या है? आप ﷺ ने फ़रमाया: «वह यह दुआ पढ़े: “अल्लाहुम्म ला ख़ैर इल्ला ख़ैरुक, वला

तैर इल्ला तैरुक, वला इलाह गैरुक !” (अर्थात्) ऐ अल्लाह! तेरी भलाई के अलावा और कोई भलाई नहीं है, और नहीं हो सकती कोई चीज़ मगर जो तू ने अपने बंदे पर निर्धारित कर रखा है, और तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है॥ {मुस्नद अहमद: २/२२०, सिलसिला सहीहा: ९०६५, (अल्लामा इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फरमाया: इस हीस में ज़अफ़ यानी दूर्बलता है, अतः तमरीज़ के सेगे -अर्थात् शिथिल शब्दों में जैसे फ़लाँ से रिवायत किया गया या कहा गया कि फ़लाँ ने कहा वगैरा- के साथ उल्लेख करना बेहतर है)}

और बद शुगूनी के अ़कीदा का जनम लेना इंसान का फ़ितरी विषय है, जो घटता बढ़ता है। इसका सबसे बेहतर इलाज (चिकित्सा) है अल्लाह तआला पर भरोसा रखना, जैसाकि अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ ने फरमाया:

وَمَا مِنَ إِلَّا (أَيْ: إِلَّا وَيَقُولُ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِّنْ ذَلِكَ) وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْهَا بِالْتَّوْكِلِ۔ [رواه أبو داود رقم: २९१०، وهو في السلسلة الصحيحة: ४३०].

“हम में से हर एक के दिल में ऐसी चीज़ वाकेआँ होती है, लेकिन अल्लाह तआला तवक्कुल (भरोसा) के ज़रीया उसे दूर फरमा देता है॥ {अबू दाऊद: २६१०, सिलसिला सहीहा: ४३०}



गैरुल्लाह की क़सम (अल्लाह के अलावा किसी और की सौगंध) खाना

अल्लाह तआला अपनी मख़्लूकात (सृष्टि) में से जिसकी चाहे क़सम खाए, लेकिन सृष्टि के लिए अल्लाह के अलावा किसी और की क़सम खाना जायज़ नहीं है। इसके बावजूद भी बहुत से लोग गैरुल्लाह की क़सम खाते रहते हैं, हालाँकि क़सम एक प्रकार की ताज़ीम व भक्ति का विषय है, अतः वह अल्लाह के अलावा किसी और के लिए लायक व ज़ेबा (योग्य) नहीं है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया:

اَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَضْعُمْ۔ [رواه البخاري, انظر الفتاح: ११/५३०].

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

32

«सुनो! अल्लाह तभ़ाला तुम्हें अपने बापों की क़सम खाने से मना फ़रमाता है, (अतः) जो क़सम खाना चाहता है वह अल्लाह की क़सम खाये या ख़ामोश (चुप) रहे।» [बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ٩٩/٥٣٦]

और इन्हे उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने इरशाद फ़रमाया: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ». [رواہ الإمام أحمد: ١٢٥٢، انظر صحيح الجامع: ٦٢٠٤].

«जिस ने गैरुल्लाह की क़सम खाई उस ने शिर्क किया।» {मुस्नद अहमद: ٢/٩٢٥, सहीहुल जामेआः ٦٢٠٨}

नबी ﷺ ने और इरशाद फ़रमाया:

«مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا». [رواہ أبو داود: ٣٢٥٣، وهو في السلسلة الصحيحة رقم: ٩٤].

«जिस ने अमानत की क़सम खाई वह हम में से नहीं है।» [अबू दाऊद: ٣٢٥٣, سिलसिला सहीहा: ٦٤]

अतः काबा, अमानत, शरफ व इज्जत (मान मर्यादा), फ़लाँ की बरकत, फ़लाँ की जिंदगी, नबी ﷺ की जाह व हश्मत (मरतबा व वैभव), वली की जाह, पिता माता और बच्चों के सिर इत्यादि की क़सम खाना नाजायज़ तथा हराम है। अगर किसी से इन में से कुछ सरज़द (वाकेआः) हो जाये तो उसका कफ़्फ़ारा यह है कि वह ‘ला इलाह इल्लल्लाह’ पढ़े, जैसाकि सहीह हदीस में आया है:

«مَنْ حَلَفَ قَالَ فِي حَلْفِهِ بِالْأَلْلَاتِ وَالْعُزَّرِ، فَلَيُقْلِلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». [رواہ البخاري، الفتح: ١١/٥٣٦].

«जो व्यक्ति क़सम खाते हुए यह कहे कि लात व उज्ज़ा की क़सम, तो उसे चाहिए कि वह ‘ला इलाह इल्लल्लाह’ पढ़े।» [बुखारी, फ़त्हुल बारी: ٩٩/٥٣٦]

इस तरह के और भी बहुत से हराम तथा शिर्किया अल्फ़ाज़ (शिर्कसूचक शब्द) हैं जो कुछ मुसलमानों की जुबानों पर चढ़े हुये होते हैं, जैसे: ‘मैं अल्लाह की और आपकी पनाह (आश्रय) चाहता हूँ’, ‘मैं अल्लाह पर और आप पर भरोसा करता हूँ’, ‘यह अल्लाह की ओर से तथा आपकी ओर से है’, ‘अल्लाह और आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है’, ‘मेरे लिए आसमान में अल्लाह और ज़मीन पर

आप हैं’, ‘अगर अल्लाह और फ़लाँ न होता’,(1) ‘मैं इस्लाम से बरी हूँ’, ‘हाय ज़माने की नाकामी तथा असफलता’, (और इस प्रकार का हर वाक्य जिस में ज़माने को बुरा भला कहा जाये जैसे, ‘यह काल अकाल है’, ‘यह मनहूस (अशुभ) घड़ी है’ तथा ‘ज़माना ग़दार व बेवफ़ा है’ इत्यादि, क्योंकि ज़माने को बुरा भला कहना जमाना के खालिक (स्थान) अल्लाह को बुरा भला कहना होता है), और ‘तबीअत चाही’ कहना, और हर ऐसे नाम जिसका अर्थ ग़ैरुल्लाह का बंदा हो जैसे ‘अब्दुल मसीह’ यानी मसीह ईसा का बंदा, ‘अब्दुन नबी’ यानी नबी का बंदा, ‘अब्दुर्रसूल’ यानी रसूल का बंदा और ‘अब्दुल हुसैन’ यानी हुसैन का बंदा।

इसी तरह तौहीद विरोधी नये मुस्तलहात (आधुनिक परिभाषाओं) में से चंद यह हैं: इस्लामी इश्तिराकियत (समाजतंत्र), इस्लामी जमहूरियत (गणतंत्र), अवाम की इच्छा अल्लाह की इच्छा है, दीन (धर्म) अल्लाह के लिए है और वतन (देश) सबके लिए है, अरब जातीयतावाद (कौमियत) के नाम पर, इनक़लाब (विद्रोह) के नाम पर।

और हराम अलफ़ाज़ (निषिद्ध शब्दों) में से चंद यह हैं: इंसान में से किसी को ‘शहिंशाह’ (अर्थात् ‘राजाधिराज’) कहना, या इस जैसा कोई कलिमा (शब्द) इस्तेमाल करना जैसे क़ाज़ियों का क़ाज़ी (विचारकों का विचारक)। और काफ़िर तथा मुनाफ़िक के लिए ‘सैयद’ (सर्दार) का शब्द (चाहे अरबी में या दूसरी जुबानों में हो) इस्तेमाल करना। तथा शब्द ‘अगर’ (यानी किसी चीज़ के फ़ैत हो जाने पर यह कहना कि ‘अगर’ ऐसा करता तो ऐसा होता) का प्रयोग करना, जो नाराज़गी और अफ़सोस व हसरत की दलील होती है तथा शैतान के कर्म का द्वार खोल देता है। इसी तरह यह कहना कि ‘ऐ अल्लाह! अगर तू चाहे तो मुझे माफ़ कर दे’ {अधिक जानकारी के लिए शैख़ बक़ अबू ज़ैद रचित ‘मोजमुल मनाहिल लफ़ज़िया’ नामी पुस्तक का मुताला (अध्यायन) करें}



1 अल्लामा इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फरमाया: इस किस्म के जुमलूँ (वाक्यों) में सही बात यह है कि ‘और’ की जगह ‘फ़िर’ का शब्द लाया जाए, यानी यूँ कहा जाए: मेरा सहारा अल्लाह है फिर आप हैं।

मुनाफिकों या फ़ासिकों (बहुमुखीयों या पापीयों) के साथ उन से करीब होने के लिए अथवा उनको करीब करने लिए उठना-बैठना

34

जिनके दिलों में ईमान ने अच्छी तरह जगह नहीं ली है, ऐसे बहुत से लोग कुछ पापीयों तथा दूराचारीयों के साथ उठते बैठते हैं, बल्कि कभी कभी बाज़ ऐसे लोगों के साथ मेलजोल रखते हैं जो अल्लाह की शरीअत (विधान) में ताना ज़नी (कटाक्ष) करते हैं, तथा उसके दीन और उसके औलिया का मज़ाक उड़ाते हैं, निःसंदेह यह ऐसा हराम काम है जो अङ्कीदा में ख़लल (बिगाड़) पैदा करने वाला है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي هَـٰءِ اِيَّنَا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَلَمَّا يُنِسِّيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا نَقْعُدُ بَعْدَ الْدِكْرِ رَبِّي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ٦٨]

“और जब आप उन लोगों को देखें जो हमारी आयतों में कुरेद कर रहे हैं तो उन लोगों से अलग हो जायें, यहाँ तक कि वह किसी और बात में लग जायें, और अगर आपको शैतान भुला दे तो याद आने के बाद फिर ऐसे ज़ालिम लोगों के साथ मत बैठें।” [अलअऩआम: ६८]

अतः इस हालत में उनके साथ उठना बैठना जायज़ नहीं है, गरचे (यद्यपि) करीबी रिश्तेदार ही क्यों न हों, या उनका व्यवहार मनोहर (सुंदर) तथा उनकी जुबान सुमधुर (मीठी) क्यों न हो। हाँ जो शख्स उनको दावत देने के लिए, या उनके बातिल का खंडन (रद) करने के लिए, या उनका प्रतिवाद (विरोध) करने के लिए उनके साथ बैठे तो कोई हरज नहीं है। और अगर उन से राज़ी (संतुष्ट) हो या ख़ामोशी अखिल्यार करे तो नहीं। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَلَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبه: ٩٦]

“तो अगर तुम उन से राज़ी हो भी जाओ तो अल्लाह ऐसे फ़ासिकों (दुराचारियों) से राज़ी नहीं होता।” [अत्तौबा: ६६]



नमाज़ में इतमीनान न रखना (एकाग्रता परित्याग करके जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ना)

नमाज़ में चोरी करना चोरी के महान अपराधों (अ़ज़ीम जुर्माँ) में से एक है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«أَسْوَأُ النَّاسِ سَرْقَةُ الَّذِي يَسْرُقُ مِنْ صَلَاتِهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ يَسْرُقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: «لَا يُتَمَّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا». [رواه الإمام أحمد: ٢١٠/٥، وهو في صحيح الجامع: ٩٩٧].

«लोगों में बदतर (निकृष्ट) चोर वह है जो अपनी नमाज़ में चोरी करता है!» सहाबए किराम ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ में कैसे चोरी करता है? आप ﷺ ने फ़रमाया: «नमाज़ में पूरे तौर पर न रुकूअू करता है और न सज्दा!» {मुस्नद अहमद: ५/३९०, सहीहुल जामेअू: ६६७}

नमाज़ में इतमीनान (एकाग्रता) छोड़ देना, रुकूअू और सज्दा में पीठ को सीधा न रखना, रुकूअू से उठने के बाद पूरे तौर पर खड़ा न होना और दो सज्दे के दरमियान बराबर न बैठना, यह सब ऐसी चीज़ें हैं जो मशहूर हैं तथा अकसर (अधिकांश) नमाजियों में देखी जाती हैं, और ऐसे नमाजियों से शायद ही कोई मस्जिद खाली हो। हालाँकि इतमीनान (एकाग्रता) नमाज़ का एक रुक्न है, उसके बगैर नमाज़ सही नहीं होती, अतः मामला बड़ा संगीन है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا تُجْزِي صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقْيِيمَ ظَهِيرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ». [رواه أبو داود: ٥٣٣/١، وهو في صحيح الجامع: ٧٢٢٤].

«आदमी की नमाज़ उस वक्त तक सही नहीं होती, जब तक कि रुकूअू और सज्दा में अपना पीठ सीधा न कर ले!» {अबू दाऊद: ٩/٥٣٣, सहीहुल जामेअू: ٧٢٢٤}

निःसंदेह यह मुन्कर (गर्हित/निंदित) काम है, इसका करने वाला सज़ा तथा धमकी का मुस्तहिक (हक़्कार) है। अबू अब्दुल्लाह अशअ़री رض से मरवी है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने सहाबा को नमाज़ पढ़ाकर उनके किसी गरोह (दल) में बैठ गए। इसी दौरान एक आदमी (मस्जिद में) दाखिल होकर

नमाज़ पढ़ना शुरू किया और अपने रुकूअू तथा सज्दे में ठोकर मारने लगा। यह देखकर नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«أَتَرُونَ هَذَا؟ مَنْ مَاتَ عَلَىٰ غَيْرِ مَلْهُومٍ، يُنْقُرُ صَلَاتَهُ كَمَا يُنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمْ، إِنَّمَا مَثُلُ الذِّي يَرْكُعُ وَيُنْقُرُ فِي سُجُودِهِ كَالْجَائِعِ لَا يَأْكُلُ إِلَّا التَّمْرَةَ وَالْتَّمْرَتَينَ، فَمَاذَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ؟» [رواه ابن خزيمة في صحيحه: ٢٢٢/١، وانظر صفة صلاة النبي للألباني: ١٢١].

«तुम इसे देख रहे हो? इस हालत में जिसकी मौत होगी, वह मुहम्मद की मिल्लत के अलावा पर मरेगा। यह अपनी नमाज़ में वैसे ठोकर मारता है जैसे कौवा खून में ठोकर मारता है। जो व्यक्ति रुकूअू सज्दा में ठोकर मारता है, उसकी मिसाल उस भूके की सी है जो एक ही दो खजूर खाता है, तो वह उसे क्या फ़ायदा देंगे? (यानी क्या इस से उसकी भूक दूर हो सकती है?)» {सहीह इब्नु खुज़ैमा: ٩/٣٣٢، अल्बानी की ‘सिफतु सलातिन्नबी’: ٩٣٩} और ज़ैद बिन वहब से रिवायत है, उन्होंने कहा: हुज़ैफ़ा ﷺ ने एक आदमी को अपूर्ण (गैर मुकम्मल) रुकूअू सज्दा करते हुए देखकर फ़रमाया: तुम ने नमाज़ नहीं पढ़ी, अगर इस हालत में तुम्हारी मौत हो गई, तो उस फ़ित्रत पर नहीं होगी जिस पर अल्लाह ने मुहम्मद ﷺ को पैदा फ़रमया। {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारी: ٢/٢٧٤}

नमाज़ में इत्मीनान (एकाग्रता) छोड़ने वाले पर हुक्म जानने के बाद वाजिब है कि वह उस फर्ज़ को दोहरा ले जिसका वक्त बाकी है। और जिस नमाज़ का वक्त गुज़र चुका है उसके लिए अल्लाह से तौबा करे। साबिका (गुज़री हुई) नमाज़ों का दोहराना उस पर लाज़िम (ज़रूरी) नहीं है। (क्योंकि आप ﷺ ने इत्मीनान के साथ नमाज़ न पढ़ने वाले व्यक्ति को सिर्फ़ वह नमाज़ दोहराने का हुक्म दिया था जिस में उस ने इत्मीनान को छोड़ दिया था, साबिका नमाज़ों दोहराने का हुक्म नहीं दिया था।) जैसाकि आप ﷺ ने फ़रमाया:

«إِرْجِعْ فَحَصْلَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». [رواه البخاري: ٧٥٧]

«त्वापस जाकर दोबारा नमाज़ पढ़ो, क्योंकि तुम ने नमाज़ नहीं पढ़ी।» {बुख़ारी: ٧٥٧}



नमाज़ में फुजूल काम तथा ज्यादा हरकत करना

यह भी वह आफ़त (व्यथि) है जिस से शायद ही कोई नमाज़ी महफूज़ हो। क्योंकि न वह अल्लाह के निम्नोक्त हुक्म की पाबंदी करते हैं:

﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِيتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]

“और अल्लाह तआला के लिए बा अदब (नम्रता पूर्वक) खड़े रहा करो।”
[अल्बकरा: २३८]

और न अल्लाह के निम्नोक्त वाणी (फरमान) के सही अर्थ को समझते हैं:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ حَشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٢-١]

“यकीनन (निश्चय) ईमान वालों ने फ़लाह हासिल (सफलता प्राप्त) कर ली, जो अपनी नमाज़ में खुशूअू (विनय) करते हैं।” [अलमोमिनून: ٩, ٢]

और जब नबी ﷺ से नमाज़ की हालत में सज्दा की जगह की मिट्टी बराबर करने के बारे में पूछा गया, तो आप ने फरमाया:

«لَا تَمْسَخْ وَأَنْتَ تُصْلِي، فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً تَسْوِيَ الْحَصَى». [رواه أبو داود: ١/٥٨١]
وهو في صحيح الجامع: [٧٤٥٢]

«नमाज़ की हालत में तुम कुछ न छूओ, और अगर कंकर बराबर करना ज़रूरी ही हो तो बस एक मरतबा।» [अबू दाऊद: ٩/٥٧٩, सहीहुल जामेअ०: ٧٤٥٢]

उलमा किराम ने फरमाया कि बगैर ज़रूरत के लगातार ज्यादा हरकत नमाज़ को बातिल कर देती है। तो नमाज़ के दौरान फुजूल हरकत करने वालों का क्या होगा जो अल्लाह के सामने खड़े होकर कभी अपनी घड़ी की तरफ़ देखते हैं, या कपड़े ठीक करते हैं, या नाक में उंगली डालते हैं, और कभी दायें बायें तथा आसमान की ओर ताकते हैं। और वह इस बात से नहीं डरते कि उनकी निगाहें उचक ली जाएं और यह कि शैतान उनकी नमाज़ छीन ले।



जान-बूझकर मुक्तदी का अपने इमाम पर सबक़त ले जाना (इमाम से पहले कुछ करना)

38

जल्द बाज़ी इंसान की तबीअत (स्वभाव) में से है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَكَانَ إِلَّا إِنْسَنٌ عَجُولًا﴾ [الإِسْرَاء: ١١]

“और इंसान है ही बड़ा जल्द बाज़।” {अलइस्राः ٩٩}

और नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«الثَّانِي مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ». [رواه البيهقي في السنن الكبرى: ١٠٤/١٠، وهو في السلسلة: ١٧٩٥]

«बुर्दबारी (सहिष्णुता) अल्लाह की तरफ से तथा जल्द बाज़ी शैतान की तरफ से होती है।» {बैहकी की किताब अस्सुननुल कुबरा: ٩٠/٩٠٨, सिलसिला: ١٧٦٥}

आदमी जमाअत में खड़ा होकर बहुधा यह लक्ष्य करता (अक्सर यह देखता) होगा कि उसके दायें बायें नमाज़ पढ़ने वाले बहुत से लोग और कभी कभी खुद भी रुकूअू या सज्दे में, और उमूमन (प्रायः) तक्बीरे तह्रीमा के अलावा दीगर तक्बीरों में, यहाँ तक कि सलाम फेरने में भी अपने इमाम पर सबक़त ले जाते हैं। यह वह अ़मल है जो बहुतों के नज़्दीक अहम (महत्वपूर्ण) नहीं है, हालाँकि इस बारे में नबी ﷺ की जुबानी सख्त धमकी आई है:

«أَمَا يَخْشَى النَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحْوَلَ اللَّهُ رَأْسُهُ رَأْسٍ حِمَارٍ». [رواه مسلم: ٣٢١-٣٢٠/١]

«क्या वह शब्स जो इमाम से पहले अपना सर उठाये इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह तआला उसके सर को गधे के सर में बदल दे?» {मुस्लिम: ٩/٣٢٠, ٣٢٩}

नमाज़ी को नमाज़ के लिए आते हुए अगर सुकून व वक़ार (शांति व गांभीर्य) के साथ आने का हुक्म है, तो भला नमाज़ के दौरान उसका क्या हाल होना चाहिए?

कभी कभी कुछ लोगों के यहाँ इमाम पर सबक़त ले जाने का विषय इमाम से

पीछे रहने के विषय के साथ ख़लत मलत हो जाता है (यानी कुछ लोग यह ख़्याल करते हैं कि इमाम से पहले कुछ करना उसके बाद करने की तरह है), तो जान लेना चाहिए कि फुक़हा ने इस मसले में एक अच्छा कायदा उल्लेख किया है, वह यह कि मुक्तदी को उस वक्त हरकत शुरू करनी चाहिए जब इमाम की तक्बीर ख़त्म हो जाए, अर्थात् इमाम जब अल्लाहु अक्बर के 'र' से फ़ारिग़ हो जाए तो मुक्तदी हरकत शुरू करे, न उस से पहले न उसके बाद। और इस तरह से मामला सुलझ (समस्या दूर हो) जाएगा। रसूलुल्लाह ﷺ के सहाबा ﷺ बहुत ज़्यादा हरीस (आग्रही) थे कि आप पर सबक़त न ले जाएं। बरा बिन आज़िब ﷺ फ़रमाते हैं:

«إِنَّهُمْ كَانُوا يُصْلِّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ أَرَأَهُدَا يَحْنِي ظَهِيرَهُ حَتَّىٰ يَضْعَرْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَبْهَتُهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ وَرَاءِهِ سُجَّدًا». [رواه مسلم برقم: ٤٧٤، ط. عبد الباقي]

«वह लोग (सहाबए किराम) अल्लाह के रसूल ﷺ के पीछे नमाज़ पढ़ते थे। जब आप रुकूअू से अपना सर उठाते, तो मैं किसी को उस वक्त तक अपना पीठ झुकाते हुए न देखता, जब तक रसूलुल्लाह ﷺ अपनी पेशानी ज़मीन पर न रख लेते, फिर आपके पीछे के लोग सज्दा में जाते» {मुस्लिम, हरीस नम्बर: ४७४}

और जब नबी ﷺ की उम्र ज़्यादा हो गई और आपकी हरकत में कुछ धीमापन (धीरता) आ गया, तो आप ने अपने पीछे नमाज़ पढ़ने वालों को तम्बीह करते (चेतावनी देते) हुए फ़रमाया:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ بَدَنْتُ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ». [رواه البيهقي: ٩٣/٢، وحسنہ فی ابرواء الغلیل: ٢٩٠/٢].

«ऐ लोगो! मैं उम्र दराज़ हो गया हूँ, अतः तुम रुकूअू व सज्दा में मुझ पर सबक़त न ले जाओ (यानी मुझ से पहले रुकूअू सज्दा न करो)» {बैहकी: २/६३, अलबानी ने इसे इरवाउल ग़लील में हसन कहा है: २/२६०}

और इमाम को चाहिए कि वह नमाज़ के दौरान तक्बीर (अल्लाहु अक्बर कहने)

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

में उस सुन्नत पर अङ्गल करे, जो अबू हुरैरा ﷺ से मरवी (वर्णित) हडीस में आया है:

40

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ .. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَاسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَاسَهُ، ثُمَّ يَفْعُلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلَّهَا حَتَّى يَتَضَبَّبَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الشَّتَّنَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ».

[رواه البخاري برقم: ٧٥٦، ط. البغا]

«रसूलुल्लाह ﷺ जब नमाज़ के लिए खड़े होते तो तक्बीर कहते। फिर जब रुकूअू करते तो तक्बीर कहते। -- फिर जब सज्दा के लिए झुकते तो तक्बीर कहते। फिर जब सज्दा से सर उठाते तो तक्बीर कहते। फिर जब सज्दा करते तो तक्बीर कहते। फिर जब सज्दा से सर उठाते तो तक्बीर कहते। फिर अपनी पूरी नमाज़ में ऐसा ही करते, यहाँ तक कि नमाज़ पूरी फ़रमाते। और दूसरी रक़अ़त के तशह्वुद के बाद उठते हुए तक्बीर कहते।» {बुखारी, हडीस नम्बर: ٧٥٦}

अगर इमाम अपनी हरकत के साथ साथ तक्बीर कहे, और मुक्तदी मज़कूर कैफियत (उल्लिखित नियम) की पाबंदी करे, तो नमाज़ के सिलसिले में पूरी जमाअत का मामला दुरुस्त हो जाएगा।



पियाज़, लहसुन या कोई बदबू (कुबास) वाली चीज़ खा पी कर मस्जिद में आना

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿يَبْنَىٰ إِذَمْ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَكُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الاعراف: ٢١]

“ऐ आदम की औलाद! तुम हर नमाज़ के समय ज़ीनत अपनाओ (यानी सुंदर लिबास पोशाक पहनो)।” {अल्लाराफ़: ٣٩}

जाविर ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

«مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَالًا فَلَيَعْتَرِلْنَا» أَوْ قَالَ: «فَلَيَعْتَرِلْ مَسْجِدَنَا وَلَيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ». [رواه البخاري، انظر الفتح: ٣٣٩/٢].

«जो लहसुन या पियाज़ खाए वह हम से अलग रहे ॥» या आप ने फरमाया:
«वह हमारी मस्जिद से अलग रहे और अपने घर में बैठा रहे ॥» {बुखारी, देखें
फत्हुल बारी: २/३३६} और मुस्लिम की एक रिवायत में है:

«مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَاثَ فَلَا يَقْرِبُنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأْذِي مِمَّا يَأْتَذِي مِنْهُ بَنُو آدَمَ». [رواه مسلم: ٣٩٥/١].

«जो पियाज़, लहसुन या लीक (Leek पियाज़ जैसा पौदा) खाए, वह हमारी
मस्जिद से क़रीब न हो, क्योंकि जिन चीज़ों से आदम की औलाद को तक्लीफ
होती है, उन चीज़ों से फ़रिश्तों को भी तक्लीफ़ होती है ॥» {मुस्लिम: १/३६५}

और उमर बिन ख़त्ताब ﷺ ने जुमुआ के दिन खुत्बा देते हुए अपने खुत्बे में फरमाया:
«ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتِيْنِ: هَذَا الْبَصَلُ وَالثُّومُ، لَقَدْ رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمْرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ
أَكَلَهُمَا فَلَيُمُتْهِمْهُمَا طَبْحًا». [رواه مسلم: ٣٩٦/١].

«फिर ऐ लोगो! तुम दो दरख्त (सब्जी) खाते हो, मैं समझता हूँ कि वह गंदी हैं:
वह पियाज़ और लहसुन हैं। मैं ने रसूलुल्लाह ﷺ को देखा कि अगर मस्जिद
में किसी के मुँह से इसकी बदबू आती, तो आप उसे निकालने का हुक्म देते,
पस उसे बकीअू की तरफ निकाल दिया जाता। अतः जो उसे खाना चाहे, उसे
चाहिए कि पका कर उसकी बू ख़त्म कर दे ॥» {मुस्लिम: १/३६६}

इसी के ज़िम्म में वह लोग भी हैं जो अपने कामों से फ़ारिग़ होने के फौरन
बाद मस्जिदों में दाखिल होते हैं, इस हाल में कि उनके बग़लों तथा मोज़ों से
बदबू आती रहती है।

इस से भी बदतर (जघन्य) वह धूमपायी हैं जो हराम धूमपान करके मस्जिदों में दाखिल
होते हैं और अल्लाह के बंदों यानी फ़रिश्तों तथा नमाज़ियों को तक्लीफ़ देते हैं।



जिना (व्यभिचार)

इस्लामी शरीअत के अग्राराज़ व मकासिद (लक्ष्य तथा उद्देश्यों) में से इज्ज़त व आबरू तथा नस्ल व वंश की हिफाज़त करना है। इसी लिए शरीअत ने ज़िना की हुर्मत (हराम होने) का एलान किया। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَلَا نَفْرِبُوا لِلّٰهِ إِنَّهُ كَانَ فَرِحَشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا﴾ [الاسراء: ٣٢]

“सावधान! ज़िना के क़रीब भी न जाना, क्योंकि वह बड़ी बेहयाई (निर्लज्जता) और बहुत ही बुरी राह (मार्ग) है।” {अल्लाहस्तरा: ३२}

बल्कि शरीअत ने पर्दा करने तथा निगाहें नीची रखने का हुक्म देकर और अजनबी औरत (परनारी) के साथ तनहाई अखिलायार करने आदि के हराम होने का फ़रमान जारी करके ज़िना तक पहुँचाने वाले सारे अस्बाब व माध्यमों तथा रास्तों को बंद कर दिया है।

ज़ानी (व्यभिचारी) अगर शादी शुदा (विवाहित) हो, तो उसको सख्त तथा कठिन सज़ा दी जाएगी, यानी उसे संगसार किया (पत्थरों से मारा) जाएगा यहाँ तक कि वह मर जाए, ताकि वह अपने किये का मज़ा चख ले, और उसके शरीर का हर अंग उस तरह तकलीफ महसूस (कष्ट अनुभव) करे जिस तरह कि वह हराम काम (ज़िना) से तृप्ति भोग किया (लुत्फ़ अंदोज़ हुआ) था। और अगर ज़ानी (व्यभिचारी) गैर शादी शुदा (अविवाहित) हो, तो उसे शरई हुदूद (दंडविधि) में कोड़े के सिलसिले में वारिद (प्रमाणित) संख्या में सब से ज्यादा संख्या यानी सौ कोड़े मारे जायेंगे। साथ साथ उसे अपमान (रुसवा) किया जाएगा, क्योंकि मोमिनों की एक जमाअत की उपस्थिति (मैजूदगी) में उसे दंडित किया जाएगा (सज़ा दी जाएगी), और पूरे एक साल के लिए उसके शहर से तथा अपराध स्थल (जुर्म की जगह) से निकाल दिया (जला वतन किया) जाएगा।

बरज़ख (मरने के वक्त से दोबारा उठने तक का ज़माना) में ज़ानी व ज़ानिया (व्यभिचारी तथा व्यभिचारीणी) की सज़ा यह होगी कि वह एक ऐसे तन्नूर (तंदूर) में हूँगे जिसका ऊपरी हिस्सा तंग और निचला हिस्सा कुशादा होगा। उसके नीचे

आग जलती होगी इस हाल में कि वह नंगे हूँगे। जब उन्हें दग्ध किया जाएगा (उन पर आग जलाई जाएगी), तो वह इस ज़ोर से चीख़ेंगे कि क़रीब है कि बाहर निकल आयें। फिर जब आग बुझ जाएगी तो वह उसी में दोबारा लौट जायेंगे। और क़ियामत तक उनके साथ ऐसा ही मामला किया जाएगा।

और उस आदमी का मामला बड़ा ही बदतर (जघन्य) है जो उम्र दराज़ होने तथा क़ब्र से क़रीब पहुँचने और अल्लाह की तरफ से मुहलत (अवकाश) पाने के बावजूद ज़िना करता रहता है। अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा: नबी ﷺ ने फ़रमाया:

『تَلَاثَةُ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا هُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ: شَيْخٌ رَّانٌ، وَمَلِكٌ كَدَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ』۔ [رواه مسلم: ۱۰۲-۱۰۳]

«तीन आदमी हैं, क़ियामत के दिन न अल्लाह उनसे बात करेगा, न उनको पाक करेगा और न उनकी तरफ देखेगा, तथा उनके लिए दर्दनाक अ़ज़ाब होगा: बूढ़ा ज़ानी, झूठा बादशाह और घमंडी फ़क़ीर ॥» {मुस्लिम: ۹/۹۰۲-۹۰۳}

निकृष्ट तथा जघन्य (बदतरीन) कमाई में से वह कमाई है जो ज़ानिया (व्यभिचारीणी) ज़िना के मुकाबिल में लेती है। शर्मगाह को कमाई का ज़रीया बनाने वाली औरत (ज़ानिया) उस समय की दुआ के कबूल होने से महसूस तथा वंचित रहती है जब आधी रात को आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ज़खरत और मुहताजी कभी भी अल्लाह की हड्डों को पामाल करने के लिए शरई उम्र नहीं बन सकती। पहले ज़माना में लोग कहते थे: आज़ाद औरत भूकी रहना गवारा करे, लेकिन दूध बेचके न खाए (यानी उजरत लेकर भी दूसरे बच्चे को दूध पिलाए), तो कैसे वह अपना शर्मगाह बेचके खा सकती है?!

मौजूदा दौर में बदकारी के सारे दरवाज़े खोल दिए गए हैं। और शैतान ने अपने तथा अपने चेलों के मक्क व फ़रेब के ज़रीया उसका रास्ता आसान कर दिया है। और नाफ़रमानों तथा पापाचारों ने उसकी इत्तिबा (अनुसरण) की, जिसके नतीजा में बेर्दगी और बेहयाई आम हो गई, निगाह तथा हराम दृष्टि आवारा हो

गई, समागम (इख़तिलात) मुंतशिर हो गया, घृणास्पद पत्र-पत्रिकाओं (हया सोज़ मेंगज़ीनों) तथा बेहया फ़िल्मों का प्रचलन (दौर दौरा) हो गया, पाप के मुल्कों में अधिकाधिक (कसरत से) सफर किया जाने लगा, वेश्यावृत्ति (रंडीगीरी) का बाज़ार गरम हो गया, इज़ज़तों का लूटना आम हो गया, हरामी औलाद (जारज संतानों) की संख्या बढ़ गई और भ्रूण (गर्भस्थ बच्चों) का हत्या ज्यादा हो गया।

अतः ऐ अल्लाह! हम तेरी रहमत, तेरी मेहरबानी, तेरी पर्दापेशी और तेरी हिफ़ाज़त की तुझसे भीक माँगते हैं। बेहयाई तथा बदकारी से तू हमारी हिफ़ाज़त फ़रमा। हमारे दिलों को पाक-पवित्र कर दे, हमारे शर्मगाहों की हिफ़ाज़त फ़रमा और हमारे दरमियान तथा हराम के दरमियान ज़बरदस्त आड़ और मज़बूत पर्दा खड़ा कर दे।



लिवातत (समलिंगी व्यभिचार)

लूत ﷺ की कौम का जुर्म यह था कि वह मर्दों से अपनी ख़ाहिश पूरी करते थे। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَحْشَةَ مَا سَبَقَ كُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾٢٨﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَكَارٍ كُمْ أَمْنُكَرٌ فَمَا كَانَ جَوَابٌ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَاتَلُوا أَنْتُنَا بِعَذَابٍ أَللَّهُ إِنْ كَثُنَتْ مِنْ أَصْنَدِقِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٩-٢٨]

“और लूत ﷺ का भी ज़िक्र करो जबकि उन्होंने अपनी कौम से फ़रमाया कि तुम तो उस बदकारी पर उतर आए हो जिसे तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने नहीं किया। क्या तुम मर्दों के पास बद फेली (कुकर्म) के लिए आते हो और रास्ते बंद करते हो, और अपनी आम मज़लिसों में बेहयाइओं का काम करते हो? इसके जवाब में उसकी कौम ने इसके अलावा और कुछ नहीं कहा कि बस जा अगर सच्चा है तो हमारे पास अल्लाह तआला का अ़ज़ाब ले आ!”
 {अलअनकबूत: २८-२६}

उक्त अपराध के निकृष्ट, जघन्य तथा विपज्जनक (क़बीह व बदतर और ख़तीर)

होने के कारण अल्लाह तआला ने उन्हें चार किस्म की सज़ाओं से दोचार किया, जबकि एक साथ चार किस्म की सज़ाएं उनके अलावा किसी और पर नाज़िल नहीं की गई। सज़ाएं यह हैं: अल्लाह तआला ने उनकी दृष्टि ज्योति विलुप्त (आँखों की रोशनी ख़त्म) कर दिया। और उनकी बस्ती को उलट पलट कर दिया, ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया। और उन पर कंकड़ीले पत्थरों की बारिश बरसाई जो तह पर तह थे। तथा उन पर चीख़ (ज़ोर की कड़क) भेजा।

इस्लामी शरीअत में -राजेह कौल के मुताबिक़ / प्राबल्य मतानुसार- लिवातत करने और कराने वाले दोनों की सज़ा तलवार से हत्या है, अगर वह दोनों की रिज़ामंदी और अखिलयार से हुई हो। इन्हे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطِ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ». [رواه الإمام أحمد: ٢٠٠١، وهو في صحيح الجامع: ١٥٦٥]

«अगर तुम किसी को लूट की कौम जैसा फेल (कुर्कम) करते हुए पाओ तो करने तथा कराने वाले दोनों की हत्या कर दो» {मुस्नद अहमद: १/३००, सहीहुल जामेअ०: ६५६५}

मौजूदा दौर में फुहश और बदकारी के कारण महामारी (प्लेग) तथा मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, जो हमारे पूर्वजों में नहीं थीं, जैसे एड्रेस जैसी क़ातिल बीमारी। विधानदाता (शारेअ०) ने इस बदकारी की जो सख्त सज़ा मुक़र्रर की है, वह उसकी हिक्मत पर दलालत करती है।



बीवी का बिना किसी शरई उज्ज्व के शौहर के बिस्तर पर आने से इनकार करना

अबू हुरैरा رضي الله عنه سे रिवायत है, उन्होंने कहा: नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاسَهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَّتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَّ». [رواه البخاري, انظر الفتاح: ٦/ ٣١٤]

«जब शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वह आने से इनकार करे, जिसके सबब शौहर नाराज़ होकर रात गुजारे, तो फ़रिश्ते सुबह होने तक उस पर लानत भेजते रहते हैं» {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ६/३९४}

अगर मियाँ बीवी में तू तू मैं मैं हो जाता है तो बहुत सी बीवी -अपने गुमान में- अपने शौहर को उसके बिस्तर में न जाकर तथा उसका हक़ न देकर सज़ा देती है। हालाँकि इससे बड़ी बड़ी ख़राबियाँ सामने आती हैं, जैसे: शौहर का हराम में वाकेअू (व्यभिचार में पतित) होना। और कभी कभी मामले बीवी के खिलाफ़ हो जाते हैं, पस शौहर बज़िद होकर (हठ में आकर) उस पर दूसरी शादी करने के बारे में सोचता है।

अतः नबी ﷺ के निम्नोक्त फ़रमान को बजा लाते हुए बीवी पर वाजिब है कि शौहर के बुलावे पर लब्बैक कहे यानी फौरन् हाजिर हो। नबी ﷺ ने फ़रमाया: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فَرَاسِهِ فَلْتُجِبْ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتْبٍ». [انظر زوائد البزار: ٥٤٧، وهو في صحيح الجامع: ١٨١/٢]

«अगर शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए, तो चाहिए कि वह उसे कबूल करे, अगरचे वह हौदा पर हो» {देखें ज़वाहिदुल बज़्ज़ार: २/१८९, सहीहुल जामेअू: ५४७} तथा शौहर को चाहिए कि बीवी अगर बीमार, हामिल (गर्भवती) अथवा व्याकुल (बेचैन) हो, उसका ख़्याल रखें, ताकि मुहब्बत का बंधन अटूट रहे तथा अनबन की नौबत न आए।



बीवी का बिना किसी शरई उङ्ग्र के अपने शौहर से तलाक़ तलब करना

बहुत सी बीवी छोटी मोटी बातों पर अपने शौहरों से तलाक़ तलब करने में जल्दी करती हैं। अथवा बीवी तलाक़ का मुतालबा करती है जब शौहर उसे उसकी इच्छानुसार धन (ख़ाहिश के मुताबिक़ माल) न दे। और कभी कभी बीवी इस पर

अपने बाज़ फ़सादी रिश्तेदारों या पड़ोसियों की तरफ से उदबुद्ध की (उकसाइ) जाती है। और बीवी कभी शौहर को ऐसा जुम्ला (वाक्य) कहकर ललकारती है कि उसके पढ़े जोश में आ जाते हैं, जैसे: अगर तुम मर्द हो तो मुझे तलाक़ दे दो।

यह बात किसी से मख़फ़ी (पोशीदा) नहीं कि तलाक़ के कारण बहुत सारे नुक़सानात (क्षतियाँ) सामने आते हैं, जैसे: ख़ानदान का बिखर जाना, बच्चों का विक्षिप्त (तितर बितर) हो जाना। और फिर बाद में वह उस वक्त पछताती है जब पछतावा किसी काम में नहीं आता। मज़कूरा (उल्लिखित) नुक़सानात तथा दीगर नुक़सानात को मद्दे नज़र रखते हुए शरीअत ने बगैर किसी उङ्ग्र के तलाक़ तलब करने को हराम क़रार दिया है। सौबान ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा: رَسُولُ اللّٰهِ أَنَّمَا امْرٰةً سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ۔ [رواه أحمد: أئِمَّا امْرَأٰةٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ۔]

[رواه أحمد: أئِمَّا امْرَأٰةٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ۔]

[صحيح الجامع: ٢٧٧٣]

«कोई भी औरत अपने शौहर से बगैर किसी सबब के तलाक़ माँगे, तो उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है।» {मुस्नद अहमद: ५/२७७, सहीहुल जामेअ: २७०३} और उक्बा बिन अमीर ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा: رَسُولُ اللّٰهِ أَنَّمَا امْرٰةً سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ۔

«إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ وَالْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ۔» [رواه الطبراني في الكبير: ١٧، ٣٣٩، وهو في صحيح الجامع: ١٩٣٤]

«खुलूआ लेने वाली तथा तलाक़ चाहने वाली औरतें ही मुनाफ़िक़ हैं।» {तबरानी कबीर: ٩٧/٣٢٦, सहीहुल जामेअ: ٩٦٣٨}

हाँ, अगर कोई शरई कारण हो, जैसे: शौहर का नमाज़ न पढ़ना, मादक द्रव्य सेवन (नशीली चीज़ें इस्तेमाल) करना, शौहर का बीवी को किसी हराम काम पर मजबूर करना, या उसे कष्ट देकर अथवा उससे उसके शरई हुकूक (अधिकार) रोककर उस पर अन्याय करना। और शौहर को नसीहत करने के बावजूद भी अगर कोई फ़ायदा न हो तथा उसके इस्लाह (संशोधन) की कोई कोशिश कार आमद (लाभ दायक) न हो, तो ऐसी स्थिति में बीवी का अपने दीन व नफ़स की हिफ़ाज़त की ख़ातिर शौहर से तलाक़ का मुतालबा करने में कोई हरज नहीं है।

ज़िहार

पहली जाहिलियत के अलफ़ाज़ (शब्दों) में से जो इस उम्मत में आम तथा प्रचलित है 'ज़िहार' है। जैसे: शौहर का अपनी बीवी से कहना कि 'तू मुझ पर मेरी माँ के पीठ की तरह है' या 'तू मुझ पर उसी तरह हराम है जिस तरह कि मेरी बहन है'। इनके अलावा और भी अन्य जघन्य (दीगर बुरे) अलफ़ाज़ हैं जो शरीअत की दृष्टिकोण (नुक्तए नज़र) से नापसंदीदा है, क्योंकि इसमें औरत पर जुल्म है। अल्लाह तआला ने इसका वस्फ (गुण) वयान करते हुए फ़रमाया:

﴿الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَمَّا هُنَّ بِنِسَائِهِمْ إِنَّ أَمْهَمَهُمْ لِإِلَّا أَنَّهُنَّ وَالَّذِينَ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ عَنْ ظُورٍ﴾ [المجادلة: ٢]

"तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं (यानी उन्हें माँ कह बैठते हैं) वह वास्तव में उनकी माएं नहीं बन जातीं, उनकी माएं तो वही हैं जिनके पेट से वह पैदा हुए, निश्चय यह लोग एक अनुचित (नामाकूल) और झूटी बात कहते हैं, बेशक अल्लाह तआला क्षमा करने वाला और माफ़ करने वाला है।" [अल्मुजादला: २]

शरीअत ने इसका मुग़ल्लज़ा (सख्त तथा कठिन) कफ़्फारा मुकर्रर किया है, जो कि गुलती से क़त्ल करने के कफ़्फारा के मुशाबिह (सदृश) तथा रमज़ान के महीने के दिन में हम्बिस्तरी (संभोग) करने के कफ़्फारा के मिस्त्र है। ज़िहार करने वाला जब तक कफ़्फारा न अदा कर दे तब तक उसके लिए अपनी बीवी के पास जाना जायज़ नहीं है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ مُمْبَحِّرُونَ لَمَا قَالُوا فَتَحَرِّرُ رَبَّةٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّاسَ ذَلِكُمْ ثُوعَطُونَ بِهِ، وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ حَيْرٌ ﴿٢﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيمًا شَهَرِيْنَ مُتَتَابِعِيْنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّاسَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتَّيْنَ مُسْكِنًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَلَاقَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المجادلة: ٤-٢]

"और जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करें, फिर अपनी कही हुई बात वापस लें, तो उनके जिम्मा आपस में एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक गुलाम

आज़ाद करना है, इसके ज़रीया तुम नसीहत किए जाते हो, अल्लाह तआला तुम्हारे तमाम आमाल से बाख़बर (ज्ञाता) है। हाँ, जो शख्स न पाए उसके ज़िम्मा दो महीनों के लगातार रोज़े हैं इससे पहले कि एक दूसरे को हाथ लगाएं, और जिस शख्स को यह ताक़त भी न हो उस पर साठ मिसकीनों का खाना खिलाना है। यह इस लिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। यह अल्लाह तआला की मुकर्रर कर्दा हदें (निर्धारित की हुई सीमाएं) हैं, और काफ़िरों ही के लिए दर्दनाक अज़ाब है।” {अल्मुजादला: ३-४}



हैज (माहवारी) की हालत में हम्बिस्तरी (संभोग) करना

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ وَلَا نَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

“और वह आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए वह गंदगी है, हैज़ की हालत में औरतों से अलग रहो, और जब तक वह पाक न हो जाएं उनके करीब न जाओ।” {अलबक़रा: २२२}

पाकी के बाद जब तक वह गुस्त न कर ले, उससे संभोग करना हलाल नहीं है। क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿فَإِذَا تَطَهَّرَنَ فَأَتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

“हाँ जब वह पवित्र हो जायें, तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें आज्ञा प्रदान की है।” {अलबक़रा: २२२}

आप ﷺ की निम्नोक्त वाणी इस नाफ़रमानी के घिनावने होने पर दलालत करती है:

«مَنْ أَتَىٰ حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ». [رواه الترمذى: ٢٤٣، وهو في صحيح الجامع: ٥٩١٨]

«जो हैज़ की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करे, अथवा उसकी सुरीन (मलद्वार) में सहवास करे, या किसी काहिन (ज्योतिषी) के पास जाये, तो उसने उस चीज़ का कुफ़ किया जो मुहम्मद पर उतारा गया ॥» [तिरमिज़ी: ۱/۲۸۳، سहीहुल जामेअ: ۵۶۹۷]

जो शख्स अनिच्छाकृत (बिला क़स्द) ग़लती से तथा अज्ञता (लाइल्मी) में हैज़ वाली औरत से हमबिस्तरी कर ले उस पर कोई कफ़्फ़ारा नहीं है। लेकिन जो शख्स इच्छाकृत (अ़म्दन) तथा जानबूझ कर उससे हमबिस्तरी करे तो उस पर उलमा में से उन उलमा के कौल के मुताबिक (मतानुसार) जिन्होंने कफ़्फ़ारा की हदीस को सहीह करार दिया है, एक दीनार या आधा दीनार कफ़्फ़ारा है। बाज़ उलमा ने कहा: उसे अखित्यार है दोनों में से जो चाहे दे। और बाज़ उलमा ने कहा: अगर हैज़ की शुरुआत में जब खून का बौछार हो हमबिस्तरी करे तो उस पर एक दीनार है। और अगर हैज़ के अंत (अखीर) में जब खून आना कम हो जाए, या हैज़ से पाकी हासिल करने का गुस्त करने से पहले हमबिस्तरी करे तो उस पर आधा दीनार कफ़्फ़ारा है। आजकल एक दीनार बराबर ४,२५ ग्राम सोना है। या उक्त मिक्दार सोना सदक़ा करेगा या मौजूदा क़ंसी में उसकी कीमत अदा करेगा।^(۱)



बीवी की सुरीन (मलद्वार) में सहवास करना

कमज़ोर ईमान वालों में से कुछ उल्टा चलने वाले लोग अपनी बीवी की सूरीन में सहवास करने से परहेज़ नहीं करते हैं, जबकि यह कबीर गुनाहों में से है, और नबी ﷺ ने इसके करने वाले पर लानत फ़रमाई है। अबू हुरैरा رضي الله عنه سे रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَلْعُونٌ مِّنْ أَنَّى امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا». [رواه الإمام أحمد: ۴۷۹/۲، وهو في صحيح الجامع: ۵۸۶۵].

1 अल्लामा इब्ने बाज़ रहेमहुल्लाह ने फ़रमाया: सही यह है कि उसे एक दीनार तथा आधा दीनार के दरमियान अखित्यार है, चाहे हमबिस्तरी हैज़ के शुरू में हुई हो या अखीर में। और एक दीनार बराबर चार बटा सात सज़्दी पाउंड है, और उसका आधा दो बटा सात सज़्दी पाउंड है, क्योंकि सज़्दी पाउंड पैने दो दीनार का होता है।

«जो शख्स अपनी बीवी की सुरीन में सहवास करे वह मलूँन (अभिशप्त) है» [मुस्नद अहमद: २/४७६, सहीहुल जामेओ: ५८६५]

बल्कि नबी ﷺ ने फरमाया:

«مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ». [رواه الترمذى: ۲۴۳، وهو في صحيح الجامع: ۵۹۱۸].

«जो हैज़ की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करे, अथवा उसकी सुरीन (मलद्वार) में सहवास करे, या किसी काहिन (ज्योतिषी) के पास जाये, तो उसने उस चीज़ का कुफ़ किया जो मुहम्मद पर उतारा गया» [तिर्मिज़ी: १/२४३, सहीहुल जामेओ: ५८७८]

बहुत सी सुशीला (सलीमुल फितरत) बीवी इससे इनकार करती हैं, मगर बाज़ शौहर उन्हें तलाक़ की धमकी देते हैं अगर वह उनकी बात न मानें। और बाज़ शौहर कभी कभी अपनी बीवी को -जो इस बारे में उलमा से सवाल करने से शरमाती है- यह कहकर धोका तथा भ्रम (वह्रम) में डाल देते हैं कि यह अमल जायज़ है। और बसा ओकात (कभी कभी) अपनी बात की ताईद व समर्थन में अल्लाह तआला का यह फरमान पेश करते हैं:

﴿سَاقُوكُمْ حَرَثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَنْ شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ۲۲۳]

“तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ।”
{अलबकरा: २२३}

हालाँकि यह बात मालूम है कि सुन्नत (हदीस) कुरआन की शरह तथा व्याख्या करती है। इसकी शरह करते हुए नबी ﷺ ने फरमाया कि शौहर जैसे चाहे अपनी बीवी से मिले, शर्त यह है कि वह बच्चा पैदा होने की जगह में हो। और यह किसी से मख़फ़ी (गोपन) नहीं कि सुरीन तथा पाख़ाना का रास्ता बच्चा पैदा होने की जगह नहीं है। इस जुर्म के अस्बाब में से हराम अनोखी महारत के साथ -जो गंदी जाहिलियत सभ्यता (तहजीब) की देन है-, या फुहश फ़िल्मों की तस्वीरों से भरा ज़ेहन व दिमाग़ के साथ तौबा किए बिना पाक साफ़ इज़दिवाजी

(वैवाहिक) ज़िंदगी में प्रवेश करना है। और यह बात मालूम है कि यह काम हराम है, गरचे दोनों सहमत (राजी) हूँ, क्योंकि हराम पर उभय पक्ष की सम्मति (तरफैन की रिजामंदी) उसे छलाल नहीं कर सकती।



बीवियों के दरमियान इंसाफ (न्याय) न करना

अल्लाह तआला ने अपनी किताब कुरआन में जिन चीजों की वसीयत की है, उनमें से एक बीवियों के दरमियान अ़दलू व इंसाफ करना है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَنَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْدُ لِوَانِيَنَ النَّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِئُوا كُلَّ الْمَيْدَلِ فَتَذَرُّوهَا كَالْمُعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْبِحُوا وَتَتَقَوَّا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ١٢٩]

“तुमसे यह तो कभी न हो सकेगा कि अपनी तमाम बीवियों में हर तरह अ़दलू व इंसाफ करो, गो तुम इसकी कितनी ही ख़ाहिश व कोशिश कर लो। इस लिए बिल्कुल ही एक की तरफ़ झुक कर दूसरी को अधड़ लटकती हुई न छोड़ो। और अगर तुम सुधार कर लो तथा परहेज़गारी अख्तियार करो तो बेशक अल्लाह तआला माफ़ करने वाला और दया करने वाला है।” {अन्निसा: ٩٢٦}

अ़दलू व इंसाफ करने का मतलब यह है कि शौहर अपनी बीवियों के दरमियान रात गुज़ारने, खिलाने-पिलाने और पहनाने में हर एक का हक़ अदा करने में इंसाफ़ करे। दिली मुहब्बत में अ़दलू व इंसाफ़ करना मुराद नहीं है। क्योंकि दिल बंदे के बस में नहीं है। और बाज़ लोग जिनकी एकाधिक बीवियाँ हैं किसी एक की तरफ़ झुक जाते हैं और दूसरी बीवियों का स्थाल नहीं रखते हैं। एक ही के पास ज्यादा रात गुज़ारते हैं, या एक ही पर ख़र्च करते हैं और दूसरी को छोड़ देते हैं। जबकि ऐसा करना हराम है। और ऐसा शख्स कियामत के दिन उस अवस्था में आयेगा जिसका ज़िक्र (उल्लेख) हडीस में यूँ आया है। अबू हुरैरा رض से मरवी (वर्णित) है, उन्होंने कहा: नबी صل ने फ़रमाया:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَاتٌ، فَمَا إِلَى احْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقِّهِ مَائِلٌ». [رواه أبو داود: ٦٤٩١، وهو في صحيح الجامع: ٦٠١/٢]

«जिसकी दो बीवियाँ हूँ, और वह उन दोनों में से किसी एक की तरफ मायल हो, तो वह कियामत के दिन इस हाल में आयेगा कि उसका एक हिस्सा झुका हुआ होगा ॥» {अबू दाऊद: २/६०१, सहीहुल जामेअ: ६४६९}



परनारी के साथ निर्जनता (अजनबी औरत के साथ तनहाई में रहना)

शैतान लोगों को फ़िल्ता में डालने और हराम में पतित करने पर बड़ा हरीस (तत्पर तथा लालची) है। इसी लिए अल्लाह तआला ने हमें सतर्क (तम्बीह) करते हुए फ़रमाया:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْبِغُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَنْبَغِي خُطُوبَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النور: ٢١]

“ऐ ईमान वालो! शैतान की इत्तिबाअ (अनुसरण) न करो, जो शैतान की पदांक अनुसरण करेगा (कदम बक़दम चलेगा), तो वह तो बेहयाई और बुरे कामों का ही हुक्म करेगा।” {अन्नूर: २७}

शैतान आदम संतान के रग व रेशे में दौड़ता है। और बुरे कामों में पतित (वाकेअ) करने वाले शैतान के रास्तों में से एक अजनबी औरत के साथ तनहाई में रहना है। इसी लिए शरीअत ने इस रास्ता को बंद कर दिया। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأُمْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ». [رواه الترمذى: ٤٧٤/٣، انظر مشكاة المصايب: ٢١١٨.]

«कोई आदमी किसी औरत के साथ तनहाई में नहीं होता मगर उन दोनों का तीसरा शैतान होता है ॥» {तिरमिज़ी: ३/४७४, देखें मिश्कातुल मसाबीह: ३९९८}

और इन्हे उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا يَدْخُلَنَ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغَيْبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ». [رواه مسلم: ٤/١٧١١]

«आज के बाद कोई मर्द किसी औरत के पास उसके शौहर की अनुपस्थिति (गैर मौजूदगी) में न जाए, मगर यह कि उसके साथ एक या दो आदमी हो।»
[मुस्लिम: ٤/٩٩٩]

अतः किसी मर्द के लिए किसी अजनबी औरत के साथ घर में, या कमरे में या गाड़ी में तनहाई में रहना जायज़ नहीं है, जैसे भाई की बीवी के साथ अथवा नौकरानी के साथ, या किसी बीमार ख़ातून का डाक्टर के साथ रहना इत्यादि।

बहुत से लोग इस मामले में अपने पर या दूसरों पर भरोसा करते हुए सुस्ती से काम लेते हैं, जिसके कारण बुराई में या उसके भूमिका में वाकेअू (पतित) होने का सानिहा (हादिसा) सामने आता है, और नस्ल के इश्तिलात (वंश के संमिश्रण) तथा हराम बच्चों के जनन लेने के दुःखजनक (अफ़सोसनाक) घटनाएं कसरत से (अधिकाधिक) रुनुमा (प्रकट) होते हैं।



अजनबी औरत से मुसाफ़हा करना

यह उन विषयों में से है जिसमें बाज़ समाज का सामाजिक प्रथा (मुआशरती निज़ाम) अल्लाह की शरीअत पर बग़ावत किया है, और लोगों के बातिल चाल-चलन तथा रस्मो रिवाज अल्लाह के विधान (हुक्म) पर हावी (ग़ालिब) हो गए हैं। यहाँ तक कि अगर आप उनमें से किसी को शरीअत का हुक्म याद दिलाते हुए हुज्जत कायम करें और दलील पेश करें, तो वह आपको प्राचीनपंथी (पुराने ज़माने का), कट्टरपंथी, संपर्क विच्छेदकारी (नाता-रिश्ता तोड़ने वाला) तथा नेक नियत में संदेह करने वाला कहकर आरोप (इलज़ाम) लगाता है। हमारे समाज में चर्चेरी बहन, फुफेरी बहन, ममेरी बहन, ख़लेरी बहन, भाभी, चाची तथा मामी से मुसाफ़हा करना पानी पीने से भी ज़्यादा आसान हो गया है।

अगर शार्ई नुक्तए नज़र (दृष्टिकोण) से इस मामले की भयावहता (ख़तरनाकी) पर गौर करते, तो ऐसा करने की हिम्मत न करते। मुस्तफ़ा ﷺ ने फ़रमाया:
 «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمُخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ حَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْسَ امْرَأَةً لَا تَحْلُ لَهُ». [رواه الطبراني: ٢٠٢٢، وهو في صحيح الجامع: ٤٩٢١]

«तुम में से किसी के सर में लोहे की सूई चुभोया जाना इस बात से बेहतर है कि वह किसी ऐसी औरत को छूए जो उसके लिए हलाल नहीं है।» {तबरानी: २०/२१२, सहीहुल जामेअू: ४६२९}

और इसमें कोई शक नहीं कि यह हाथ का ज़िना है, जैसाकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«الْعَيْنَانِ تَزْبِيَانٌ، وَالْيَدَانِ تَزْبِيَانٌ، وَالرُّجُلَانِ تَزْبِيَانٌ، وَالْفُرْجُ يَزْنِي». [رواه الإمام أحمد: ٤١٢/١، وهو في صحيح الجامع: ٤١٢٦].

«दोनों आँखें ज़िना करती हैं, दोनों हाथ ज़िना करते हैं, और दोनों पैर ज़िना करते हैं तथा शर्मगाह ज़िना करती है।» {मुस्नद अहमद: ९/८९२, सहीहुल जामेअू: ४९२६}
 क्या नबी ﷺ से भी ज़्यादा पाक किसी का दिल है? इसके बावजूद आप ﷺ ने फ़रमाया:

«إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ». [رواه الإمام أحمد: ٦/٣٥٧، وهو في صحيح الجامع: ٢٥٩].

«बेशक मैं औरतों से मुसाफ़हा नहीं करता।» {मुस्नद अहमद: ६/३५७, सहीहुल जामेअू: २५०६} और आप ﷺ ने यह भी फ़रमाया:

«إِنِّي لَا أَمْسِ أَيْدِي النِّسَاءِ». [رواه الطبراني في الكبير: ٢٤/٣٤٢، وهو في صحيح الجامع: ٧٠٥٤]
 وانظر الإصابة: ٤/٣٥٤. ط. دار الكتاب العربي].

«बेशक मैं औरतों के हाथों को नहीं छूता।» {तबरानी कबीर: २४/३४२, सहीहुल जामेअू: ७०५४, और देखें अलइसावा: ४/३५४}

इसी तरह आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी (वर्णित) है, उन्होंने फ़रमाया:
 «وَلَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرُ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ». [رواه مسلم: ١٤٨٩/٣]

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

«नहीं, अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह ﷺ के हाथ ने कभी भी किसी औरत के हाथ को स्पर्श नहीं किया। हाँ आप उनसे जुबान से बैअत (शपथ) लेते थे!»

{मुस्लिम: ३/१४८६}

56

सावधान! उन लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए जो अपनी नेक बीवियों को तलाक की धमकी देते हैं, अगर वह उनके भाईयों से मुसाफ़हा न करें। और यह भी जान लेना चाहिए कि हाथ पर कपड़े आदि रखकर उसके ऊपर से मुसाफ़हा किया जाये या बिना आवरक (पर्दा) के मुसाफ़हा किया जाये, दोनों हालत में वह हराम है।



घर से निकलते समय औरत का खुशबू लगाना तथा सुगंधी लगाकर मर्दों के पास से गुज़रना

यह भी उन चीज़ों में से एक है जो मौजूदा दौर में आम तथा मुंतशिर है। हालाँकि नबी ﷺ से इस सिलसिले में सख्त धमकी आई है। आप ﷺ ने फ़रमाया:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرْتُ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ». [رواه الإمام أحمد:

. ٤١٨، انظر صحيح الجامع: ١٠٥]

«जो कोई औरत खुशबू लगाकर मर्दों के पास से गुज़रे ताकि वे उसकी खुशबू (सुवास) पायें, तो वह ज़ानिया (व्यभिचारीणी) है!» {मुस्नद अहमद: ४/४९८, देखें सहीहुल जामेअः ९०५}

बाज़ औरतों की ग़फ़लत (अचेतना) अथवा इस विषय को तुच्छज्ञान करने (हल्का समझने) ने ड्राईवर, विक्रेता तथा स्कूल के गेटमैनों के पास इसे आसान बना दिया है। हालाँकि शरीअत ने खुशबू लगाकर घर से निकलने का इरादा करने वाली औरत को जनाबत (अपत्रिता) के गुस्त की तरह गुस्त करने का सख्ती से हुक्म दिया है, गरचे मस्जिद ही जाने का इरादा करे। नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَبَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُوجَدَ رِيحُهَا, لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا صَلَةً حَتَّى تَغْتَسِلَ أَغْتَسَلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ». [رواه الإمام أحمد: ٤٤/٢، وانظر صحيح الجامع: ٢٧٠٣].

«जो कोई औरत खुशबू लगाकर मस्जिद की तरफ निकले, ताकि उसकी खुशबू (सुवास) पाई जाये, तो उसकी नमाज़ उस वक्त तक क़बूल नहीं होगी जब तक कि वह जनाबत से गुस्त करने की तरह गुस्त न कर ले ॥» {मुस्नद अहमद: २/४४, और देखें सहीहुल जामेथ्: २७०३}

शादी व्याह और औरतों की महफिलों तथा उत्सव अनुष्ठानों में निकलने से पहले धूप-धूनी और चंदन की लकड़ी का जो इस्तेमाल होता है; और मार्किटों में, कारों, बसों, ट्रेनों तथा फ्लाइटों आदि में, मर्द व औरत के संमिश्रण स्थलों (मिलने की जगहों) में, यहाँ तक कि रमज़ान की रातों में मस्जिदों के अंदर जो महक फैलाने वाली खुशबूओं का व्यवहार होता है, उनके बारे में मत पूछिए, इसका शिकवा (अभियोग) अल्लाह ही से है। हालाँकि शरीअत ने बताया कि औरतों की खुशबू वह है जिसका रंग ज़ाहिर हो लेकिन उसकी महक दबी रहे।

हम अल्लाह तआला से सवाल (कामना) करते हैं कि वह हम पर नाराज़ (असंतुष्ट) न हो। और निर्बोध (नासमझ) मर्द व औरतों के कर्मों के कारण नेक मर्द व औरतों का मुआख़ज़ा (पकड़ाव) न करे। और सबको सीधी तथा सच्ची राह दिखाए।



औरत का महरम (शौहर और वह करीबी रिश्तेदार जिनके साथ हमेशा के लिए विवाह हराम हो जैसे बाप, भाई, चचा वगैरा) के बिना सफ़र करना

बुखारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी (वर्णित) है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया:

«لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». [رواه البخاري: १८६२]

«औरत महरम के बगैर सफ़र न करे ॥» {बुखारी: १८६२}

और यह सारे सफरों को आम तथा शामिल है, यहाँ तक कि हज्ज के सफर को भी। बगैर महरम के सफर करने से फासिकों (पापाचारों) को उसके साथ छेड़छाड़ करने पर उभारता और उकसाता है। और चूँकि वह बेचारी कमज़ोर है, इस लिए वह अपने आपको उनकी खाहिशात के हवाले कर भी सकती है। अथवा कम से कम इतना हो सकता है कि वह अपनी इज़्ज़त व आबरू या मान मर्यादा में सताई जाए। इसी तरह उसका जहाज़ में सवार होने का मसला भी ऐसा ही है, अगरचे कोई महरम उसको बिठाकर आए और दूसरा इस्तिक़बाल (रीसीव) करे, लेकिन बताएं तो सही कि वह कौन होगा जो उसके बग़ल में बाजू की सीट पर बैठेगा? और अगर कोई अघटन घटने के कारण फ़्लाइट किसी दूसरे एयरपोर्ट में लैंड करे (उतर जाए), या लेट करने के कारण राइट टाइम में न पहुँच सके, तो क्या अवस्था होगा? और ऐसे वाकिअ़त आये दिन होते रहते हैं।

महरम में चार शर्तें पाई जानी चाहिए। और वह यह हैं: यह कि वह मुसलमान हो, बालिग (वयस्क) हो, आकिल (समझदार) हो और पुरुष हो। जैसाकि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«...أَبُوهَا أَوْابِنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ دُوْ مَحْرَمٍ مِّنْهَا». [رواه مسلم: ١٧٧/٢]

«--- या उसका बाप, या उसका बेटा, या उसका शौहर, या उसका भाई होगा, या वह पुरुष होगा जिसके साथ उसकी शादी हमेशा के लिए हराम हो»
 {मुस्लिम: ٢/٦٧٧}



अम्दन (जान बूझकर) अजनबी औरत की ओर देखना

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُلُونَ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُلُونَ فِرْجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَنْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: ٣٠]

“मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें, और अपने शर्मगाहों

की हिफ़ाज़त करें। यही उनके लिए पाकीज़गी (पवित्रता) है, लोग जो कुछ करें अल्लाह तआला सबसे बाख़बर (अवगत) हैं।’ {अन्नूर: ३०}

और नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«فَرِنَا الْعَيْنَ النَّظَرُ». [رواہ البخاری، انظر فتح الباری: ۲۶/۱۱]

«आँख का ज़िना देखना है» {बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारी: ۹۹/۲۶}

यानी उन चीज़ों की ओर देखना जिन्हें अल्लाह ने हराम किया है। अलबत्ता शरई ज़खरत के तहत देखना जायज़ है, जैसे शादी का पैग़ाम देने वाले का अपनी मँगेतर को और डाक्टर का बीमार औरत को देखना।

इसी तरह औरत का अजनबी मर्द को फ़िला की निगाह से देखना भी हराम है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: ۲۱]

“और ईमानदार औरतों से कह दीजिए कि वह भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपने शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें।” {अन्नूर: ३१}

अनुरूप किशोर (कम सिन) और ख़ूबसूरत बच्चों को शहवत की निगाह (काम दृष्टि) से देखना भी हराम है। और मर्दों का मर्दों की शर्मगाह की ओर देखना तथा औरतों का औरतों की शर्मगाह की ओर देखना हराम है। और जिस शर्मगाह की ओर देखना हराम है, उसका छूना भी हराम है, अगरचे आवरण (पर्दा) के ऊपर से हो।

शैतान ने बाज़ लोगों को धोका में डाल रखा है कि वह मजल्लों (पत्र-पत्रिकाओं) तथा फ़िल्मों में तस्वीरें देखते हैं, और यह कहकर हुज्जत व दलील पेश करते हैं कि यह तस्वीरें हैं, हक़ीकत (वास्तव) तो नहीं। हालाँकि इसमें फ़साद तथा कामोत्तेजना (शहवत अंगेज़ी) का जो पहलू है, वह बिल्कुल वाज़ेह तथा स्पष्ट है।



बैगैरती

इन्हे उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«ثَلَاثَةُ قَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيْوُثُ الَّذِي يُقْرُرُ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثُ». [رواه الإمام أحمد: ٦٩/٢، وهو في صحيح الجامع: ٣٤٧].

«तीन किस्म के लोगों पर अल्लाह ने जन्त हराम कर दिया है: मुसलसल शराब पीने वाला, वालिदैन का नाफ़रमान, और ऐसा बैगैरत जो अपने परिवार में ख़बासत (बुराई) देखकर ख़ामोश रहता है» {मुस्तद अहमद: २/६६, सहीहुल जामेअूः ३०४७}

मौजूदा दौर में बैगैरती की चंद सूरतें: घर में बेटी या बीवी को अजनबी आदमी से टेलीफ़ोन पर बातचीत करते हुए देखकर ख़ामोश रहना। अपने घर की किसी औरत को किसी अजनबी मर्द के साथ तनहाई में देखते हुए भी कुछ न कहना। इसी तरह घर वालों में से किसी औरत को किसी अजनबी मर्द जैसे ड्राईवर वगैरा के साथ गाड़ी में अकेली जाने देना। शरई पर्दा के बैगैर उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त देना कि वह जाने आने वालों के नज़्ज़ारा (दर्शन) के शिकार बनें। अनुरूप फ़िल्म-फ़साद तथा बेहर्याई व उरयानियत (नग्नता) फैलाने वाले मजल्ले (पत्र-पत्रिकाएं) और फ़िल्में घर में लाना।



बच्चे का अपने आपको अपने बाप के अलावा की ओर मंसूब करने में झूट का सहारा लेना तथा आदमी का अपने बच्चा का इनकार करना

शरीअत में किसी मुसलमान का अपने आपको अपने बाप के अलावा की ओर मंसूब करना तथा अपने आपको उस जाति (कौम) के साथ संयोजन करना (मिलाना) जिस में से वह नहीं है जायज़ नहीं है। बाज़ लोग माली फ़ायदे की

ख़ातिर यह काम करते हैं, और सरकारी काग़ज़ात (पेपरों) में झूटा नसब साबित करते हैं। और बाज़ लोग ऐसा करते हैं अपने बाप से नफ़रत करते हुए जिसने उसे उसके बचपन में छोड़ दिया था। हालाँकि यह सब कुछ हराम है। इसके कारण विभिन्न विषय (मुख्खालिफ़ उम्रूर) में बड़ी बड़ी समस्यायें दिखाई देती हैं, जैसे महरम, निकाह तथा मीरास आदि के मसाएल। सही बुखारी में सअद और अबू बकरा रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से मरवी (वर्णित) हदीस में आया है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया:

«مَنِ ادْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ٤٥/٨]

«जो शख्स जानते हुए दूसरे के बाप होने का दावा करे उस पर जन्नत हराम है» {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ٢/٤٥}

हर वह विषय जिसमें नसब तथा वंश के साथ खेला जाए, अथवा उसमें झूट का सहारा लिया जाए हराम है। बाज़ शौहर अपनी बीवी से झगड़ते हुए बिना किसी दलील व प्रमाण के उस पर ज़िना की तुहमत देते हैं, और अपने बच्चे के बारे में कहते हैं कि वह मेरा बच्चा नहीं है, हालाँकि वह उसी के बिस्तर पर जन्म लिया है। और बाज़ औरतें अमानत की खियानत करते हुए ज़िना से हामिल (गर्भवती) होती हैं, और (बच्चा जनकर) अपने शौहर के नसब में शामिल (दाखिल) करा देती हैं जो हकीक़त में उससे नहीं है। इस बारे में हदीस में सख्त सज़ा की बात आई है। अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि जब लिअ़ान की आयत नाज़िल हुई तब उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को फरमाते हुए सुना कि:

«إِيمَّا امْرَأَةٌ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَإِيمَّا رَجُلٌ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يُنْظَرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَّحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوْلَيْنَ وَالْآخِرِينَ». [رواه أبو داود: ٦٩٥/٢، انظر مشكاة المصايح: ٢٣١٦]

«जो कोई औरत किसी कौम (वंश) में (बच्चे को) दाखिल (शामिल) करा दे जो उस में से नहीं है, तो वह अल्लाह की रहमत से कुछ भी नहीं पाएगी, तथा अल्लाह उसे अपनी जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं करेगा। और जो व्यक्ति

अपने बच्चे का इंकार करे हालाँकि वह उसकी तरफ़ ताकता है, तो अल्लाह तआला उससे आड़ कर लेगा, तथा उसे अगलों पिछलों के सामने रुस्वा (लांछित) करेगा ॥» {अबू जाऊदः २/६६५, देखें मिश्कातुल मसावीहः ३३९६}



सूदख़ोरी

अल्लाह तआला ने अपनी किताब में सूदख़ोरों के अलावा किसी और के साथ युद्ध घोषणा (जंग का एलान) नहीं किया है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَنْقُوا اللَّهَ وَدَرُوْا مَابِقَى مِنْ أُبَرِّئُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾^{١٧٦} إِنَّ لَمْ تَعْلَمُوا
فَلَذِكْرُهُمْ بِحَرَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٩-٢٧٨]

“ऐ ईमानवालो! अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है उसे छोड़ दो अगर तुम सचमुच ईमानवाले हो। अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ।” {अलबकरा: २७८, २७६}

अल्लाह के पास इस जुर्म के निन्दनीय तथा जघन्य (क़बीह) होने के लिए उक्त धमकी ही काफ़ी है।

अ़वाम तथा मुल्क पर गौर करने वाला यह प्रत्यक्ष करेगा (देखेगा) कि सूदी कारोबार ने उन्हें किस तरह हलाक व बरबाद किया है। गुर्वत व इफ़लास (दरिद्रता व निर्धनता) का पाया जाना, तिजारत का मंदा तथा ठप पड़ जाना, क़र्ज़ अदा करने से अ़जिज़ (असमर्थ) होना, आर्थिक (इक्विटसादी) पतन, बेरोज़गारी की अधिकता, बहुत सी कम्पनियों तथा संस्थाओं का दिवालिया होना, रोज़ाना की सख्त मेहनत की कमाई तथा पसीना बहा कर अर्जित राशि लामुतनाही (अपार) सूद की अदाएँगी की ख़ातिर सूदख़ोर को देना, समाज में अड़ेल संपद समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में सीमावद्ध (महदूद) होकर रह जाता है। इन सबका कारण

अभिशप्त (मलाझन) सूद है। और शायद उल्लिखित सूरतें ही जंग के कुछ कारण हैं जिसकी अल्लाह तआला ने सूदी कारोबारियों को धमकी दी है।

सूदी मामला में शरीक हर व्यक्ति चाहे लेने वाला हो या देने वाला, और चाहे एजेंट हो या सहायक व सहयोगी, सबके सब मुहम्मद ﷺ की जुबानी अभिशप्त हैं।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ» وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ». [رواه مسلم: ١٢١٩/٣]

जाविर ﷺ से मरवी (वर्णित) है, उन्होंने कहा: «अल्लाह के रसूल ﷺ ने सूद खाने वाले, उसके खिलाने वाले, उसके लिखने वाले तथा उसके दोनों गवाहों पर लानत की है» और आपने फ़रमाया: «वह सब बराबर हैं» {मुस्लिम: ٣/١٢٩}

अतः सूद के बारे में लिखने, उसके फिक्स (निर्धारण) करने, खाता-पत्र नियंत्रण करने, उसके लेने तथा देने, उसके डिपोजिट (जमा) करने तथा उसकी गार्डिंग (निगरानी) करने की नोकरी करना हराम (नाजायज़) है। सारांश (खुलासा) यह है कि उसमें हिस्सा लेना तथा हाथ बटाना किसी भी रूप में हो हराम है।

नबी ﷺ ने इस महा पाप की निकृष्टता (क़बाहत) बयान करते हुए अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ से मरवी (वर्णित) हदीस में फ़रमाया:

«الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ». [رواه الحاكم في المستدرك: ٢/٢٧، وهو في صحيح الجامع: ٢٥٣]

«सूद के तिहत्तर दरवाजे हैं, उनमें सबसे कमतर आदमी का अपनी माँ से शादी करने की तरह है, और सबसे बड़ा मुस्लिम आदमी की इज़्जत व आबरू (पर हमला करना) है» {मुस्तदरक हाकिम: २/३७, सहीहुल जामेअ: ३५३३} इसी तरह अब्दुल्लाह बिन हन्ज़ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी हदीस में फ़रमाया:

«دِرَهْمٌ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَيْنَةً». [رواه الإمام أحمد: ٥/٢٢٥، انظر صحيح الجامع: ٣٣٧٥]

«आदमी का जान बूझ कर सूद का एक दिरहम खाना छत्तीस मरतबा ज़िना करने से भी सख्त (गुनाह) है» {मुस्नद अहमद: ५/२२५, सहीहुल जामेअ: ३३७५}

सूद की हुर्मत (निषिद्धि) आम है, मालदार और ग्रीब के लिए खास नहीं है, जैसाकि बाज़ लोग ख्याल करते हैं, बल्कि उसकी हुर्मत हर हाल में और हर शख्स के लिए है। (यानी चाहे मालदार और मालदार के दरमियान हो या मालदार और ग्रीब के दरमियान हो।) प्रत्यक्ष (वाकेअू) इस बात का गवाह है कि कितने मालदार और बड़े बड़े व्यवसायी (ताजिर) इसके कारण मुफलिसी के शिकार हुए। सूद की न्यूनतम क्षति (कम से कम नुकसान) यह है कि वह माल की बरकत को ख़त्म कर देता है, गरचे माल देखने में ज्यादा लगे। नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتُهُ تَصَرِّفُ إِلَىٰ قُلُّ»۔ [رواه الحاكم: ۳۷/۲، وهو في صحيح الجامع: ۲۰۴۲]

«सूद गरचे (देखने में) ज्यादा लगे, लेकिन उसका नतीजा (परिणाम) माल का घटाव है।» {हाकिम: ۲/۳۹, सर्वाहुल जामेअू: ۳۵۸۲} इसी तरह सूद चाहे उसकी मिक़दार (परिमाण) हाई हो या लो, ज्यादा हो या कम, सबके सब हराम है। सूदखोर कियामत के दिन कब्र से उठाया जाएगा इस हाल में कि वह खड़ा होगा जैसे कि वह खड़ा होता है जिसे शैतान लग कर पागल बना देता है।

यह जुर्म निन्दनीय तो है लेकिन अल्लाह तआला ने सूदखोरों को इससे तौबा करने का हुक्म दिया तथा उसकी कैफियत का बयान करते हुए फ़रमाया:

﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَنْظِلُمُونَ وَلَا تُنَظَّلُمُونَ﴾ [ابقرة: ۲۷۹]

“और अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा अस्त माल (मूलधन) तुम्हारा ही है, न तुम जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया जाए।” {अल्बकरा: ۲۷۶} और यह सरापा इंसाफ़ है।

ज़रूरी है कि मुमिन का दिल इस महा पाप से घृणा तथा नफ़रत करे और इसकी निकृष्टता का अनुभव (क़बाहत का इहसास) करे, यहाँ तक कि वह लोग जो पैसों के नष्ट हो जाने या चोरी हो जाने के डर से मजबूरन (बाध्य होकर) सूदी बैंकों में रखते हैं, उन्हें यह शुश्रूर तथा इहसास होना चाहिए कि वह उसमें बाध्य होकर ही उसे रखते हैं, और यह कि वह उस शख्स के मानिंद है जो मुर्दार खाता है या उससे भी बुरा। अतः वह अल्लाह तआला से इस्तिग़फ़ार (माफ़ी तलब) करें और

जहाँ तक मुमकिन हो इसका बदील (विकल्प) तलाश करते रहें। उनके लिए बैंकों से सूद का मुतालबा (अभियाचन) करना जायज़ नहीं है, बल्कि अगर उनके एकाउंट में सूद के पैसे रख दिये जाएं तो उनसे जान छुड़ाने के लिए किसी भी जायज़ रास्ते में ख़र्च कर दें, सदका की नियत से नहीं, क्योंकि अल्लाह तआला पाक-पवित्र है, वह पाक-पवित्र ही को कबूल फ़रमाता है। और उनके लिए जायज़ नहीं है कि वह उससे किसी भी तरह फ़ायदा उठायें, न खाने में, न पीने में, न पहनने में, न सवारी में, न रिहाइश में, न बीवी बच्चों या वालिदैन में ख़र्च करने में, न ज़कात निकालने में, न टैक्स अदा करने में और न अपने से जुल्म को दूर करने में। बल्कि अल्लाह तआला की पकड़ के डर से किसी दूसरे रास्ते में ख़र्च करके अपनी जान छुड़ाएगा।



सामान (सामग्री) का ऐब छिपाना और बेचते समय उसे न बताना

مَرْسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَيْدَهُ فِيهَا، فَنَانَتْ أَصَابُعُهُ بِلَلَّاد، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مَنًا». [رواه مسلم: ۱۹/۱]

अल्लाह के रसूल ﷺ ने खाने के एक ढेर के पास से गुज़रते हुए उसमें अपना हाथ दाखिल किया, तो आपकी उँगलियों ने उसे भीगा हुआ पाया, तो आपने फ़रमाया: «ऐ ग़ल्ला के मालिक! यह क्या है?» उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उसे बारिश पहुँच गई थी। तो आप ﷺ ने फ़रमाया: «तुमने उसे ऊपर क्यों नहीं कर दिया ताकि लोग देख लें, जो धोका दे वह हम में से नहीं है!» {मुस्लिम: ۱/۶۶}

आज कल बहुत सारे विक्रेता (बिक्री करने वाले) जो अल्लाह से नहीं डरते हैं, सामान पर स्टीकर लगा देते हैं, या उसे कार्टून के बिल्कुल नीचे रख देते हैं, या केमिकल आदि इस्तेमाल करते हैं जिससे सामान अच्छी शक्ति में दिखता है अथवा शुरू में इंजन में मौजूद ऐब की आवाज़ ज़ाहिर नहीं होती है, लेकिन जब कस्टमर उसे ले आते हैं तो बहुत जल्द ही ख़राब हो जाता है। और बाज़

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

66

विक्रेता सामान की मुद्रत ख़त्म होने की तारीख (एक्सपायर डेट) चेंज कर देते हैं, या कस्टमर को उसके देखने, चेक करने या टेस्ट करने से रोकते हैं। और बहुत सारे लोग जो गाड़ियाँ तथा आलात (मशीनरी चीज़ें) बेचते हैं उनके ऐबों को नहीं बताते हैं, हालाँकि इस तरह से बेचना हराम है। नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَبْتُ إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ». [رواه ابن

ماجة: ٧٥٤/٢، وهو في صحيح الجامع: ٦٧٠٥]

«मुसलमान मुसलमान का भाई है, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वह सामान में मौजूद ऐब के बताने से पहले अपने किसी भाई से उसे बेचे।»
{इन्जु माज़ा: २/७५४, सहीहुल जामेअः ४७०५}

और कुछ लोग यह गुमान करते हैं कि प्रकाश्य निलाम में सिर्फ़ इतना कह देने से उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है कि --मैं लोहे का ढेर बेच रहा हूँ-- लोहे का ढेर। इस प्रकार की बिक्री से बरकत उठा ली जाती है, जैसाकि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«الْبَيْعَانُ بِالْخَيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقاً وَبَيَّنَا بُورْكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا». [رواه البخاري، انظر الفتاح: ٤/ ٣٢٨]

«क्रेता व विक्रेता दोनों को अपना ख़रीद व फ़रोख्त (क्य विक्र्य) उस समय तक फ़स्ख (बातिल) करने का अधिकार प्राप्त (हक़ हासिल) है जब तक वह एक दूसरे से जुदा न हो जायें। अगर उन दोनों ने सच कहा और बयान कर दिया तो उनके लिए उनके ख़रीद व फ़रोख्त में बरकत दी जाती है। और अगर झूट बोलें तथा छिपायें तो उनके ख़रीद व फ़रोख्त की बरकत मिटा दी जाती है।»
{बुख़ारी, देखें फ़त्हुल बारी: ४/३२८}



दलाली करना

दलाल वह व्यक्ति है जिसे ख़रीदने की इच्छा नहीं होती, पर दूसरों को धोका देने

के लिए सामान का दाम बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, ताकि ख्रीकृत में ख्रीदने वाले को अधिक मूल्य की ओर खींच ले आए। नबी ﷺ ने फरमाया:

«لَا تَنَاجِشُوا». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ٤٨٤/١٠]

«तुम लोग दलाली न करो» {बुखारी, देखें फतहुल बारी: ٩٠/٨٥٨}

और इसमें कोई शक नहीं कि यह भी एक किस्म का धोका है। नबी ﷺ ने इरशाद फरमाया:

«الْمَكْرُ وَالْخَدْيَةُ فِي النَّارِ». [انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة: ١٠٥٧]

«प्रतारक (मक्कार) और धोकेबाज़ का ठिकाना जहन्नम है» {सिलसिलतुल अहादीसुस्संशीहा: ٩٥٤٧}

हराज (पब्लिक सेल), निलाम घर तथा गाड़ियों के मार्किट में काम करने वाले बहुत सारे दलालों की कमाई खींची तथा हराम होती है, क्योंकि वह वहाँ कई हराम काम का इर्तिकाब करते हैं, जैसे उनका आपस में मूल्य ज्यादा करने पर इतिफाक कर लेना, कस्टमर को ख्रीदने पर आकृष्ट (मुग्ध) करना या बेचने के लिए आने वालों के सामान का दाम घटा कर उन्हें धोका देना। बर खिलाफ (पक्षांतर) इसके अगर सामान उनका या उनमें से किसी का होता है तो मामला इसका बर अक्स (विपरीत) होता है यानी वह ग्राहकों के सफ़रों में ठहर कर निलाम में उसकी कीमत खूब बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। इस तरह वह अल्लाह के बंदों को धोका देकर नुकसान पहुँचाते हैं।



जुमुआ की दूसरी अज़ान के बाद ख्रीद व फ़रोख्त (क्र्य-विक्र्य) करना

अल्लाह तआला ने फरमाया:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوهَا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ [الجمعة: ٩]

‘ऐ वह लोगों जो ईमान लाये हो! जुमुआ के दिन जब नमाज़ की अज्ञान दी जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ पड़ो और ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो।’ {अलजुमुआ: ६}

कुछ लोग दूसरी अज्ञान के बाद भी अपनी दूकानों में या मस्जिदों के सामने बेचने में लगे रहते हैं, और उनके साथ गुनाह में वह लोग भी शरीक होते हैं जो उनसे ख़रीदते हैं, चाहे मिस्वाक ही क्यों न हो। राजेह कौल के मुताबिक़ (प्रावल्य उक्ति अनुसार) यह ख़रीद व फ़रोख्त बातिल है।

और कुछ होटल, बैंकरी तथा फैक्टरी वाले अपने कारकुनों (कर्मचारीयों) को जुमुआ की नमाज़ के समय भी काम करने पर मजबूर (वाध्य) करते हैं। बज़ाहिर (देखने में) उनका फ़ायदा ज्यादा तो होता है लेकिन हकीकत में वह धारे ही से दोचार होते हैं। अलबत्ता कर्मचारी को चाहिए कि वह नबी ﷺ के इस फ़रमान: **لَا طَاعَةٌ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ** [رواه الإمام أحمد: ١٢٩/١، وقال أبو عبد الله شاكر: إسناده صحيح، رقم: ١٠٦٥، أصل الحديث في الصحيحين (ز)]

«अल्लाह की नाफ़रमानी में किसी इंसान की फ़रमाबदारी नहीं की जाएगी»
 {मुस्नद अहमद: ٩/٩٢٦، अहमद शाकिर ने कहा: इसकी सनद-सूत्र सहीह है, हदीस नम्बर: ٩٠٦٥، अल्लामा इब्ने बाज़ ने फ़रमाया: हदीस का अस्ल बुखारी व मुस्लिम में है} के अनुसार काम करे।



जुआ

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

يَتَأْمُوا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَرْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَبِوْهُ لَعْكُمْ فُرْقَلُحُونَ [١٠: ١٣]

‘ऐ ईमान वालो! बात यही है कि शराब तथा जुआ और थान (मूर्तियों के स्थान) तथा फ़ाल निकालने के पाँसे के तीर यह सब गंदी बातें शैतानी काम हैं, इनसे बिल्कुल अलग रहो, ताकि तुम फ़लाह याब (सफल) हो जाओ।’ {अल्माइदा: ٦٠}

दौरे जाहिलियत (इस्लाम की स्थापना के पहले के काल) में लोग जुआ खेला करते थे। उनके नज़दीक इसकी मशहूर शक्लों में एक यह थी कि दस लोग बराबर शरीक होकर एक ऊँट ख़रीदते, फिर कुरआ अंदाज़ी (लॉटरी) करते, उनमें से सात लोगों को उनके उर्फ़ के अनुसार नियुक्त मुख्तलिफ़ (तैनात किया हुआ भिन्न भिन्न) हिस्सा मिलता था, और बाक़ी तीन लोग कुछ नहीं पाते थे। दौरे हाज़िर (वर्तमान काल) में जुआ की बहुत सारी शक्लें हैं, उनमें से चंद यह हैं:

❖ लॉटरी, इसकी भी कई सूरतें हैं। मशहूर सूरतों में से एक यह है कि पैसों से नम्बर ख़रीदे जाते हैं, फिर उनमें लॉटरी करके पहले, दूसरे, तीसरे --- विजेता को तरतीबवार मुख्तलिफ़ किस्म के इनआमात से नवाज़ते हैं (क्रमानुसार विभिन्न प्रकार के पुरस्कार से पुरस्कृत करते हैं)। यह हराम है, अगरचे लोग इसे अपने तई ख़ैरी (कल्याणमूलक) काम का नाम देते हैं।

❖ कोई ऐसा सामान ख़रीदे जिसके अंदर नामालूम (अज्ञात) कोई चीज़ हो, या सामान ख़रीदते समय कोई नम्बर दिया जाता है, फिर लॉटरी करके विजेताओं की तहदीद (निर्धारण) की जाती है और उन्हें इनआम दिया जाता है।

❖ बीमा (इंशूरेन्स): जैसे लाइफ इंशूरेन्स (जीवन बीमा), गाड़ी इंशूरेन्स, गुड़सु इंशूरेन्स (द्रव्य बीमा), फायर इंशूरेन्स, शामिल (कमप्लीट) इंशूरेन्स तथा दूसरे के खिलाफ़ इंशूरेन्स इत्यादि इत्यादि यहाँ तक कि बाज़ गायक (गाने वाले) अपनी आवाज़ों का भी इंशूरेन्स करवाने लगे हैं। {इंशूरेन्स का हुक्म और उसका इस्लामी बदील (विकल्प व्यवस्था) के बारे में जानने के लिए ‘अर्दिआसतुल झाम्मा लिइदारातिल बुहूसुल इल्मिया’ से प्रकाशित ‘मजल्लतुल बुहूसिल इस्लामिया’ संख्या १७, १६ और २० देखें}

यह और इस तरह की तमाम सूरतें जुवे में शामिल हैं। हमारे दौर में तो जुआ के लिए ख़ास क्लब भी मौजूद हैं जिनमें इस महा पाप के इर्तिकाब के लिए स्पेशल ग्रीन टेबुल (विशेष रूप की हरी मेज़ें) होती हैं। इसी तरह जुआ ही की किस्मों में से है जो फुटबॉल वग़ैरा के मैचों में बाज़ियाँ रखी जाती हैं, जैसे कि

बाज़ खेलन की दृकानों तथा मनोरंजन केंद्रों (तफ़रीही मक़ामात) में खेल की ऐसी किस्में पाई जाती हैं जो जुआ को शामिल हैं, जिसे ‘फलीबर्ज’ का नाम देते हैं।

❖ रहे प्रतियोगिता तथा मुक़ाबला तो उनकी तीन किस्में हैं:

❶ जिसका कोई शर्ई मक़सद हो, तो यह पुरस्कार के साथ तथा बिना पुरस्कार के दोनों तरह जायज़ है, जैसे ऊँट तथा घोड़ा रेस प्रतियोगिता और तीर अंदाज़ी तथा निशानाबाज़ी का मुक़ाबला। राजेह कौल के मुताबिक इन्हे शर्ई (प्रावल्य मतानुसार धार्मिक ज्ञान) का प्रतियोगिता -जैसे कुरआन हिफ़ज़ प्रतियोगिता- इसी के अंतर्गत (शामिल) है।

❷ जो स्वभावत (बज़ाते खुद) जायज़ हो -जैसे फुट बॉल मैच और रेस कम्पिटीशन (दौड़ प्रतियोगिता)-, और जो मुहर्रमात (निषिद्ध चीज़ों) -जैसे नमाज़ ज़ाये तथा नष्ट करना और शर्मगाह खोलना- से ख़ाली हो, तो यह बगैर पुरस्कार के जायज़ है।

❸ जो स्वभावत हराम हो या हराम तक पहुँचाने का वसीला (माध्यम) हो, जैसे गंदगी और फ़साद फैलाने वाला प्रतियोगिता जिसका नाम दिया जाता है ‘विश्व सुंदरी प्रतियोगिता’, या मुक्केबाज़ी (फाइटिंग) का मुक़ाबला जिसमें चेहरों पर मारा जाता है -जो कि हराम है-, या सींग वाले जानवरों तथा मुर्गों को आपस में लड़ाना बगैर।



चोरी

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطِعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدَةٌ: ٢٨]

“चोरी करने वाले मर्द और औरत के हाथ काट दिया करो, यह बदला है उसका

जो उन्होंने किया, अ़ज़ाब अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह तआला कुव्वत व हिक्मत (शक्ति व प्रज्ञा) वाला है।” {अल्माइदा: ३८}

चोरी के महा अपराधों (अ़ज़ीम जराएम) में से हज्ज व उमरा की ग़र्ज़ से अल्लाह के घर काबा को आए हुए लोगों के माल-सामग्री चोरी करना है। इस किस्म के चोर सबसे अफ़ज़ल सरज़मीन (सर्वश्रेष्ठ भूमि) तथा अल्लाह के घर के आसपास चोरी करके अल्लाह के हुदूद को बेदरेग (सीमाओं को निःसंकोच) पार कर जाते हैं। नबी ﷺ ने सूरज गरहन की नमाज़ पढ़ाते समय जहन्नम के दर्शन का उल्लेख करते हुए फ़रमाया:

لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخُرْتُ مَحَافَةً أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفَحِهَا، وَهَتَّىٰ
رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمَحْجَنِ يَجْرُّ قُصْبَهُ [أَمْعَاهُ] فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرُقُ الْحَاجَ بِمَحْجَنِهِ،
فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعْلَقُ بِمَحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ۔ [رواه مسلم: ۹۰۴]

«उस समय मेरे सामने (जहन्नम की) आग हाजिर की गई थी जब तुम लोगों ने मुझे पीछे हटते हुए देखा था, (और मैं पीछे हटा था) इस डर से कि उसकी तमाज़त (लूका) मुझे न लग जाए। और मैंने उसमें लाठी वाले आदमी को देखा जो आग में अपनी आँतों को खींच रहा था। वह अपनी लाठी द्वारा हाजियों के माल-सामग्री चुराता था, अगर पकड़ा जाता तो कहता कि मेरी लाठी में फ़ौस गया था, और अगर पता न चलता तो सामान लेकर भाग जाता।» {मुस्लिम: ६०४}

अ़ज़ीम (बड़ी) चोरियों में से साधारण माल-सामान (सरकारी चीज़ों) का चुराना है। और कुछ वह लोग जो ऐसा करते हैं कहते हैं कि जैसे दूसरे लोग चुराते हैं वैसे ही हम भी चुराते हैं, हालांकि उनको पता नहीं कि यह सारे मुसलमानों का माल चुराना है, क्योंकि साधारण संपद सारे मुसलमानों की मिलकियत होती है। अल्लाह से न डरने वालों के अमल (कर्म) को दलील बना कर उनकी तक़ीद (अनुसरण) करना जायज़ नहीं है।

और बाज़ लोग काफिरों का माल यह बुनियाद बना कर चुराते हैं कि वह काफिर हैं, जबकि यह सही नहीं है, क्योंकि जिन काफिरों का माल छीनना जायज़ है

वह वह काफिर हैं जो मुसलमानों से लड़ते हैं, उनकी तमाम कम्पनियाँ और जन (अफ़राद) इसमें शामिल नहीं हैं।

और जेब कतरना (पॉकिट मारना) चोरी में शामिल है। बाज़ लोग दूसरों के घर मेहमान बन कर जाते हैं और चोरी करते हैं, और बाज़ लोग मेहमान का माल चुराके उनकी थैली ख़ाली कर देते हैं। बाज़ लोग दूकानों में प्रवेश करके अपने जेबों तथा कपड़ों में कोई सामान छिपा लेते हैं। इसी तरह बाज़ औरतें भी अपने कपड़ों के नीचे कुछ छिपा लेती हैं। और बाज़ लोग छोटी मोटी या सस्ती चीज़ें चुराने को हल्का तथा मामूली समझते हैं, हालांकि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«لَعْنَ اللَّهِ السَّارِقِ يَسْرُقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرُقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». [رواه البخاري]

[انظر فتح الباري: ٨١/١٢]

«अल्लाह की लानत (अभिशाप) उस चोर पर जिसका हाथ अंडा चोरी करने के जुर्म में काट दिया जाता है, और (उस पर भी अल्लाह की लानत हो) जिसका हाथ रस्सी चोरी करने के जुर्म में काट दिया जाता है» {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ٩٢/٣٩}

हर चोर पर -जिसने कुछ भी चोरी किया हो- वाजिब है कि वह अल्लाह तआला से तौबा करने के साथ साथ चोरी किया हुआ माल उसके मालिक को वापस करे, चाहे खुले तौर पर वापस करे या छिपा कर, खुद वापस करे या किसी के ज़रीया, सब बराबर है। अगर बहुत कोशिश के बाद भी माल के मालिक तक या उसकी मौत के बाद उसके वारिसीन (उत्तराधिकारियों) तक पहुँचना नामुमकिन (असंभव) हुआ तो वह माल उसकी तरफ से सदक़ा कर देगा इस नियत से कि उसका सवाब माल के मालिक को पहुँचे।



रिश्वत लेना तथा देना

हक् तथा सत्य को बातिल करने या बातिल को रिवाज देने की ग़र्ज़ से क़ाज़ी या लोगों के दरमियान फैसला करने वाले (जज-विचारक) को रिश्वत देना जुर्म

तथा अपराध है, क्योंकि यह अन्याय-अविचार की ओर ले जाती है तथा इससे हकीकी हक्कदार पर जुल्म होता है, और इससे फ़िल्ता-फ़साद फैलता है। अल्लाह तयाला ने फ़रमाया:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوْبِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ الْأَنَّاسِ إِلَّا لِثُمُرٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨]

“और तुम लोग एक दूसरे का माल नाहक न खाया करो, और न हाकिमों को रिश्वत पहुँचा कर किसी का कुछ माल जुल्म व सितम से अपना लिया करो, हालाँकि तुम जानते हो।” {अलबक़रा: १८८}

अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं कि नबी ﷺ ने इरशाद फ़रमाया:

«لَعْنَ اللَّهِ الرَّاَشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ فِي الْحُكْمِ»۔ [رواه الإمام أحمد: ٣٨٧/٢، وهو في صحيح الجامع: ٥٠٦٩]

«फैसला करने-कराने में रिश्वत लेने और देने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत है।» {मुस्लिम अहमद: २/३८७, सहीहुल जामेआः ५०६६}

हाँ अगर अपना जायज़ हक़ हासिल करने या जुल्म प्रतिरोध (दूर) करने के लिए रिश्वत देनी पड़े और हाल यह हो कि इसके बगैर कोई चारा नहीं तो यह मज़कूरा वर्इद (उल्लिखित धमकी) में दाखिल नहीं होगा।

मौजूदा दौर (वर्तमान युग) में रिश्वत व्यापक रूप से (बहुत ज़्यादा) फैल गई है, यहाँ तक कि बाज़ नौकरी करने वालों की आमदनी का ज़रीया उनकी तनखाहों से ज़्यादा यही बन गई है, बल्कि बहुत सी कम्पनियों के बजट में यह रिश्वत मुबहम (अस्पष्ट) नामों से एक बंद (विभाग) क़रार पाई है, अधिकतर मामले न इसके बगैर शुरू होते हैं और न इसके बिना ख़त्म होते हैं। नतीजा यह निकलता है कि इसकी वजह से फ़क़ीरों को काफ़ी नुक्सान का सामना करना पड़ता है और इसी के कारण बहुत सी ज़िम्मेदारियों की अदाएँ में अनियम तथा बिगाड़ देखा जाता है। रिश्वत ही कर्मचारियों का मालिक के काम में ख़राबी पैदा करने का सबब है। बेहतरीन सर्विस उसी को मिलती है जो रिश्वत देता है, और जो नहीं देता है; तो या उसकी

खिदमत अच्छी तरह नहीं की जाती है या उसका मामला तूल पकड़ लेता है या उसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता है। रिश्वत देने वाले जो बाद में आते हैं अपना काम उन लोगों से बहुत पढ़ले निमटा ले जाते हैं जो रिश्वत नहीं देते हैं। रिश्वत ही के सबब होता यह है कि वह माल जो मालिक का हक और अधिकार था, मंदूरों (प्रतिनिधियों) के जेब में चला जाता है। इन कारणों की बुनियाद पर नबी करीम ﷺ की जुबानी इस जुर्म में प्रत्यक्ष या परोक्ष (डाइरेक्ट या इंडाइरेक्ट) रूप से शरीक (हिस्सेदार) हर व्यक्ति के लिए अल्लाह की रहमत से महरूम (वर्चित) रहने की बहुआ करना कोई अजब (आश्चर्य) की बात नहीं। अब्दुल्लाह बिन अम्र ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ». [رواه ابن ماجة: ٢٢١٣، وهو في صحيح الجامع: ٥١١٤]

«रिश्वत लेने और देने वालों पर अल्लाह की लानत (अल्लाह की रहमत से दूरी) हो» {इन्हे माजा: २३१३, सहीहुल जामेओ: ५९९४}



ज़मीन ग़स्ब (अपहरण) करना

जब अल्लाह का डर मादूम (लुप्त) हो जाता है तब शक्ति तथा बहाने इंसान के लिए मुसीबत बन जाते हैं, जिन्हें वह जुल्म के कामों -जैसे दूसरों पर हाथ उठाना और उनके मालों पर नाजायज़ क़ब्ज़ा करना- में इस्तेमाल (प्रयोग) करता है। और ज़मीन ग़स्ब करना इसी के ज़िम्म (अंतर्गत) में आता है, जिसकी सज़ा बेहद कठिन तथा कठोर (सख्त) है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ». [رواه البخاري]

[١٠٣/٥] انظر الفتح:

«जिसने नाहक किसी की थोड़ी सी भी ज़मीन ले ली तो कियामत के दिन सात तबक ज़मीनों तक उसे धसाया जाएगा» {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ५/१०३}

और याला बिन मुरा رض से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وَا سلّم ने फ़रमाया:

«أَيْمًا رَجُلٌ ظَلَمَ شَبِرًا مِنَ الْأَرْضِ كَلَفَهُ اللَّهُ أَنْ يَحْفَرْهُ [في الطبراني: يُحْضِرُهُ] حَتَّى يُبْلِغَ أَخِرَ سَبْعِ أَرْضِينَ، ثُمَّ يُطْوَقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْسَى بَيْنَ النَّاسِ». [رواه الطبراني في الكبير: ٢٧١٩، وهو في صحيح الجامع: ٢٢٧٠]

«कोई भी आदमी अगर नाहक किसी की एक बालिशत (बिघत) ज़मीन भी ले ले तो अल्लाह तभ़ाला उसे सात तबक़ ज़मीन तक ज़मीन का यह हिस्सा खोदने पर (तबरानी में है: उसे हाजिर करने पर) मुकल्लफ़ (वाध्य) करेगा, फिर कियामत के दिन उसे उसके गले में तौक़ बना कर लटका दिया जाएगा, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाए।» {तबरानी कबीर: २२/२७०, सहीहुल जामेअ०: २७१६}

ज़मीन की मेंड बदल करके तथा उसकी सीमापहरण (चिन्ह मिटा) करके अपनी ज़मीन बग़ल की ज़मीन से वसीअ० (प्रशस्त) कर लेना इसी में शामिल है। और इसी की ओर नबी صلی اللہ علیہ وَا سلّم के निम्नलिखित फ़रमान से इशारा किया गया है:

«لَعْنَ اللَّهِ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ». [رواه مسلم بشرح النووي: ١٣/١٤١]

«ज़मीन की मेंड बदलने वाले पर अल्लाह की लानत (अल्लाह की रहमत से दूरी) हो।» {मुस्लिम नववी की व्याख्या के साथ: १४१/१४९}



सिफारिश करने के कारण हृदिया कबूल करना

लोगों में मान-मर्यादा (इज़्ज़त व मरतबा) अल्लाह की नेमतों में से है अगर बंदा इस पर उसका शुक्र अदा करे। और इस पर शुक्र यह है कि वह इसे मुसलमानों के फ़ायदे के लिए सर्फ़ (व्यय) करे। और यह नबी صلی اللہ علیہ وَا سلّم के इस आम फ़रमान (साधारण वाणी) में दाखिल है:

«مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعُلْ». [رواه مسلم: ٤/١٧٢٦]

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

«तुम में से जो अपने भाई को फ़ायदा पहुँचाने की ताक़त रखता है तो चाहिए कि वह ऐसा करे» {मुस्लिम: ४/१७२६}

٧٦

और जो व्यक्ति अपनी जाह व हशमत (वैभव-शानशौकत) द्वारा ख़ालिस (विशुद्ध) नियत के साथ अपने मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुँचाये, उस पर से जुल्म हटा कर या उसके लिए कोई भलाई ला कर, इस तरह कि न वह कोई हराम काम करे और न किसी पर जुल्म व ज़्यादती करे, तो वह अल्लाह के पास अब्र व सवाब का हक़्कार (अधिकारी) होगा। जैसे कि इस बारे में नबी ﷺ का फ़रमान है:

اَشْفَعُو تُؤْجِرُوا۔ [رواه أبو داود: ٥١٣٢، والحديث في الصحيحين، فتح الباري: ٤٥٠/١٠، كتاب الأدب،

باب تعاوُن المؤمنين بعضهم ببعض]

«सिफारिश करो तुम्हें अब्र व सवाब मिलेगा» {अबू दाऊद: ५१३२, यह हदीस बुखारी और मुस्लिम में है, फ़त्हुल बारी: ٩٠/٤٥٠, अध्याय: अदब, परिच्छेद: मोमिनों का आपस में एक दूसरे का सहायता करना}

लेकिन इस शिफ़ाअत और वास्ता (मध्यस्थिता) पर विनिमय (बदल) लेना नाजायज़ है। इसकी दलील अबू उमामा رضي الله عنه سे मरवी (वर्णित) हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً (عَلَيْهَا) فَقَبَّلَهَا (مِنْهُ)، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَّيَا۔ [رواه الإمام أحمد: ٢٦١/٥، وهو في صحيح الجامع: ٦٢٩٢]

«जिसने किसी के लिए सिफ़ारिश की, पस उसने उसे इस पर हिदिया पेश किया और उसने उसे क़बूल कर लिया, तो वह सूद के बड़े द्वारों में से एक द्वार के पास आ गया» {मुस्लिम अहमद: ५/२६९, सहीहुल जामेअ़ू: ६२६२}

कुछ लोग अपनी जाह व हशमत (वैभव-शानशौकत) को माल के विनिमय (बदले) पेश करते हैं। किसी को कोई नौकरी दिलाने, किसी का ओह्दा बढ़ाने (प्रोमोशन कराने), किसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रान्सफ़र (मुंतकिल) कराने या किसी बीमार के इलाज (चिकित्सा) का इंतिज़ाम (व्यवस्था) करने इत्यादि पर माल की शर्त लगाते हैं। राजिह कौल के मुताबिक़ (प्राबल्य मतानुसार) अबू उमामा رضي الله عنه से

मरवी गुज़री हदीस की बुनियाद पर इस तरह का विनिमय तथा मुक़ाबिल लेना हराम है। बल्कि हदीस का ज़ाहिर यह बता रहा है कि विनिमय अगर बगैर शर्त (इत्तिफ़ाक) के भी हो फिर भी उसका लेना हराम है। {यह बात अल्लामा इब्ने बाज़ रहेमहुल्लाह की जुबानी बयान में से हैं}

नेकोकारों (भलाई करने वालों) को कियामत के दिन अल्लाह की तरफ से मिलने वाला अब्र व सवाब (बदला व प्रतिदान) ही काफ़ी है। एक आदमी हसन बिन सहल के पास अपनी किसी ज़खरत की सिफ़ारिश कराने के लिए आये तो उन्होंने (सिफ़ारिश करके) उनकी ज़खरत पूरी कर दी, तो वह आदमी उनका शुकरिया अदा करने लगे, तो हसन बिन सहल ने उनसे कहा: किस चीज़ पर आप हमारा शुकरिया अदा कर रहे हैं? हम तो समझते हैं कि माल की ज़कात की तरह जाह व हश्मत (वैभव-शानशौकत) की भी ज़कात है। {इब्ने मुफ़्लिह रचित किताब 'अलआदाबुश शरइया: २/१७६'}

यहाँ इस फर्क (पार्थक्य) की ओर इशारा कर देना बेहतर समझता हूँ कि किसी व्यक्ति को उजरत (मेहनताना) देकर कोई काम करवाना और विनिमय (बदला-मुक़ाबिला) देकर मामला न खत्म होने तक उसे उसके पीछे लगा कर रखना, तो यह अगर शरई शर्तों के अनुसार है तो यह जायज़ इजारा (ठीका) की किस्मों में से है। रही बात अपने मान-मर्यादा तथा मध्यस्थता (इज्जत-मरतबा और वास्ता) के ज़रीया सिफ़ारिश करना और उसके बदले माल लेना तो यह हराम है।



मज़दूर से काम पूरा लेना मगर उसकी मज़दुरी न अदा करना

नबी ﷺ ने मज़दूर का हक (अधिकार) जल्द से जल्द अदा करने की तरगीब देते (उत्साह प्रदान करते) हुए इरशाद फ़रमाया:

أَعْطُوا الْأَجِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عُرْقُهُ۔ [رواه ابن ماجة: ٨١٧/٢، وهو في صحيح الجامع: ١٤٩٣]

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

78

«मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसका पसीना सूखने से पहले अदा कर दो» {इब्ने माजा: २/८७, सहीहुल जामेअ: १४६३}

(अल्लामा इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फ़रमाया: सही बात यह है कि इस हडीस को तमरीज़ के सेग़ा -अर्थात् शिथिल शब्दों में जैसे फ़लाँ से रिवायत किया गया या कहा गया कि फ़लाँ ने कहा वगैरा- के साथ उल्लेख किया जाए, क्योंकि इसमें ज़अफ़ यानी दूर्बलता है)

मुस्लिम समाज में पाये जाने वाले जुल्म की किस्मों में से श्रमिक, मज़दूर तथा कर्मचारीयों (मुलाज़िमों) को उनका हक़ (प्राप्य) न देना है। और इसकी कई सूरतें हैं; उनमें से:

﴿مَجْدُورُ الْحَكْمِ إِلَيْهِ مَنْ يَرِيدُ أَنْ يَعْلَمُ وَمَنْ يَرِيدُ أَنْ يَعْلَمُ فَلَا يَعْلَمُ﴾
मज़दूर के हक़ का सिरे से इनकार करना और मज़दूर के पास (अपना हक़ साबित करने के लिए) कोई सुवृत न हो। इस मज़दूर का हक़ अगरचे दुनिया में नष्ट (बरबाद) हो जाए लेकिन कियामत के दिन अल्लाह तआला के पास उसका हक़ नष्ट नहीं होगा। क्योंकि मज़लूम (अत्याचारित व्यक्ति) का माल भक्षणकारी यानी खाने वाला ज़ालिम हाजिर होगा इस हाल में कि उसकी नेकियाँ मज़लूम को दे दी जाएंगी, और अगर उसकी नेकियाँ ख़त्म हो गईं तो मज़लूम के गुनाह उसके ऊपर लाद दिये जाएंगे फिर उसे (ज़ालिम को) जहन्नम रसीद कर (नरक में डाल) दिया जाएगा।

﴿وَمَنْ يُؤْتَ حُكْمَ الْمُجْرِمِينَ فَلَا يُؤْتَ حُكْمَ الْمُطَّهِّرِينَ﴾
मज़दूर की मज़दूरी नाहक कम कर देना और उसे उसका पूरा हक़ न देना, हालाँकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

[الطففين: ١] ﴿وَمَنْ يُؤْتَ حُكْمَ الْمُجْرِمِينَ فَلَا يُؤْتَ حُكْمَ الْمُطَّهِّرِينَ﴾

“बड़ी ख़राबी है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए।” {अल्मुत्फ़िक़फ़ीन: १}

इसकी मिसालों में से एक यह है कि बाज़ लोग जो एक निर्धारित वेतन (मुकर्रा तनख़्वाह) के वादे पर कर्मचारियों तथा मज़दूरों को उनके मुल्क (देश) से बुलाते हैं, जब वह आ कर काम करना शुरू कर देते हैं तो उनके साथ की गई एग्रीमेंट को बदल कर कम तनख़्वाह पर इतिफ़ाक़ करते हैं। बेचारे न चाहते हुए भी

(बादिले नखास्ता) काम करते हैं। बसा औक़ात (कभी कभी) अपना हक् सावित करने के लिए उनके पास कोई सुबूत भी नहीं होता, तो वह अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देते हैं। और अगर ज़ालिम मालिक मुसलमान हो और काम करने वाला काफ़िर हो तो उसका यह अ़मल (हक् कम करने का आचरण) अल्लाह के रास्ते से रोकने का सबब बन जाता है, अतः इसका गुनाह भी उसके सर चढ़ जाता है।

﴿ مَجْدُورٌ پَرِ کَامِ جُنَاحًا کَارِ دَنَا یا دِیوُتَیِ اَوَّبَدِیِ (کَامِ کَامِ وَکَتْ) بَذَا دَنَا، لَمَکِین اَسْلَ تَنْخَبَّاَهُ کَے اَلَّاَواَهُ اِجْزَافِی اَمْلَ (اوَّرِ دِیوُتَیِ) کَیِ کَوْرِ اَعْزَرَتَ نَ دَنَا ।

﴿ عَسَکَہُ هَکَ دَنَے مَنِ تَالَ-مَتَوَلَ کَرَنَا । بَذِی مَهْنَتَ وَ مَشَکَّتَ، لَگَاتَارَ تَدَبَّرَ، شِکَوَا-شِکَائِتَ اُورِ اَدَالَتَ کَے سَہَارَا لَنے کَے بَادِ ہُنِیَ اَسَے اَپَنَا هَکَ مِلَتَہُ ہے । بَسَا اُؤکَّاَتَ (کَبَھِيَ کَبَھِي) مَالِکِ کَے تَنْخَبَّاَهُ مَنِ تَاءِخِیَّرَ (وِلَانَبَ) کَرَنَے کَے مَكْسَدَ یَہُ ہُوتَا ہے کَیِ کَرْمَچَارِیِ تَنَجِ آ کَارِ اَپَنَا هَکَ چَوَڈَ دَے تَنَحِ مُتَالَبَا (مَانِگ) کَرَنَے سَے رُکِ جَائِ، یَا کَرْمَچَارِیَوْنَ کَے پَیَسَے اَپَنَے کَارَوَبَارَ مَنِ لَگَا کَارِ عَنَسَے فَاعِدَا ٹَھَانَا چَاہَتَا ہے । اُورِ بَاجُ لَوَگِ توَ عَنَکَیِ تَنْخَبَّاَهُ کَے پَیَسَوْنَ سَے سُوَدِیَ کَارَوَبَارَ کَرَتَہُنِیَ، اُورِ بَیَوَارَا مَجْدُورَ کَوِ نَ اَکَ دِنَ کَے خَانَا نَسَبَیَ ہُوتَا ہے اُورِ نَ اَپَنَے جَرَحَتَمَدَ پَرِیَوَارَ (بَالَ-بَچَوَنَ) کَے لِیَلِ خَرَچَ بَجَ پَاتَا ہے جِنَکَے خَاتِرِ اَپَنَا مُلَکَ چَوَڈَا ہے । اَسَے جَازِلِ مَالِکِوْنَ کَے لِیَلِ ہے کَیِ یَاهِمَتَ کَے دِنَ سَخْتَ اَجَابَ تَنَحِ ہَلَاقَتَ وَ بَرَبَادِیِ । اَبُو حُرَيْرَا رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیَ عَنْہُ رِیَوَاتَ کَرَتَہُنِیَ کَیِ نَبِیَ ﷺ نَے فَرَمَایَا:

«قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْنُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِيْثُمْ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ شَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ». [بخاري، انظر فتح الباري: ٤٤٧/٤].

«अल्लाह तआला का फरमान है कि तीन तरह के लोग ऐसे हैं कि जिनका कियामत के दिन मैं खुद मुद्द़ (वादी) बनूँगा। एक तो वह व्यक्ति जिसने मेरे नाम पे वादा किया फिर वादा खिलाफ़ी की। दूसरा वह जिसने किसी आज़ाद

आदमी को बेच कर उसकी कीमत खाई। और तीसरा वह व्यक्ति जिसने किसी को मज़दूर रखा, फिर काम तो उससे पूरा लिया, लेकिन उसकी मज़दूरी न दी।»
 {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ४/४४७}



अंतीया (दान-प्रदान) में बच्चों के दरमियान अंदल व इंसाफ़ (समता तथा न्याय) न करना

कुछ लोग जान बूझ कर अंतीया प्रदान करने तथा हिंवा करने में अपने बाज़ बच्चों को ख़ास कर लेते हैं और बाज़ को उससे महसूम रखते हैं। अगर कोई शर्ई कारण न हो तो राजेह कौल के मुताबिक़ (प्रावल्य मतानुसार) ऐसा करना हराम है। शर्ई कारण जैसे किसी बच्चे की कोई ऐसी ज़खरत पेश आई जो दूसरों को नहीं है, मसलन (उदाहरण स्वरूप): किसी का बीमार पड़ जाना, या मकरुज़ (ऋणी) हो जाना, या कुरआन हिफ़ज़ करने पर उसे इनआम (पुरस्कार) देना, या यह कि उसके पास आमदनी का कोई ज़रीया न होना, या फ़ेमिली के अफ़राद (परिवार सदस्यों) का ज़्यादा होना, या इल्म के तलब (ज्ञानार्जन) में मशगूल रहना। लेकिन इसके साथ साथ वालिद (पिता) की यह नीयत रहनी चाहिए कि अगर दुसरे बच्चे के साथ इस किस्म की कोई ज़खरत पेश आई तो उसे भी देगा जिस तरह पहले को दिया था। इस पर सामान्य (आम) दलील अल्लाह तआला का यह फ़रमान है:

﴿أَعْدُلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [آل عمران: ٨]

“तुम इंसाफ़ किया करो, वह परहेज़गारी के ज़्यादा करीब है, और तुम अल्लाह तआला से डरते रहो।” {अलमाइदा: ८}

और इसकी विशेष (ख़ास) दलील है नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी (वर्णित) हदीस, जिसमें है कि उनके वालिद (पिता) उनको लेकर रसूलुल्लाह ﷺ के पास आए और कहा:

إِنِّي نَحَلَّتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكُلَّ وَدَكَ نَحَلْتُهُ مِثْلَهُ» فَقَالَ: لَا.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَرْجِعُهُ. [رواه البخاري. انظر الفتح: ٢١١/٥] **وَفِي رَوَايَةٍ:** فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : **فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدُلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ.** قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَ عَطِيَّتَهُ . [الفتح: ٢١١/٥] **وَفِي رَوَايَةٍ:** **فَلَا تُشْهِدُنِي إِذْنُ، فَإِنِّي لَا أَشْهُدُ عَلَى جَوْرٍ.** [صحیح مسلم: ١٢٤٣/٢]

मैंने अपने इस बच्चा को एक गुलाम प्रदान किया है। अल्लाह के रसूल ﷺ ने पूछा: «क्या तुमने अपने सारे बच्चों को उसके मिस्ल (अनुरूप) प्रदान किया है?» उन्होंने कहा: नहीं। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: «तुम उसे वापस ले लो!» {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ५/२११} एक दूसरी रिवायत में है: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ़ करो। रावी (वर्णनाकारी नुमान ﷺ) ने कहा: वह वापस जाकर अपना प्रदत्त (दिया गया) अंतीया वापस ले लिये। {फ़त्हुल बारी: ५/२११} और एक रिवायत में है: (रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:) «तो फिर मुझे गवाह न बनाओ, क्योंकि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता!» {सहील मुस्लिम: ३/१२४३}

इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह की राय यह है कि मीरास की तरह बेटों को बेटियों का डबल हिस्सा दिया जाएगा। {अबू दाऊद रचित ‘मसाएलुल इमाम अहमद’: २०४}

बाज़ घराने ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि बाज़ बाप जो अल्लाह से नहीं डरते हैं अपने बच्चों को कृष्ण देते हुए उनके दरमियान इंसाफ़ नहीं करते हैं (यानी किसी को कम तथा किसी को ज़्यादा देते हैं)। वह अपनी इस हरकत से उनके सीनों को एक दुसरे के खिलाफ़ भड़का देते हैं तथा उनके दरमियान बैर व दुश्मनी का बीज बो देते हैं। बाज़ दफ़ा किसी को इस लिए देते हैं कि वह चचाओं के मुशावेह (की तरह) है और दूसरे को इस लिए नहीं देते हैं कि वह मामूओं के मुशावेह है, या यह कि एक बीवी के बच्चों को वह देते हैं जो दूसरी बीवी के बच्चों को नहीं देते। और कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि एक बीवी के बच्चों को विशेष (स्पेशल) स्कूलों में भर्ती (ऐडमीशन) कराते हैं जबकि दूसरी बीवी के बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते हैं। इस नाइंसाफ़ी की सज़ा बाप ही को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि भविष्य में अक्सर महरूम औलाद (मुस्तक़बिल में अधिकांश वंचित बच्चे) बाप के साथ हुस्ने सुलूक (सदव्यवहार) नहीं करते। नबी ﷺ ने उस व्यक्ति से फ़रमाया जिसने अपने बच्चों में किसी को कम तथा किसी को ज़्यादा अंतीया दिया था:

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

82

«أَلَيْسَ يُسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبَرِّ سَوَاءٌ؟». [رواه الإمام أحمد: ٢٦٩، وهو في صحيح مسلم: ١٦٢٣]

«क्या तुम्हें यह बात पसंद नहीं कि वह तुम्हारे साथ हुस्ने सुलूक में बराबर रहें?» {मुस्नद अहमद: ४/२८६, सहीह मुस्लिम: १६२३}



बगैर ज़खरत के लोगों से माँगना

सहल बिन अल-हन्ज़लिया ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा: अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرَ جَهَنَّمَ». قَالُوا: وَمَا الْغِنَىُ الَّذِي لَا تَنْبَغِي
مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ قَالَ: «قَرْبُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعْشِيهِ». [رواه أبو داود: ٢/٢٨١، وهو في صحيح الجامع: ٦٢٨٠]

«अपने पास ज़खरत भर (काफ़ी) माल होते हुए भी जो किसी से माँगता है, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा जहन्नम की आग के अंगारे जमा करता है।» सहाबा किराम ने पूछा: कितना परिमाण (मिक्दार) माल हो तो माँगना मुनासिब (उचित) नहीं होगा? आप ﷺ ने फ़रमाया: «जितना उसे दोपहर और शाम के खाने के लिए काफ़ी हो जाए।» {अबू दाऊद: २/२८९, सहीहुल जामेअू: ६२८०}

और इन्हे मसऊद ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा: अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَدُوشًا أَوْ كَدُوشًا فِي وَجْهِهِ». [رواه الإمام أحمد: ٣٨٨/١، انظر صحيح الجامع: ٦٢٥٥]

«अपने पास ज़खरत भर (काफ़ी) माल होते हुए भी जो किसी से माँगे, तो क़ियामत के दिन यह (भीक माँगना) उसके चेहरे को ज़ख्मी करेगा या नोचेगा।» {मुस्नद अहमद: ९/३८८, देखें सहीहुल जामेअू: ६२५५}

और सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثِرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلَيُسْتَقْلَ أَوْ لَيُسْتَكْثِرُ». [رواه مسلم: ٢٤٤٦]

«जो व्यक्ति अपने माल की ज्यादती की खातिर लोगों से उनका माल माँगे, तो वह हकीकत में अंगारे माँग रहा होता है, पस चाहे तो उसे कम करे या ज्यादा करे ॥» [मुस्लिम: २४४६]

बाज़ माँगने वाले मस्जिदों में लोगों के सामने खड़े होकर अपने शिकवे पेश करते हुए जिक्र व तस्बीह में खलल (विघ्नता) पैदा करते हैं। उनमें कोई कोई तो झूट का सहारा लेते हुए जाली काग़ज़ात पेश (डुप्लीकेट पेपर्स शो) करते हैं और झूट-मूट के किस्से बयान करते हैं। कभी कभी परिवार के सदस्यों (फ़ेमिली के अफ़राद) को मुख्तलिफ़ मस्जिदों में तक़सीम कर देते हैं, फिर उन्हें इकट्ठा करते हैं, और इस तरह वह एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद का रुख़ करते रहते हैं, हालाँकि वह इतनी अच्छी हालत में होते हैं कि अल्लाह ही बेहतर जानता है, जब वह मर जाते हैं तो उनका तरिका (पैतृक संपत्ति) ज़ाहिर होता (मालूम पड़ता) है। दूसरी तरफ़ हकीकत में जो लोग मुहताज (अभावी) होते हैं, उनके लोगों से चिमटकर न माँगने की वजह से नादान लोग उन्हें मालदार समझते हैं, और उनकी हालत के बारे में पता न चलने की वजह से उन्हें सदक़ा (दान) भी नहीं किया जाता।



अदा न करने की नियत से कर्ज़ लेना

अल्लाह तआला के नज़दीक बंदों के हुकूक (अधिकारों) की बड़ी अहमियत है। यह मुमकिन है कि बंदा तौबा के ज़रीया अल्लाह के हक़ से छुटकारा पा जाए। लेकिन बंदों के हुकूक अदा करना ज़रूरी है उस दिन से पहले जिस दिन दीनार और दिरहम (खपये पैसे) का मुतालबा नहीं होगा बल्कि नेकियाँ लेकर या बदियाँ (पाप) लादकर हुकूक अदा किये जाएंगे। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ५८]

“अल्लाह तआला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत उनके मालिकों को पहुँचा दो।” {अन्निसा: ५८}

आजकल कर्ज़ लेना समाज में आम तथा आसान बात हो चुकी है, बाज़ लोग सख्त ज़खरत पर नहीं बल्कि विलासिता में प्रसार लाने (सुखभोग में इज़ाफ़ा करने) के लिए तथा दूसरों की अंधी तक़लीद (कॉपी) करते हुए न्यू माडल की गाड़ियाँ और घर के साज़ व सामान इत्यादि ख़रीदने के लिए कर्ज़ का बोझ अपने कंधे पर लादते हैं, हालाँकि यह सारी चीज़ें क्षणस्थायी हैं यानी फ़ना तथा विनाश होने वाली हैं। और ऐसे लोग ही अक्सर किस्तों पर सामान ख़रीदते हैं, हालाँकि उसकी बहुत सारी किस्में शुबहा (संशय-संदेह) या हराम से ख़ाली नहीं हैं।

कर्ज़ लेने में तसाहुल (सुस्ती से काम लेना), अदा करने में टाल-मटोल का या दूसरों के माल नष्ट तथा बरबाद करने का कारण बनता है। नबी ﷺ ने इस काम के अंजाम (परिणाम) से सचेत करते हुए फ़रमाया:

«مَنْ أَخْدَى أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخْدَى يُرِيدُ إِتْلَاقَهَا أَتْلَقَهُ اللَّهُ». [رواه

البخاري، انظر فتح الباري: ٥٤/٥]

«जो लोगों के माल अदा करने की नियत से कर्ज़ ले, अल्लाह तआला उसकी तरफ से अदा कर देगा, और जो नष्ट करने की नियत से ले ले अल्लाह तआला उसे विनाश कर देगा» {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ५/५४}

लोग ज्यादातर कर्ज़ के मामले में काहिली (सुस्ती) बरतते हुए उसे छोटा (हल्का) समझते हैं, हालाँकि वह अल्लाह के नज़्दीक अज़ीम (विराट) है, यहाँ तक कि शहीद -जो बड़ी खुसूसियतों, महान प्रतिदान तथा उच्च मकाम का अधिकारी है- वह भी कर्ज़ के बोझ से छुटकारा नहीं पाएगा। इसकी दलील नबी ﷺ का यह फ़रमान है:

«سُبْحَانَ اللَّهِ! مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الدِّينِ؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ، ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دِينٌ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دِينُهُ». [رواه النسائي، انظر المختب: ٣١٤/٧، وهو في صحيح الجامع: ٣٥٩٤]

«सुब्हानल्लाह! कर्ज़ के बारे में अल्लाह तआला ने कितनी सख्त बात उतारी है?! क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर कोई आदमी

अल्लाह के रास्ते में शहीद हो, फिर उसे ज़िंदा किया जाए और फिर शहीद हो, फिर उसे ज़िंदा किया जाए और फिर शहीद हो इस हाल में कि उस पर क़र्ज़ हो, तो वह जन्नत में नहीं दाखिल होगा यहाँ तक कि उसका क़र्ज़ अदा कर दिया जाए।» {नसाई, देखें अलमुज्तबा: ७/३१४, सहीहुल जामेअू: ३५६४} क्या तसाहुल (सुस्ती) और कोताही बरतने वाले इस (वईद तथा धमकी) के बाद भी इससे बाज़ नहीं आएंगे?!



हराम भक्षण (खाना)

अल्लाह से न डरने वालों को यह परवा नहीं होता कि माल कहाँ से कमाए और किस में खर्च करे, बस उसका लक्ष्य यही होता है कि पूँजी में किस तरह इज़ाफ़ा (वृद्धि) हो, चाहे निषिद्ध तथा हराम तरीक़ (माध्यम) ही से क्यों न हो, जैसे चोरी, रिश्वत, ग़स्व, धोखादिही, हराम बेच-कीन, सूदी कारोबार, यतीम का माल भक्षण, हराम काम -मसलन: कहानत, बेहयाई और गाने- पर उन्नत लेना, मुसलमानों के बैतुल माल पर और सरकारी चीज़ों पर ज़्यादती (आक्रमण) करना, दूसरों का माल ज़बरदस्ती ले लेना या बगैर ज़स्तरत के माँगना इत्यादि। फिर वह उसी से (यानी हराम तरीक़ से कमाए हुए माल से) खाता है, पहनता है, सवार होता है, घर बनाता है या किराया पर लेता है और उसे सजाता है और अपने पेट में हराम डालता है। नबी ﷺ ने फरमाया: «كُلْ لَحْمَ نَبَتَ مِنْ سُحْنٍ فَالنَّارُ أَوْئَ بِهِ». [رواه الطبراني في الكبير: ١٣٦/١٩، وهو في صحيح الجامع: ٤٤٩٥]

«हर वह गोश्त जो हराम से उगा (बना) हो आग ही उसका ज़्यादा हक्कदार है।»
 {तबरानी: ٩٦/٩٣٦, सहीहुल जामेअू: ४४६५}

और कियामत के दिन उससे उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि उसने उसे कहाँ से कमाया और किस में खर्च किया? उस वक्त वह हलाकत तथा

ख़सारे (नुक़सान) से दोचार होगा। अतः अगर किसी के पास हराम माल है तो उससे छुटकारा हासिल करने में जल्दी करे। और अगर किसी आदमी का हक् हो तो उससे माफ़ी माँगने के साथ साथ जल्द से जल्द उसका हक् उसे लौटा दे उस दिन के आने से पहले जिस दिन दीनार व दिरहम (रूपये-पैसे) से बदला नहीं चुकाया जाएगा, बल्कि नेकियाँ लेकर या बदियाँ लादकर हक् अदा किया जाएगा।



शराब पीना चाहे एक क़तरा (विन्दु) ही क्यों न हो

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿كَيْفَ يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا أَخْتَرُوا لِلْحُمْرَ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَذَالُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ أَشَيَّطِنِ فَاجْتَبَوْهُ لَعْكَمٌ قُرْبَلْحُونَ﴾ [آل‌آئूة: ٩٠]

“ऐ इमानवालो! बात यही है कि शराब और जुआ और थान (मूर्तियों के स्थान) और फ़ाल निकालने के पाँसे के तीर यह सब गंदी बातें, शैतानी काम हैं, इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ।” {अलमाइदा: ६०}

अलग रहने का आदेश हराम होने की बलिष्ठ (क़वी तथा मज़बूत) दलीलों में से है। और अल्लाह तआला ने शराब को काफ़िरों की मूर्तियों तथा उनके माबूदों के साथ संयुक्त (मिला) करके उल्लेख फ़रमाया है। अतः उनकी कोई दलील नहीं रह जाती जो यह कहते हैं कि अल्लाह तआला ने शराब को हराम नहीं कहा बल्कि कहा है कि उससे अलग रहो।

और नबी ﷺ की हदीस में शराब पीने वालों के लिए सख्त सज़ा की बात आई है। जाविर ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«... إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشَرِّبُ الْمُسْكَرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عِرْقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ». [رواه مسلم: ١٥٨٧/٣]

«--- निश्चय अल्लाह तआला ने नशा आवर चीज़ें (मादक द्रव्य) पीने वालों के बारे में यह प्रतिज्ञा (वादा) किया है कि वह उन्हें ‘तीनतुल ख़बाल’ में से पिलाएगा ॥» सहाबा किराम ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! ‘तीनतुल ख़बाल’ क्या है? आप ﷺ ने फ़रमाया: «जहन्नमियों का पसीना या उनके (बदन से निकला हुआ) पीप ॥» {मुस्लिम: ३/१५८७}

और इन्हे अब्बास रजियल्लाहु अून्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: «مَنْ مَاتَ مُدْمِنَ حَمْرَ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ كَعَابِدٌ وَثُنِّ». [رواہ الطبرانی: ۴۵، وهو في صحيح الجامع: ۱۵۲۵]

«जो व्यक्ति शराब का शैदाई (आसक्त) बनकर मरेगा, वह अल्लाह से मुलाक़ात करेगा इस हाल में कि वह एक मूर्ती के पुजारी की तरह है ॥» {तबरानी: १२/४५, سहीहुल जामेअ: ६५२५}

दौरे हाजिर (वर्तमान युग) में मुख्तलिफ़ किस्म की शराब तथा विभिन्न प्रकार की नशेली चीज़ें जनम ली हैं, जिन्हें मुख्तलिफ़ अरबी तथा अजमी (अजनबी) नामों से मौसूम (नामकरण) किया जाता है। जैसे: बीअर (Beer), अलकोहल (Alcohol), अरक (Arrack), वोडका (Vodka) और शैप्पेन (Champagne) वगैरा। और इस उम्मत में ऐसे लोगों का भी जुहूर (आविर्भाव) हो चुका है जिनके बारे में नबी ﷺ ने फ़रमाया कि:

«لَيَشْرِبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرُ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا». [رواہ الإمام أحمد: ۲۴۲/۵، وهو في صحيح الجامع: ۵۴۵۳]

«मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पियेंगे, मगर ‘शराब’ के अतिरिक्त उसका दूसरा नाम देंगे ॥» {मुस्लिम अहमद: ५/३४२, سहीहुल जामेअ: ५४५३}

वह लोग धोखा तथा दग्गाबाज़ी करते हुए शराब को शराब कहने के बजाए रुहानी शरबत कहते हैं।

﴿يُنْخَدِّعُونَ اللَّهَ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَنْخَدِّعُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ۹]

“वह अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन हकीकत में वह खुद अपने आपको धोखा दे रहे हैं, मगर समझते नहीं।” {अलबक़रा: ६}

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

88

शरीअत एक ऐसा अ़्ज़ीम ज़ाबिता (महान कायदा तथा नियम) लेकर आई है जिससे मामले का क़तई फैसला हो जाता है और खेल-तमाशा करने वालों की जड़ कट जाती है (फ़िल्म परवरों का किला कमा हो जाता है)। और वह ज़ाबिता नबी ﷺ का यह फ़रमान:

«كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْنٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». [رواه مسلم: ١٥٨٧/٣]

«हर नशा आवर चीज़ (मादक द्रव्य) शराब है, और हर नशा आवर चीज़ हराम है» [मुस्लिम: ३/१५८७]

अतः हर वह चीज़ जो अक्ल व खिरद में असर अंदाज़ (विवेक-बुद्धि में प्रभाव विस्तारकारी) हो और नशा लाए हराम है चाहे कम हो या ज़्यादा। नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». [رواه أبو داود: ٣٦٨١، وهو في صحيح أبي داود: ٢١٢٨]

«जिस चीज़ का ज़्यादा परिमाण नशा लाए उसका कम परिमाण भी हराम है» [अबू दाऊद: ३६८१، सहीह अबू दाऊद: ३९२८]

और नाम चाहे जितने प्रकार के हों चीज़ एक ही है और उसका हुक्म मालूम (विदित) है।

अखीर में शराबियों के लिए नबी ﷺ की यह नसीहत (सदुपदेश) पेश की जा रही है:

«مَنْ شَرَبَ الْخَمْرَ وَسَكَرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرَبَ فَسَكَرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرَبَ فَسَكَرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْتَحْيِي مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ». [رواه ابن ماجة: ٢٣٧٧]

«जो व्यक्ति शराब पीकर नशेबाज़ी करे तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होगी। अगर वह मर जाए तो जहन्नम में दाखिल होगा, और अगर

वह तौबा करे तो अल्लाह तआला उसकी तौबा क़बूल फ़रमायेगा। फिर अगर वह दोबारा शराब पीकर नशेबाज़ी करे तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होगी। अगर वह मर जाए तो जहन्नम में दाखिल होगा, और अगर वह तौबा करे तो अल्लाह तआला उसकी तौबा क़बूल फ़रमायेगा। और अगर फिर वह दोबारा शराब पीकर नशेबाज़ी करे तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होगी। अगर वह मर जाए तो जहन्नम में दाखिल होगा, और अगर वह तौबा करे तो अल्लाह तआला उसकी तौबा क़बूल फ़रमायेगा। और अगर फिर दोबारा ऐसा करे तो अल्लाह तआला कियामत के दिन उसे ज़खर ‘रदग़तुल ख़बाल’ में से पिलाएगा » सहाबा किराम ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! ‘रदग़तुल ख़बाल’ क्या है? आप ﷺ ने फ़रमाया: «जहन्नमियों के (बदन से निकला हुआ) पीप » {इन्हे माज़ा: ३३७७, सहीहुल जामेअ०: ६३१३}

यह अगर शराबख़ोरों का हाल है तो उनका क्या हाल होगा जो इससे भी कड़ी तथा तीव्र नशीली चीज़ें –जैसे भांग, गांजा, अफीम इत्यादि- सेवन करते हैं और हमेशा नशा की हालत में रहते हैं।



सोने चाँदी के बर्तन इस्तेमाल (प्रयोग) करना और उसमें खाना पीना

आजकल घर के असबाब बेची जाने वाली कोई ऐसी दूकान नहीं है जिसमें सोने चाँदी के बर्तन या सोने चाँदी के पानी से रंग चढ़ाए हुए बर्तन न हों। इसी तरह मालदारों के घरों में और बाज़ होटलों में इस तरह के बर्तन देखे जाते हैं। बल्कि इस किस्म के बर्तन कीमती उपहारों में से एक उपहार बन गए हैं जो विभिन्न मुनासबात (उपलक्षों तथा अनुष्ठानों) में लोग एक दूसरे को पेश करते हैं। और बाज़ लोग सोने चाँदी के बर्तन अपने घर में तो नहीं रखते, लेकिन दूसरों के घरों तथा शादी-ब्याह के उत्सवों में इनका इस्तेमाल करते हैं। यह

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

90

सबके सब इस्लामी शरीअत में हराम हैं। इनके इस्तेमाल करने के बारे में नबी ﷺ से सख्त धमकी आई है। उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने इरशाद फ़रमाया:

«إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَسْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالدَّهَبِ إِنَّمَا يُجَرِّجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». [رواه مسلم: ١٦٢٤/٣]

«जो शख्स सोने चाँदी के बर्तन में खाता या पीता है वह हकीकत में अपने पेट में जहन्नम की आग डाल रहा होता है॥» {मुस्लिम: ३/१६३४} यह हुक्म हर बर्तन तथा खाने के हर किस्म के सामान -जैसे प्लेट, काँटे वाले चमचे, चमचे, चाकू- और मेहमान नवाज़ी में पेश किए जाने वाले बर्तनों तथा अनुष्ठान आदि में पेश किए जाने वाले मिठाई के डब्बों को शमिल है।

बाज़ लोग कहते हैं कि हम इनका इस्तेमाल नहीं करते लेकिन शोकेस में ज़ीनत के तौर पर सजाकर रखते हैं। इसके इस्तेमाल के सदे बाब के लिए (इसके प्रयोग के माध्यम को रोकने की ख़ातिर) ऐसा करना भी नाजायज़ है। {यह बात शेष इब्ने बाज़ रहेमहुल्लाह के जुवानी बयान में से है}



झूटी गवाही

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿فَاجْتَبَنُوا الرِّجْسَكَ مِنَ الْأَوْثَنِ وَلَجْتَبَنُوا قَوْلَكَ الرُّزُورَ ﴾٢٠﴾
[الحج: ٢٠-٢١] [مشير كين بيه]

“तुम बुतों की गंदगी से बचते रहो और झूटी बात से भी परहेज़ करते रहो अल्लाह की तौहीद को मानते हुए (और) उसके साथ किसी को शरीक न करते हुए।” {अल्हज्ज: २०, ३१}

अब्दुर्रहमान बिन अबू बकरा रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, वह अपने बाप से रिवायत करते हैं। उनके बाप ने कहा:

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَلَا أُنْبَئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلَاثًا» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: إِلَيْشِرَاعُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ - وَجَسَّ وَكَانَ مُتَكَبِّلًا - فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ» قَالَ: فَمَا زَالَ يَكْرِهُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. [رواه البخاري، انظر الفتح: ٢٦١/٥]

हम अल्लाह के रसूल ﷺ के पास थे कि आपने तीन मर्तबा फ़रमाया: «क्या मैं तुम्हें बड़े गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बता दूँ?» सहाबा किराम ने कहा: ज़रूर फ़रमायें ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: «अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन (माता पिता) की नाफरमानी (अवज्ञा) करना!» -आप टेक लगाए हुए थे उठकर बैठ गए- फिर फ़रमाया: «सुनो! और झूटी गवाही देना!» रावी का बयान है कि आप इसे मुसलसल दुहराते रहे यहाँ तक कि हमने कहा: काश आप ख़ामोश हो जाते। {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ५/२६१}

झूटी गवाही देने से बार बार सावधान करने की वजह यह है कि लोग इस बारे में लापरवाही करते हैं, और हसद तथा दूशमनी जैसी बहुत सारी चीज़ें इंसान को इस पर उभारती (प्ररोचित करती) हैं, और इससे बहुत सारी ख़राबियाँ जन्म लेती हैं। देखें तो सही कि झूटी गवाही के कारण कितने हुकूक ज़ायेअू तथा बरबाद (नष्ट) हुए, कितने निरपराध (बेकुसूर) अन्याय तथा जुल्म के शिकार हुए, कितने लोग मालिक बन गए उस चीज़ के जिसके वह हक्कदार नहीं थे, या कितने लोग उस नसब (वंश) के साथ संयुक्त कर दिए गए जिस नसब से उसका संबंध नहीं है।

झूटी गवाही के बारे में लापरवाही का मंज़र (दृश्य) अदालतों में देखा जाता है। वहाँ आदमी किसी दूसरे से मुलाक़ात करके कहता है कि तुम मेरा होकर (मेरे पक्ष में) गवाही देना, मैं तुम्हारा होकर (तुम्हारे पक्ष में) गवाही दूँगा। अतः वह ऐसे मामले में गवाह बनते हैं जिसकी हकीकत तथा अवस्था का इत्म होना ज़रूरी होता है, -जैसे किसी ज़मीन या किसी घर की मिलकियत की गवाही देना अथवा किसी के बेकुसूर होने की गवाही देना-, जबकि उससे उसकी मुलाक़ात नहीं हुई मगर अदालत के दरवाज़े या चौखट पर। ऐसी गवाही झूटी तथा मिथ्या गवाही है। अतः वैसी गवाही देनी चाहिए जैसी गवाही का ज़िक्र अल्लाह की किताब में हुआ है:

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ [يوسف: ٨١]

“और हमने वही गवाही दी थी जो हम जानते थे।” {यूसुफ़: ٢٩}



गाना-बजाना (गीत-स्मृतिक) सुनना

इब्ने मसऊद ﷺ अल्लाह की क़सम खाकर कहते थे कि अल्लाह तआला के इस फ़रमान

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشَرِّى لَهُو الْحَدِيثُ لِيُضْلِلَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [لقمان: ٦]

“और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लग्व (असार) बातों को मोल लेते हैं ताकि लोगों को अल्लाह की राह से बहकायें।” {लुक्मानः: ٦}

में म़ज़ूर “लहवलू हदीस” से मुराद गाना है। {तफ्सीर इन्झु कसीर: ٦/٣٣٣}

और अबू आमिर तथा अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحْلُونَ الْحَرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخُمْرَ وَالْمَعَازِفَ» [رواه البخاري، انظر

الفتح: ٥١/١٠]

«बेशक मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग ज़रुर होंगे जो ज़िना, रेशम, शराब और गाने बजाने को हलाल समझेंगे।» {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ٩٠/٥٩}

और अनस ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«لِيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَقَنْدُفٌ وَمَسْخٌ، وَدَلِكَ إِذَا شَرِبُوا الْخُمُورَ، وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ، وَضَرِبُوا بِالْمَعَازِفِ» [انظر السلسلة الصحيحة: ٢٢٠٢، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي،

والحادي رواه الترمذى رقم: ٢٢١٢]

«बेशक इस उम्मत में (कई तरह का अज़ाब) ज़रुर आएगा: ज़मीन में धसना, पथरों की बारिश और बुरी सूरत में तब्दीली (परिवर्तन)। और यह उस समय होगा जब वह (उम्मत के लोग) शराब पियेंगे, गाने वाली लौंडियाँ रखेंगे और

म्यूजिक बजायेंगे ॥ {देखें सिलसिला सहीहा: २२०३, और इसे 'जम्मुल मलाही' में इन्हु अविदुनिया की तरफ मन्सूब किया है। इस हरीस को तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, हरीस नम्बर: २२१२}

और नबी ﷺ ने तबला से भी मना फरमाया तथा बाजा के बारे में फरमाया कि वह अहमक व फ़ाजिर (निर्बुद्धि व दुराचारी) व्यक्ति की आवाज़ है। साबिक उलमा -जैसे इमाम अहमद रहिमहुल्लाह- ने गाने-बजाने के आलात (वाद्य यंत्रों) -जैसे बीन (Lute), मेनडोलीन (Mandoline), बाँसुरी (Flute), सारंगी (Rebeck) और मँजीरे (Cymbals)- के हराम होने की बात उल्लेख किया है। और कोई शक नहीं कि नए गाने-बजाने के आलात (माडन वाद्य यंत्र) -जैसे चौतारा (Violin), बर्बत (Zither), पियानो (Piano) और गीतार (Guitar) इत्यादि- नबी ﷺ की हरीस में मना कर्दा (निषिद्ध) वाद्य यंत्र में शामिल हैं, बल्कि यह नए आलात दिल बहलाने (रसिकता व प्रसन्नता) में पुराने आलात -जिनकी मुमानअत (मनाही) बाज़ हरीसों में आई है- कहीं ज्यादा असर अंदाज़ (प्रभावी) हैं। इन्हुल कैयिम तथा दूसरे उलमा ने ज़िक्र किया है कि गाने-बजाने इंसान को शराब से ज्यादा मतवाला करते हैं।

और इसमें कोई शक नहीं कि मनाही उस समय अधिक सख्त हो जाती है तथा पाप ज्यादा भयानक हो जाता है जब म्यूजिक के साथ गाने और गायकीयों एवं गायिनीयों की आवाजें हों। तथा मुसीबत उस वक्त और संगीन हो जाती है जब गाने में इश्क व मुहब्बत, प्रेम-प्रीति, आर्जू व तमन्ना और हुस्न व जमाल (रूप-सौंदर्य) की बातें हों। इसी लिए उलमा ने बताया कि गाना ज़िना का डाक (वसीला) है और वह दिल में निफाक (कपटता) पैदा करता है। उमूमन (साधारणतः) गाने और म्यूजिक का विषय इस ज़माने में सबसे बड़े फ़िल्मों में से एक फ़िल्म बन गया है।

आजकल बहुत सारी चीज़ों -जैसे घड़ीयों, घंटीयों, बच्चों के खिलौने और बाज़ टेलीफ़ोन तथा मोबाइलों- में म्यूजिक दाखिल होने से मुसीबत और बढ़ गई है। अतः इससे बचने के लिए दृढ़ संकल्प (अ़ज़्मे मुसम्मम) की ज़रूरत है। अल्लाह ही मददगार है।

ग्रीबत

मुसलमानों की ग्रीबत करना और उनकी इज़्जतों से खेलना बहुत सी मजलिसों (सभाओं) की ज़ीनत बन चुकी है। हालाँकि यह ऐसा विषय है जिससे अल्लाह तआला ने अपने बंदों को रोका है, और उससे नफ़रत दिलाई है तथा उसकी ऐसी धिनावनी (जघन्य) मिसाल पेश की है जिससे नफ़स नफ़रत करते हैं। चुनांचे अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنْجِبْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلْ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَهْتُمُوهُ﴾

[الحجرات: ١٢]

“और तुम में से कोई किसी की ग्रीबत न करे, क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तुमको उससे धिन आएगी।”
{अलहुजुरात: ٩٢}

नबी ﷺ ने ग्रीबत का मतलब (अर्थ) बयान करते हुए फ़रमाया:

«أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذَكْرُ أَخَاهُ بِمَا يُكْرِهُ». قيل: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَثْتَهُ». [رواه مسلم: ٢٠٠١/٤]

«क्या तुम जानते हो ग्रीबत किसे कहते हैं?» सहाबा किराम ने कहा: अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फ़रमाया: «तेरा अपने भाई के बारे में ऐसी बातों का ज़िक्र करना जिनको वह नापसंद करता हो।» पूछा गया: आप बताएं अगर मेरे भाई में वह चीज़ मौजूद हो जो मैं कह रहा हूँ? आपने फ़रमाया: «अगर उसमें वह चीज़ मौजूद है जो तू कह रहा है तो फिर तू ने उसकी ग्रीबत की है, और अगर वह चीज़ उसमें नहीं है तो फिर तू ने उस पर बुहतान बाँधा।» {मुस्लिम: ४/२००९}

अतः ग्रीबत यह है कि आप अपने मुस्लिम भाई में मौजूद ऐसी बातों का ज़िक्र करें जिनको वह नापसंद करता हो। चाहे यह बात उसके बदन में हो या उसके दीन और दुनिया में, या उसके नफ़स या उसके अख्लाक अथवा उसकी पैदाइश

में मौजूद हो। और ग़ीबत की बहुत सारी सूरतें हैं, जैसे उसके ऐबों (दोषों) को बयान करना या तनज़्र व ताना (व्यंग व कटाक्ष) के तौर पर उसके किसी नक़ल व हरकत (चालचलन) की नक़्क़ती करना।

लोग ग़ीबत के विषय में तसाहुल (तुच्छज्ञान) करते हैं हालाँकि वह अल्लाह के नज़रीक क़बीह व शनीअू (जघन्य व वृणित) है। इस पर आप ﷺ का यह फ़रमान दलालत करता है:

«رَبُّنَا اثْنَانٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَدْنَاهَا مُثْلٌ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَأَنَّ أَرْبَى الرَّبِّيَا اسْتِطَالَةً الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ». [السلسلة الصحيحة: ١٨٧١]

«सूद के बहत्तर दरवाजे हैं, उनमें सबसे कमतर आदमी का अपनी माँ से जिना करने की तरह है, और सबसे बड़ा आदमी का अपने भाई की इज़्ज़त व आबरू पर हमला करना है» {सिलसिला सहीहः ٩٧٩}

जिस मजलिस में ग़ीबत हो उसमें हाज़िर शख्स (उपस्थित व्यक्ति) पर वाजिब है कि वह मुनकर यानी अन्याय बातों से रोके और मुग़ताब भाई (ग़ीबत की जाने वाले आदमी) की तरफ से दिफ़ाअू करे। इस काम पर तरगीब दिलाते हुए नबी ﷺ ने इरशाद फ़रमाया:

«مَنْ رَدَ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [رواه أحمد: ٤٥٠/٦، وهو في صحيح الجامع: ٦٢٢٨]

«जो शख्स अपने भाई की इज़्ज़त का दिफ़ाअू करेगा, अल्लाह तआला कियामत के दिन उसके चेहरे से जहन्नम की आग को दूर कर देगा» {अहमद: ٦/٤٥٠, سहीहुल जामेअू: ٦٢٣٦}



चुग्लखोरी

लोगों में फ़िल्ता-फ़साद फैलाने की ग़र्ज़ से एक की बात दूसरे तक पहुँचाना आपसी तअल्लुकात को काटने तथा लोगों के दरमियान कीना कपट व दुश्मनी की आग

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

भड़काने के अङ्गीम अस्बाब (बड़े कारणों) में से एक सबब है। अल्लाह तआला ने चुगलखोर के इस फेल की मज़म्मत (कर्म की निंदा) करते हुए फरमाया:

96

﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ [الفلق: ١٠-١١]

“तथा आप किसी ऐसे शख्स का कहना न मानें जो बात बात पर (झूटी) क़समें खाने वाला हो, (और) जो (बार बार झूटी क़सम खाने के कारण लोगों में) बेवकार (लाँछित) हो। (और) जो ग़ीबत करने वाला (तथा) चुगलखोर हो।”
{अलकलम: ७०-७१} हुजैफा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاتُّ». [رواه البخاري، انظر الفتح: ٤٧٢/١٠، وفي النهاية لابن الأثير ٤/١١؛ وقيل: القاتات الذي يتسمى على القوم وهو لا يعلمون ثم ينم].

«चुगलखोर जन्नत में प्रवेश नहीं करेगा» {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ७०/४७२। इन्जुल असीर की ‘अन्निहाया’ नामी किताब में है कि ‘कत्तात’ यानी ‘चुगलखोर’ वह व्यक्ति है जो लोगों की ला इत्मी में उनकी बातें सुन लेता है फिर चुगली करता है।}

और इन्जे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि:
مَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِّنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانٍ يُعْذَبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ: بَلَى [وفي رواية: وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ]، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَرُّ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْأُخْرُ يَمْشِي بِالنِّيمِيَّةِ...». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ٣١٧/١]

नबी ﷺ ने मदीना के बागों में से किसी एक बाग के पास से गुज़रते हुए दो ऐसे आदमी की आवाज़ सुनी जिन्हें उनके कब्रों में अङ्गाब हो रहा था, तो आपने फरमाया: «इन दोनों को अङ्गाब हो रहा है, लेकिन इन्हें किसी बड़ी चीज़ के कारण अङ्गाब नहीं हो रहा है।» फिर आपने फरमाया: «क्यों नहीं! बेशक वह बड़ा पाप है (जिसके कारण इन्हें अङ्गाब हो रहा है)।» इन में से एक अपने पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता था। {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ٩/٣٩٧}

इस काम की क़बीह सूरतों (जघन्य रूपों) में से एक सूरत यह है कि इसके द्वारा शौहर को बीवी के खिलाफ़ तथा बीवी को शौहर के खिलाफ़ भड़का

कर उनके तअल्लुकात को छिन्न-भिन्न करने की कोशिश करना। इसी तरह नुक्सान पहूँचाने की ग़र्ज से बाज़ मुलाजिमों का दूसरों की बात मैनेजर या ज़िम्मेदार तक पहूँचाना भी एक किस्म की चुगलख़ोरी है। और यह सबके सब हराम हैं।



बगैर इजाज़त के दूसरों के घरों में झाँकना (दाखिल होना)

अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿يَكَانُونَ الَّذِينَ أَمْنَأُوا لَا تَدْخُلُوا يُومَّا عَيْدِ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ سَتَأْتِسُوا وَسُلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾

[النور: ٢٧]

‘ऐ ईमान वालो! अपने घरों के सिवा और घरों में न जाओ जब तक कि इजाज़त न ले लो और वहाँ के रहने वालों को सलाम न कर लो।’ {अन्नूर: २७}

इजाज़त लेने की हिक्मत (कारण) ‘घर वालों की पोशीदा चीज़ों को जान लेने का डर’ है। जैसाकि रसूलुल्लाह ﷺ ने इस कारण को वाज़ेह (स्पष्ट) करते हुए इरशाद फरमाया:

«إِنَّمَا جُعِلَ الْاسْتِدَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ٢٤/١]

«निगाह के कारण इजाज़त तलबी का हुक्म नाज़िल किया गया है।» {बुखारी, देखें फ़हुल बारी: १/२४]

आजकल चूँकि बिल्डिंगें एक दूसरे से क़रीब हैं, इमारतें एक दूसरे से मुत्तसिल (मिली हुई) हैं तथा खिड़कियाँ और दरवाज़े एक दूसरे के मुक़ाबिल (आमने-सामने) हैं, इस लिए पड़ोसियों के सामने एक दूसरे के भेद के प्रकाश पाने का एहतिमाल (आशंका) ज्यादा हो गया है। (दूसरी बात यह है कि) बहुत सारे लोग अपनी निगाहें नीची नहीं रखते हैं। और ऊपर रहने वाले बाज़ लोग अम्दन (जानबूझ कर) अपनी खिड़कियों तथा छतों से नीचे रहने वाले पड़ोसियों के घरों में ताकते-झाँकते

हैं, जबकि ऐसा करना खियानत है तथा पड़ोसियों की हुम्रत (सम्मान) की पामाली है, और हराम तक पहुँचने का ज़रीया व माध्यम है। और इसी के सबब बहुत सारे फिल्में और मुसीबतें रुनुमा होते (सामने आते) हैं। इस विषय के संगीन होने पर दलील के तौर पर यह बात काफी है कि ताकने-झाँकने वाले की आँख फोड़ देने पर शरीअत में कोई दियत नहीं है। जैसाकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया:

«مِنْ اطْلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَهُوا عَيْنَهُ». [رواه مسلم: ١٦٩٩/٣] وفی

رواية: «فَقَدَّقُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصٌ». [رواه الإمام أحمد: ٣٨٥/٢، وهو في صحيح الجامع: ٦٠٢٢]

«जो शख्स दूसरों के घर में बगैर उनकी इजाजत के झाँके, तो उनके लिए उसकी आँख फोड़ देना हलाल हो जाता है» {मुस्लिम: ३/१६६६} दूसरी रिवायत में है: «अगर उन्होंने उसकी आँख फोड़ दी तो न कोई दियत है और न किसास» {मुस्नद अहमद: २/३८५}



तीसरे को छोड़कर दो आदमी का आपस में सरगोशी (कानाफूसी) करना

यह मजलिसों की आफतों में से एक आफत है, और मुसलमानों के दरमियान तफरक़ा पैदा करने (फूट डालने) तथा उनके सीनों को एक दूसरे के खिलाफ़ भड़काने के लिए शैतान के चक्रांतों (चालों) में से एक चक्रांत है। रसूलुल्लाह ﷺ ने इसका हुक्म और इसकी इल्लत (विधान और कारण) बयान करते हुए इरशाद फ़रमाया: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَّجَزَّ رَجُلٌ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَطِطُوا بِإِنْسَانٍ، [مِنْ] أَجْلِ أَنْ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ٨٣/١١]

«जब तुम तीन आदमी हो तो तीसरे को शामिल किये बगैर दो आदमी कानाफूसी न करो यहाँ तक कि लोगों से मिल जाओ, क्योंकि ऐसा करना उसे रंजीदा कर (दुश्चिंहता में डाल) देता है» {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ٩٩/٨٣}

और चौथे --- को छोड़कर तीन जनों का कानाफूसी करना इसी के अंतर्गत है। इसी तरह दो आदमियों का ऐसी जुबान में बात करना जिसे तीसरा न समझता हो कानाफूसी में शामिल है। निःसंदेह कानाफूसी में एक तरह से तीसरे की हिकारत होती है, या उसे इस गुमान में डाल दिया जाता है कि वह दोनों उसके साथ बुराई वगैरा का इरादा (उसके खिलाफ़ साज़िश) कर रहे हैं।



टख्ने के नीचे कपड़ा लटकाना

टख्ने के नीचे लटका कर कपड़े पहनने को लोग आसान तथा हल्का (छोटा मोटा) पाप ख्याल करते हैं, हालाँकि वह अल्लाह के नज़दीक अ़ज़ीम (बड़ा अपराध) है। बाज़ लोगों के कपड़े ज़मीन को छू जाते हैं तथा बाज़ लोग उसे अपने पीछे घसीटते हुए चलते हैं। अबू जर्र سे रिवायत है कि रसूलल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

『ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزْكَيُهُمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، الْمُسْبِلُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ』 [رواه مسلم: ١٠٢/١]

[وفي رواية: إِبْرَاهِيمَ، وَالْمَنَّانُ [وفي رواية: الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنْهُ]، وَالْمُنْفِقُ سُلْطَةٌ

«तीन लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह तआला कियामत के दिन न बात करेगा, न उनकी तरफ़ रहमत की दृष्टि से देखेगा और न उनको पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अ़ज़ाब (कष्टजनक शास्ति) होगा। (वह लोग हैं) अपने तहबंद को (टख्ने के नीचे) लटकाने वाला, इहसान जतलाने वाला और झूटी क़स्मों से अपने सामान बेचने वाला ॥» {मुस्लिम: ٩/٩٥٢}

और जो शख्स यह कहे कि मैं अपने कपड़े तकब्बुर (गर्व) से नहीं लटकाता तो वह अपने नफ़स का ऐसा तज़किया (सफाई पेश) करता है जो मक़बूल (मान्य) नहीं है। क्योंकि कपड़े लटकाने वाले के लिए हदीस में जिस धमकी का उल्लेख हुआ है वह आम है, चाहे वह तकब्बुर के इरादा से लटकाये या बगैर तकब्बुर के इरादा से लटकाये। जैसाकि आप ﷺ का फ़रमान इस पर दलालत करता है:

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

100

«مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزارِ فِي النَّارِ». [رواه الإمام أحمد: ٢٥٤/٦، وهو في صحيح الجامع: ٥٧١]
«तहबंद का जो हिस्सा टखनों से नीचे है वह दोज़ख में है» {मुसनद अहमद: ६/२५४, सहीहुल जामेअ: ५७७}

और अगर तकब्बुर से लटकाये तो उसकी सज़ा ज्यादा सख्त तथा बड़ी है।
जैसाकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ جَرَ ثُوبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [رواه البخاري: ٣٤٦٥]

«जो शख्स तकब्बुर के साथ अपने कपड़े लटकाता है, कियामत के दिन अल्लाह तआला उसकी तरफ रहमत की निगाह (करुणा की दृष्टि) से नहीं देखेगा» {बुखारी: ٣٤٦٥}

और ऐसा इस लिए कि उसने एक साथ दो हराम का इर्तिकाब किया। लटकाना हर लिवास में हराम है, जैसाकि इन्हे उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित (मरवी)
हदीस में रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«الْإِسْبَالُ فِي الْإِزارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعَمَامَةِ، مَنْ جَرَ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [رواه أبو داود: ٤/٣٥٣، وهو في صحيح الجامع: ٢٧٧٠]

«लटकाना तहबंद, कमीस, पगड़ी सभी में है, जो शख्स भी किसी कपड़े को तकब्बुर के साथ लटकायेगा कियामत के दिन अल्लाह तआला उसको रहमत की नज़र से नहीं देखेगा» {अबू दाऊद: ४/३५३, सहीहुल जामेअ: २७७०}

अलबत्ता औरतों के लिए सतर्कता मूलक (इहतियात के तौर पर) पैर के पर्दा की ग़ुर्ज़ से एक बालिश या एक ग़ज़ लटकाने की इजाज़त है, क्योंकि हवा वग़ैरा से उनके पैर खुलने का डर होता है। लेकिन लटकाने में हद से तजावुज़ (सीमालंघन) करना उनके लिए भी जायज़ नहीं है, जैसे शादी-व्याह में बाज़ दुल्हनों के कपड़े कई बालिश तथा कई मीटरों तक लटकते रहते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी यह नौबत आजाती है कि दुल्हन के पीछे लटकते कपड़े किसी को पकड़े रहना पड़ता है।



मर्दों के लिए किसी भी प्रकार के सोने का सामान इस्तेमाल करना

अबू मूसा अशअउरी ﷺ से मरवी है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: «أُحَلٌ لِإِنَاثٍ أُمُّتِي الْحَرِيرُ وَالنَّذَهَبُ، وَحُرْمٌ عَلَى دُكُورُهَا». [رواه الإمام أحمد: ٣٩٣/٤، انظر صحيح الجامع: ٢٠٧]

«मेरी उम्मत की औरतों के लिए रेशम और सोना हलाल कर दिया गया है, और उसके मर्दों पर हराम किया गया है» {मुस्नद अहमद: ४/३६३, देखें सहीहुल जामेओः २०७}

आजकल मार्किट में खास मर्दों के लिए मुख्तलिफ़ क्रेट के सोना से या पूरे तौर पर सोने का पानी चढ़ा कर चंद चीज़ें तैयार की गई हैं, जैसे घड़ी, चश्मा, बटन, क़लम, चैन तथा कुंजीदान इत्यादि। और बाज़ प्रतियोगिता के पुरस्कार का एलान करते हुए यह कहना/लिखना कि ‘मर्दों के लिए सोने की घड़ी Men Gold Watch’ एक मुनक्कर तथा अन्याय काम है।

इन्हे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ एक आदमी के हाथ में सोने की एक अंगूठी देखकर उसे निकाल फेंका, और फ़रमाया: «يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ!» فَقَيْلٌ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حُنْدٌ خَاتَمَكَ انتَفَعْ بِهِ، قَالَ: لَا آخُذُهُ أَبَدًا، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. [رواه

مسلم: १६०५/३]

«(क्या) तुम मैं से कोई आग की चिंगारी अपने हाथ मैं उठाने का इरादा करता है?» रसूलुल्लाह ﷺ के चले जाने के बाद उस आदमी से कहा गया: तुम अपनी अंगूठी ले लो और उससे फ़ायदा उठाओ। उसने कहा: नहीं, अल्लाह की क़सम! मैं उसको कभी नहीं उठाऊँगा, जिसे रसूलुल्लाह ﷺ ने फेंक दिया है। {मुस्लिम: ३/१६५५}



औरतों का छोटा (शॉर्ट), पतला तथा तंग (टाइट) कपड़ा पहनना

इस दौर में हमारे दुश्मनों ने हम पर जिन चीजों के ज़रीया हमला किया है उनमें से यह मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के लिबास-पोशाक तथा विभिन्न स्टाइल व फैशन के ड्रेस-यूनीफॉर्म हैं जो मुसलमानों में आम हो चुके हैं। यह इतने शॉर्ट अथवा इतने पतले या इतने टाइट होते हैं कि इनसे शर्मगाह (लज्जास्थान) भी नहीं ढकते। इनमें बहुत से ऐसे लिबास होते हैं जिनका औरतों के दरमियान तथा महरमों के सामने भी पहनना जायज़ नहीं है। आखिरी ज़माना की औरतों में इस तरह के लिबास के ज़ाहिर होने की खबर हमें नबी ﷺ ने दी है। जैसाकि अबू हुरैरा رضي الله عنه की हदीस में आया है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرْهُمَا: قَوْمٌ مَعْهُمْ سِيَاطُ كَادُنَابُ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بَهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمْبَلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُسُهُنَّ كَاسِنَةٌ الْبُخْتُ الْمَائِلَةُ، لَا يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ [رواه مسلم: ۱۶۰/۳]

«दोज़खियों की दो किस्में हैं जिनको मैं ने नहीं देखा: एक किस्म वह लोग हैं जिनके पास गाय की दुमों के मानिंद (पूँछों के मिस्ल) कोड़े हूँगे जिनसे वह लोगों को मारेंगे। दूसरी किस्म वह औरतें हैं जो (बज़ाहिर) लिबास पहने हूँगी, लेकिन नंगी हूँगी, अपने कंधों को हिलाते हुए मटक मटक कर चलेंगी, उनके सर लम्बे गर्दन वाले ऊँटों के कोहान के मिस्ल लचकदार हूँगे, वह औरतें न जन्नत में जायेंगी और न ही जन्नत की खुशबू पायेंगी हालाँकि जन्नत की खुशबू इतनी इतनी दूर से आ रही होगी।» [मुस्लिम: ۳/۹۶۰]

और नीचे से लम्बाई में खुला ड्रेस या कई ओर से खुला लिबास जो बाज़ औरतें पहनती हैं, इन्हीं (हराम) लिबासों में शामिल (के अंतर्गत) है। क्योंकि इस तरह के लिबास पहनने से शर्मगाह (या उसका कुछ हिस्सा) ज़ाहिर हो जाता है, और साथ ही साथ इसमें काफ़िरों की मुशाबहत (अनुरूपता) है, और फैशनों तथा स्टाइलों में और उनकी ईजाद कर्दा (आविष्कृत) घृणित लिबासों में उनका अनुकरण (इत्तिबाअ) है। हम अल्लाह से हिफ़ाज़त और सलामती का सवाल करते हैं।

इसी तरह बाज़ कपड़ों में मनकूश (चित्रित/अंकित) बुरी तस्वीरें भी ख़तरनाक उमूर (विषयों) में से हैं। -जैसे गायकों की तस्वीरें, संगीत में ताल देने वाले ग्रूप की तस्वीरें, शराब के बोतलों की तस्वीरें, ऐसे रुह (प्राण) वाले की तस्वीरें जो शरीअत में हराम है, सलीब (कूस) की तस्वीरें अथवा ख़बीस क्लबों या ऑर्गनाइजेशनों के लोगों (तनज़ीमों के शिआर), या इज़्ज़त व शरफ और इफ़फ़त व पाकदामनी को दागूदार करने वाली इबारतें (बातें) लिखना जो ज़्यादातर अजनबी (गैर अरबी) जुबानों में होती हैं।



मर्द व औरत का अपने बाल में दूसरे इंसान का या इंसान के अलावा किसी और का बाल लगवाना

अस्मा बिन्ते अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: एक औरत नबी ﷺ के पास आकर कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी दुल्हन बेटी के बाल खसरा (चीचक) की बीमारी की वजह से गिर गए हैं। तो क्या मैं उसके सर में मस्नूई (कृत्रिम/ बनावटी) बाल मिला सकती हूँ? तो आप ﷺ ने फ़रमाया:

«لَعْنَ اللَّهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» [رواه مسلم: ١٦٧٦/٣]

«अल्लाह त़ाला ने उस औरत पर लानत (शाप) की है जो मस्नूई बाल मिलाती है और जो मिलवाती है» {मुस्लिम: ३/१६७६}

और जाविर ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा कि:

رَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ تَصِلَّ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا. [رواه مسلم: ١٦٧٩/٣]

«नबी ﷺ ने औरत को अपने सर में कुछ मिलाने से मना फ़रमाया है» {मुस्लिम: ३/१६७६}

हमारे दौर में इसकी एक मिसाल कृत्रिम केश का खोंपा (बनावटी बालों का गुच्छा) है, और बाल मिलवाने वाली की मिसाल केश विन्यासकारिणीयों की है जिनके हॉल अन्याय से भरे होते हैं।

इस हराम कर्म की एक मिसाल अपने बालों में मुस्तआर (अस्थायी) बालों के मिलाने की भी है, जैसे बाज़ अभागा-अभागी नायक-नायिका जो ड्रामों तथा थिएटरों में (अपने बालों में) मिलाती हैं।



वेश-भूषा, बात-चीत तथा चाल-चलन में नारी-पुरुष का एक दूसरे की मुशाबहत (अनुख्पता) अखिलयार करना

अल्लाह तआला ने अपने बंदों के लिए जो फ़ितरत मुकर्र (प्रकृति निर्णय) फ़रमाया है उसका तकाज़ा (मांग) यह है कि मर्द अपनी पैदाइशी मर्दानगी (स्वभाविक पुरुषत्व) की और औरत अपनी पैदाइशी निस्वानियत (स्वभाविक नारीत्व) की हिफाज़त करे। और यह उन अस्बाब (माध्यमों) में से है कि जिसके बगैर लोगों की ज़िंदगी संवर नहीं सकती। और मर्दों का औरतों की मुशाबहत तथा औरतों का मर्दों की मुशाबहत अखिलयार करना फ़ितरत की मुख्यालफ़त (प्रकृति की विरोधिता) करना और फ़िले-फ़साद के द्वार खोलना है एवं समाज में बद नज़ीरी (दुर्व्यवस्था) फैलाना है, जिसका शरई हुक्म हराम है। क्योंकि अगर शरई नुसूस (शरीअत की दलीलों) में कोई ऐसा काम जिसके करने वाले पर लानत (शाप) की जाये, तो वह उसके हराम होने की दलील होती है, और इस बात पर दलालत करती है कि वह काम कबीरा गुनाहों के अंतर्गत है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि:

«عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ».

[رواه البخاري، انظر الفتتح: ٢٢٢/١٠]

«रसूलुल्लाह ﷺ ने औरतों की मुशाबहत अखिलयार करने वाले मर्दों पर तथा मर्दों की मुशाबहत अखिलयार करने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई है।»

{बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ٩٠/٣٣٢}

और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ही से मरवी (वर्णित) दूसरी हडीस में है कि:

«عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَيَّنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرْجَلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ». [رواه البخاري، الفتح:

. [٢٢٣/١٠]

«वेश-भूषा आदि में औरतों की मुशाबहत अखिलयार करने वाले मर्दों पर तथा मर्दों की मुशाबहत अखिलयार करने वाली औरतों पर रसूलुल्लाह ﷺ ने लानत फ़रमाई है।» {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ٩٠/٣٣٣}

मुशाबहत कभी चाल-चलन, आचार-आचरण और चलने-फिरने में होती है, जैसे जिस्म को औरतों की शक्ति में ढालना, उनके अंदाज़ में बात-चीत करना तथा उनकी शैली में चलना-फिरना।

और मुशाबहत पोशाक-परिच्छद में भी होती है, अतः मर्द के लिए हार-माला, कंगन, पाजेब (धूँधरू) तथा बालीयाँ इत्यादि पहनना -जैसे कि यह निर्बोध व नासमझ किस्म के लोगों में आम है- जायज़ नहीं है। इसी प्रकार औरत के लिए ऐसा लिबास पहनना जो मर्द के लिए खास हो -जैसे सौब (लम्बा कुर्ता) व शर्ट प्रभृति- जायज़ नहीं है, बल्कि हैअत-हुलया (आकार-आकृति) और कटिंग तथा स्टाइल व डिज़ाइन में भी विरोधिता (मुखालफत) ज़खरी है। और पोशाक-परिच्छद में एक दूसरे की विरोधिता ज़खरी होने की दलील अबू हुरैरा ؓ से मरवी (वर्णित) वह हडीस है, जिसमें रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«عَنْ اللَّهِ الرَّجُلَ يَلْبِسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبِسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ». [رواه أبو داود: ٤، ٣٥٥]

وهو في صحيح الجامع: [٥٠٧١]

«औरत का पोशाक पहनने वाले मर्द पर तथा मर्द का पोशाक पहनने वाली औरत पर अल्लाह तभ़ाला ने लानत फ़रमाई है।» {अबू दाऊद: ٤/٣٥٥, सहीहुल जामेअः ٥٠٧١}



बालों को काले रंग से रंगना (बालों में काला खिज़ाब लगाना)

106

नबी ﷺ के निम्नोक्त फ़रमान में मज़कूर (उल्लिखित) धमकी के अनुसार सहीह मत यह है कि बालों में काला खिज़ाब लगाना हराम है।

«يُكُونُ قَوْمٌ يَخْضُبُونَ فِي أَخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَالِ الْحَمَامِ لَا يَرِيْحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ».

[رواه أبو داود: ٤١٩/٤، وهو في صحيح الجامع: ٨١٥٣.] (والنسائي بإسناد صحيح [ز]).

«आखिरी ज़माना में ऐसी कौम जन्म लेगी जो अपने बालों को कबूतर के सीने की तरह काले रंग से रंगीन करेंगे, जिसके कारण वह जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी।» {अबू दाऊद: ٨/٤٩٦، सहीहुल जामेअ: ٢٩٥٣، (इन्तु बाज़ रहेमहुल्लाह ने फरमाया: इस हीस को नसई ने सही सनद के साथ रिवायत किया है)}

बुढ़ापे का असर (बालों में सफेदी) ज़ाहिर होने वाले लोगों में यह अमल ज्यादा आम है। चुनांचे वह अपने (सफेद) बालों को काले रंग से बदल कर कई फ़साद तथा बिगाड़ की जन्म देते हैं, जैसे धोका देना, अल्लाह की तख्लीक (रचना) पर पर्दा डालना और वास्तविक अवस्था के अतिरिक्त कृत्रिम अवस्था से तृप्त होना (अस्ली हालत के अलावा नक़ली हालत से खुश होना)। निःसंदेह व्यक्तिगत आचार (शख्सी सुलूक) पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और इंसान कभी कभी इससे धोका भी खा जाता है। सहीह सनद (विशुद्ध सूत्र) से साबित है कि नबी ﷺ अपने बालों की सफेदी को मेहँदी से तथा इस प्रकार की ऐसी चीज़ से जिसमें पीलापन, लालपन या भूरापन होता था परिवर्तन करते थे। अनुरूप मक्का विजय (फ़त्हे मक्का) के दिन जब अबू बक्र ؓ के पिता अबू कुहाफ़ा लाये गये, उस समय उनके सर और दाढ़ी के बाल अत्यधिक पकने के कारण सफेद फूल की तरह दिखाई दे रहे थे, तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«غَيْرُوا هَذَا بَشَيْءٍ وَاجْتَبِبُوا السَّوَادَ». [رواه مسلم: ١٦٦٣/٣]

«किसी चीज़ (रंग) से इसे बदल दो और काले रंग से बचो।» {मुस्लिम: ٣/٩٦٦٣}

और सही बात यह है कि इस विषय में औरत भी मर्द की तरह है, अतः वह भी अपने उन बालों को जो काले नहीं हैं काले रंग से रंग नहीं सकती।



कपड़े, दीवार तथा काग़ज़ इत्यादि में प्राणी (ज़ी रुह) की तस्वीर उतारना

अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوَّرُونَ». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ٤٠٢/١٠]

«कियामत के दिन अल्लाह के यहाँ सबसे सख्त अङ्गाब भोग करने वाले तस्वीर उतारने वाले लोग होंगे» {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ٩٠/٣٢}

और अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَحْلَقِي، فَلَيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلَيَخْلُقُوا ذَرَّةً...». [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ٣٨٥/١٠]

«अल्लाह तआला ने फ़रमाया: उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो मेरे पैदा करने की तरह पैदा करने की कोशिश करता है, (अगर हो सके तो) एक दाना या एक ज़र्रा (कण) ही पैदा करके दिखाए» {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ٩٠/٣٤}

और इन्हे अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«كُلُّ مُصَوَّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوْرَهَا نَفْسًا فَتَعْذِبُهُ فِي جَهَنَّمَ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعْلِمَا فَاصْنِعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوحَ فِيهِ. [رواه مسلم: ١٦٧١/٣]

«हर तस्वीर उतारने वाला दोज़ख में जाएगा, उसकी उतारी हुई हर तस्वीर में (अल्लाह तआला) रुह (प्राणवायु) डालेगा, पस वह उसे जहन्नम में अङ्गाब देगी। इन्हे अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फ़रमाया: अगर तुम करना ही चाहते हो तो

वृक्ष (दरख्त) तथा आत्माहीन (जिसमें रुह न हो ऐसी) चीज़ों की तस्वीर उतारो ॥

{मुस्लिम: ३/१६७९}

उक्त हडीसों से इसानों तथा जानवरों -चाहे वह छाया विशिष्ट हों या छायाहीन-में से हर प्राणी की तस्वीर की हुर्मत साबित होती है, चाहे वह तस्वीर छापी जाए, खींची जाए, काट काट कर बनाई जाए, नक्श व निगार करके अंकन की जाए, तराश कर प्रस्तुत की जाए या फ़्रेम में रखकर तैयार की जाए, इनमें कोई फ़र्क (अंतर) नहीं है, क्योंकि तस्वीरों के हराम होने के बारे में वर्णित सारी हडीसें हर तरह की तस्वीरों को शामिल हैं।

मुसलमान को चाहिए कि शरीअत की दलीलों के सामने अपने आपको टेक दे, और वाद विवाद (वहस मुबाहसा) करते हुए यह न कहे कि न तो मैं उनकी इबादत करता हूँ और न ही उनको सज्दा करता हूँ!! अगर अ़क्लमंद अपनी अ़क्लमंदी की निगाह (ज्ञानी अपने ज्ञान की दृष्टि) से दौरे हाज़िर में तस्वीर के कारण फैली ख़राबियाँ में से सिर्फ़ एक ख़राबी पर गौर करे तो वह शरीअत में तस्वीर के हराम होने की हिक्मत को जान जाएगा। कामोत्तेजना (शहवत अंगेज़ी) जैसा अ़ज़ीम फ़िल्म तस्वीरों से जनम लेता है, बल्कि व्यभिचार में पतित (फ़वाहिश में वाकेअ़्र) होने का ज़रीया तथा माध्यम यह तस्वीरें हैं।

मुसलमान को चाहिए कि वह अपने घर में किसी प्राणी (ज़ी रुह) की तस्वीर न रखे, ताकि यह उसके घर में फ़रिश्तों के न प्रवेश करने का सबब न बने।

क्योंकि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَوِّرُ». [رواه البخاري، انظر الفتاح: ١٠/٣٨٠]

«जिस घर में कूत्ता या तस्वीरें हूँ उसमें फ़रिश्ते प्रवेश नहीं करते ॥» {बुखारी, देखें फ़हुल बारी: ३८०/१०}

बाज़ घरों में मूर्तीयाँ पाई जाती हैं जिनमें से कुछ काफ़िरों के माबूदों की मूर्तीयाँ भी होती हैं, जो तोहफे के नाम पर और ज़ीनत के तौर पर रखी जाती हैं, हालाँकि इसकी हुरमत (निषिद्धि) दूसरी तस्वीरों की तुलना (मुक़ाबला) में ज़्यादा

सख्त है। इसी तरह लटकाई हुई तस्वीरों की हुरमत न लटकाई हुई तस्वीरों से ज़्यादा सख्त है। क्योंकि इन (लटकाई हुई) तस्वीरों ने कितनों को ताज़ीम व सम्मान की ओर धकेला, कितनों के दबे ग्रामों को ताज़ा किया तथा कितनों को फ़ख़ व गर्व के चौखट पे ला खड़ा किया!! और यह कहना सही न होगा कि तस्वीरें यादगार के लिए हैं, क्योंकि मुसलमानों में से किसी प्रिय (अज़ीज़) या रिश्तेदार की हळ्कीकी याद तो दिल में होती है, पस उनके लिए रहमत व मग़फिरत (दया व क्षमा) की दुआ की जाएगी।

अतः सारी तस्वीरों को निकालना या मिटाना वाजिब (आवश्यक) है। मगर वह तस्वीरें जिनका निकालना मुश्किल तथा कठिन हो तो और बात है, जैसे डब्बों, शब्दकोषों, रीफ़रेन्स बुक्स (हवाला की किताबों) फ़ायदेमंद किताबों में मौजूद तस्वीरें। अल्बत्ता हो सके तो इनको भी मिटाने की कोशिश करे। और उन चीज़ों से सचेत (होशयार) रहे जिनके बाज़ में निकृष्ट (बुरी) तस्वीरें होती हैं। हाँ, ऐसी तस्वीरें रखी जा सकती हैं, जिनकी ज़रुरत पड़ती है, जैसे शनाख्ती कार्ड (पहचान पत्र) के लिए। बाज़ उलमा ने इस्तेमाल के ज़रीया बोसीदा (पुराना) की जाने वाली तस्वीरों -जैसे पापोश, कार्पेट इत्यादि में मौजुद तस्वीरों- की इजाज़त दी है। अल्लाह तज़ाला ने फ़रमाया:

﴿فَانْقُوْا إِلَّهٌ مَا أَسْتَعْظُمُ﴾ [التغابن: ١٦]

“तो जहाँ तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो।” {अत्तग़ाबुन: ٩٦}



गढ़ करके झूटे ख़्वाब (सपना) बयान करना

बाज़ लोग मर्यादा (फ़ज़ीलत), लोगों में शोहरत के हुसूल (ख्याति प्राप्ति) के लिए, माली मनफ़अ़त की ग़रज़ (आर्थिक लाभ के उद्देश) से या अपने दुश्मनों को भय प्रदर्शन करने (डराने) इत्यादि के लिए देखे बगैर मिथ्या ख़्वाबों का आश्रय लेते हैं (यानी गढ़ करके झूटे ख़्वाब बयान करते हैं)। और चूँकि बहुत से अ़वाम

ख़ाबों के बारे में अ़कीदत (आस्था) तथा उनसे बलिष्ठ संबंध (गहरा तअ़ल्लुक) रखते हैं, इस लिए वह इस झूट के ज़रीया प्रतारित (धोखे के शिकार) होते हैं। ऐसा करने वालों के लिए हडीस में सख्त धमकी आई है। नबी ﷺ ने फरमाया: «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفَرَىٰ أَنْ يَدْعُ عَيْرَ أَبِيهِ، أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ، وَيَقُولَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلُّ». [رواه البخاري، انظر الفتاح: ٥٤٠/٦].

«सबसे बड़े झूट तथा गढ़त में से है: आदमी का अपने को दूसरे के बाप की ओर निस्बत (संयोजन) करना, या अपनी आँखों को वह चीज़ दिखलाना जिसको उसने नहीं देखा (यानी जो ख़ाब नहीं देखा उसको बयान करना) अथवा रसुलुल्लाह ﷺ की तरफ ऐसी बात मन्सूब (संबद्ध) करना जो आपने नहीं फ़रमाई» {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ٦/٥٨٠} दूसरी हडीस में नबी ﷺ ने इरशाद फ़रमाया:

«مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرُهُ، كُلُّ فَأْنَ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ...». [رواه البخاري، انظر الفتاح: ٤٢٧/١٢].

«जो शख्स ऐसा ख़ाब बयान करे जो उसने देखा नहीं, तो (कियामत के दिन) उसको बराबर तक्लीफ़ दी जाती रहेगी कि दो जौ के दानों के दरमियान गिरह लगाए, लेकिन वह कभी गिरह न लगा सकेगा---» {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ٩٢/٤٢٧}

और दो जौ के दरमियान गिरह लगाना असंभव (नामुम्किन) बात है। अतः जैसी करनी वैसी भरनी (जैसा कर्म तैसा फल)।



कब्रों पर बैठना, उनको रौंदना तथा क़ब्रिस्तान में पेशाब-पाखाना करना

अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसुलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فَتُحرِقَ شِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ». [رواه مسلم: ٦٦٧/٢].

«तुम में से कोई आदमी अंगारे पर बैठे, और अंगारा उसके कपड़ों को जला दे और उसका असर उसके चमड़े तक पहुँच जाए, उसके लिए यह बेहतर है इससे कि वह किसी कब्र पर बैठे» [मुस्लिम: २/६६७]

बाज़ लोग कब्रों को रौंदते हुए चलते हैं। जब वह अपने मैयत को दफ़नाने जाते हैं, तो आसपास में कबरस्थ (मदफून) दूसरे मुर्दों का इहतिराम (सम्मान) किये बगैर कब्रों को अपने पैरों से (और कभी अपने जूतों से) रौंदते हुए बिल्कुल द्विज्ञक नहीं करते हैं। इस आचरण के बड़ा भारी (भयानक) होने के सिलसिले में रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाते हैं:

«لَأَنَّ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلَى بُرْجُلٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرٍ مُسْلِمٍ...». [رواه ابن ماجة: ٤٩٩/١، وهو في صحيح الجامع: ٥٠٣٨].

«मेरा किसी अंगारे पर या किसी तलवार पर चलना, अथवा पैरों के साथ अपने जूतों को सी देना, मेरे नज़दीक किसी मुसलमान की कब्र पर चलने से ज़्यादा पसंदीदा तथा बेहतर है» [इन्नु माजा: १/४६६, सहीहुल जामेअू: ५०३८]

(अगर यह है उनका अंजाम जो कब्रों पर चलते हैं) तो उनका क्या अंजाम होगा जो कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा जमा कर उस पर तिजारती या रिहायशी बिल्डिंग निर्माण करने के लिए प्रकल्प कायम करते हैं।

इसी तरह बाज़ बदनसीब कब्रिस्तानों में पेशाब-पाख़ाना करते हैं। जब उन्हें क़ज़ाए हाजत (पेशाब-पाख़ाना) की ज़खरत होती है, तो कब्रिस्तान की दीवार पर चढ़ कर या उसमें प्रवेश हो कर अपनी गंदगी और मैला से मुर्दों को तकलीफ़ देते हैं। नबी ﷺ फ़रमाते हैं:

«وَمَا أُبَالِي أَوْسَطَ الْقَبْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ السُّوقِ». [التخريج السابق].

«मुझे इसकी परवा नहीं है कि कब्र के बीच में क़ज़ाए हाजत करने या बाज़ार के बीच में» [साविक हवाला]

अर्थात कब्रिस्तान में पेशाब-पाख़ाना करना उसी तरह कबीह (जघन्य) है, जिस तरह बाज़ार में लोगों के सामने शरमगाह (लज्जास्थान) खोल कर पेशाब करना

कबीह है। और जो लोग जान-बुझकर कब्रिस्तानों में (खासकर उन कब्रिस्तानों में जो वीरान हो चुके हूँ और जिनकी दीवारें गिर चुकी हूँ) गंदगी, मैल-कुचेल तथा कूड़ा-करकट फँकते हैं, उक्त धमकी में वह लोग भी शरीक हैं। कब्रिस्तानों की ज़ियारत के समय जिन आदाब का ख़्याल रखना चाहिए उनमें से एक यह है कि कब्रों के बीच चलने का इरादा करते समय अपने जूते उतार (खोल) ले।



पेशाब से न बचना

इस्लामी शरीअत की ख़ूबियों में से यह है कि उसने हर वह चीज़ जिसमें इंसान की भलाई है बयान कर दिया है। और उन्हीं में से एक अपवित्रता (नजासत) दूर करना है। और इसी के लिए इस्तिंजा तथा इस्तिज़्मार (पानी अथवा ढेला या पत्थर आदि से अपत्रिता दूर करने) का हुक्म जारी किया गया है। और साफ़-सफाई (परिष्कार-परिच्छन्नता) किस तरह हासिल की जाएगी, उसका भी तरीक़ा बता दिया गया है। मगर बाज़ लोग नजासत दूर करने के सिलसिले में सुस्ती से काम लेते हैं तथा बद इहतियाती बरतते हैं, जिसके कारण उनके कपड़े या उनके शरीर में नापाक चीज़ (गंदगी) लग जाती है, और इसके नतीजे में उनकी नमाज़ सहीह नहीं होती है। नबी ﷺ ने फ़रमाया कि यह (यानी पेशाब से न बचना) कब्र में अ़ज़ाब होने के अस्वाब (कारणों) में से एक है। इन्हे अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी (वर्णित) है, उन्होंने कहा कि:

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطِ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانٍ يُعْذَبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يُعْذَبَانِ، وَمَا يُعْذَبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى [وَفِي رِوَايَةِ: وَإِنَّهُ لِكَبِيرٍ]، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يُسْتَرِّ مِنْ بُولِهِ، وَكَانَ الْأُخْرُ يُمْشِي بِالنَّمِيمَةِ...»۔ [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ١/٣١٧]

नबी ﷺ ने मरीना के बागों में से किसी एक बाग के पास से गुज़रते हुए दो ऐसे आदमी की आवाज़ सुनी जिन्हें उनके कब्रों में अ़ज़ाब हो रहा था, तो आपने फ़रमाया: «इन दोनों को अ़ज़ाब हो रहा है, लेकिन इन्हें किसी बड़ी चीज़ के कारण

अङ्गाब नहीं हो रहा है» फिर आपने फ़रमाया: «क्यों नहीं! बेशक वह बड़ा पाप है (जिसके कारण इन्हें अङ्गाब हो रहा है)» इन में से एक अपने पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुग्ली करता था। {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: १/३१७}

बल्कि आप ﷺ ने यहाँ तक फ़रमाया कि:

«أَكْثُرُ عَذَابِ الْقُبُرِ مِنْ الْبُوْلِ». [رواہ الإمام أحمد: ۲۲۶/۲، وهو في صحيح الجامع: ۱۲۱۲].
 «अक्सर (अधिकांश) कब्र का अङ्गाब पेशाब की वजह से होता है» {मुस्लद अहमद: २/३२६, सहीहुल जामेअ०: ९२९३}

‘पेशाब से न बचना’ के अंतर्गत है (जुमरा में आता है) जो शख्स पूरे तौर पर पेशाब कार्य समाधा (खत्म) होने से पहले उठ जाए, अथवा जानबूझ कर ऐसी हैअत व कैफियत (अवस्था) में या ऐसी जगह में पेशाब करे कि उसका पेशाब उसी पर लौट आए, अथवा इस्तिंजा या इस्तिजमार न करे, या करे लेकिन सही ढंग से नहीं।

दौरे हाजिर (वर्तमान युग) में काफिरों का अनुकरण (देखा देखी) करते हुए बाज़ टॉइलेटों में पेशाब के लिए ऐसी जगहें बनाई गई हैं जो दीवारों के साथ लगी (संयुक्त) तथा ओपेन (खुली) हैं। वहाँ लोग आते हैं और आने-जाने वालों के सामने बेशर्म (निर्लज्ज) होकर पेशाब करते हैं, फिर नापाकी की हालत में अपना कपड़ा पहन कर चले जाते हैं। और इस तरह वह दो घिनावने हराम काम (का इर्तिकाब) करते हैं: १- लोगों की निगाह से अपने शर्मगाह की हिफाज़त नहीं करते हैं। २- (पानी, ढेला, पत्थर या टीशू पेपर वगैरा से अपने शर्मगाहों को पाक-साफ़ न करने के कारण) पेशाब से नहीं बचते हैं।



**चोरी-छिपे किसी की बात सुनना जबकि वह इसे नापसंद
करता हो (जासूसी करना)**

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

﴿وَلَا يَجْسُوسُوا﴾ [الحجرات: ١٢]

“और तुम जासूसी न करो।” {अलहुजुरातः १२}

114

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा:
रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مِنْ اسْتَمْعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ فِي أُذُنِيهِ الْأُنْكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ。» [رواوه الطبراني في الكبير: ١١/٢٤٨-٢٤٩، وهو في صحيح الجامع: ٦٠٠٤]

«जो शख्स किसी की बात सुने इस हाल में कि वह उसे नापसंद करता हो, तो कियामत के दिन उसके कानों में सीसा पिघला कर डाला जाएगा।» {तबरानी कबीर: ٩٩/٢٨٦-٢٨٧, सहीहुल जामेअः ٦٠٠٨}

और अगर वह उसको नुक्सान (क्षति) पहुँचाने की ग़रज़ से उसकी बातें उसकी अज्ञाता (लाइल्मी) में दूसरों के पास बयान करे, तो वह जासूसी के पाप के साथ साथ चुगलख़ोरी करने के पाप का भी मुस्तहिक (अधिकारी) होगा। नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتُ». [رواوه البخاري، الفتح: ١٠/٤٧٢، والفتات الذي يتسمى إلى حديث القوم وهو لا يشعرون به ثم ينفله].

«चुगलख़ोर जन्नत में प्रवेश नहीं करेगा।» {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ٩٠/٤٧٢। ‘क़त्तात’ यानी ‘चुगलख़ोर’ वह व्यक्ति है जो लोगों की बात उनकी ला इल्मी में सुन लेता है फिर दूसरों के सामने बयान करता है।}



पड़ोसियों के साथ बद सुलूकी (कुआचरण) करना

अल्लाह तआला ने पड़ोसी के बारे में वसियत करते हुए फ़रमाया:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِأَوْلَادِنَّ إِحْسَنًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَأَلْيَتَمَى وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَأَبْنِ السَّيِّلِ وَمَا مَلَكْتُ أَيْمَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: ٣٦]

“और अल्लाह तआला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो, और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक व इह्सान करो, और रिश्तेदारों से, और यतीमों से, और मिस्कीनों से, और क़रीब के पड़ोसी से, और दूर के पड़ोसी से, और पहलू के साथी से, और राह के मुसाफिर से, और उनसे जिनके मालिक तुम्हारे हाथ हैं, निःसंदेह अल्लाह तआला तकब्बुर करने वालों (अहंकारियों) को तथा घमंड करने वालों को पसंद नहीं फ़रमाता।” {अन्निसा: ३६}

पड़ोसी के हक् तथा अधिकार अ़ज़ीम (महान) होने के कारण उसको तकलीफ़ देना हराम है। अबू शुरैह ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا فِي الْمَسْكِنِ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ قَبْلَ مَنْ يَأْمُنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ قَبْلَ الَّذِي لَا يَأْمُنُ جَارٌ بِوَاقِفٍ۔ [رواه البخاري، انظر فتح الباري: ٤٤٢/١٠]

«अल्लाह की क़सम! वह (कामिल) मो'मिन नहीं है, अल्लाह की क़सम! वह (कामिल) मो'मिन नहीं है, अल्लाह की क़सम! वह (कामिल) मो'मिन नहीं है» पूछा गया: कौन? ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: «जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ़ से मामून (सूरक्षित) नहीं रहता।» {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ٩٠/٤٤٣}

नबी ﷺ ने पड़ोसी का अपने पड़ोसी की प्रशंसा या निंदा (तारीफ़ या मज़म्मत) करने को सदाचार तथा कदाचार का मानदंड (अच्छे और बुरे सुलूक का मेयार) करार दिया। इन्हे मसऊद ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक आदमी ने नबी ﷺ से पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं ने पड़ोसी के साथ अच्छा किया या बुरा किया, मुझे यह कैसे मालूम होगा? तो नबी ﷺ ने फ़रमाया: إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ: قَدْ أَحْسَنْتَ، فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتَ، فَقَدْ أَسَأْتَ۔ [رواه الإمام أحمد: ٤٠٢، وهو في صحيح الجامع: ٦٢٣]

«जब तुम अपने पड़ोसियों को यह कहते हुए सुनो कि ‘तुमने अच्छा किया’ तो जानो कि तुमने अच्छा किया, और जब तुम उन्हें यह कहते हुए सुनो कि ‘तुमने बुरा किया’ तो जानो कि तुमने बुरा किया।» {मुस्नद अहमद: ٩/٤٠٢, سहीहुल जामेओ: ٦٢٣}

विभिन्न रूप (मुख्तलिफ़ तरीके) से पड़ोसियों को तकलीफ़ दी जाती है, जैसे: मुश्तरक (मिलीजुली) दीवार में लकड़ी गाड़ने न देना, पड़ोसी की इजाज़त के बगैर दीवार पर इतनी बुलंद तामीर (निर्माण) करना कि धूप या हवा उसके घर में प्रवेश न करने पाये, उसके घर की तरफ खिड़की लगाना और उसके भेद जानने के लिए उससे झाँकना, तंग करने वाली आवाज़ों -जैसे खटखटाना और चीखना चिल्लाना- से तकलीफ़ पहुँचाना, खासकर सोने तथा आराम-विश्राम के समय, उसके बच्चों को मारना अथवा उसके दरवाज़े की चौखट के पास कचड़ा फेंकना। उक्त आचार-व्यवहार अगर पड़ोसी के साथ किये जाएं, तो पाप और बड़ा तथा दुगना हो जाता है। नबी ﷺ ने फरमाया:

«لَأَنْ يَرْبُّنِي الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْبُّنِي بِأَمْرَةٍ جَارِهِ .. لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتٍ جَارِهِ». [رواه البخاري في الأدب المفرد برقم: ١٠٣، وهو في السلسلة الصحيحة]

«आदमी का दस औरतों से ज़िना करने का जुर्म अपने पड़ोसी की एक औरत से ज़िना करने की अपेक्षा (बनिस्बत) आसान तथा हल्का है। -- अनुरूप आदमी का दस घरों से चोरी करने का जुर्म अपने पड़ोसी के घर से चोरी करने की अपेक्षा (बनिस्बत) आसान तथा हल्का है।» [बुखारी ने अलअदबुल मुफरद में इसे रिवायत किया है, नम्बर: ٩٠٣, سहीहुल जामेअः ٦٥]

बाज़ ग़द्दार पड़ोसी की नाइट शिफ्ट डियूटी में उसकी अनुपस्थिति (गैर मौजूदगी) को ग़नीमत समझ कर फ़साद पैदा करने के लिए उसके घर में प्रवेश करते हैं। पस उसके लिए कठिन दिन के अ़ज़ाब द्वारा हलाकत व बरबादी है।



वसीयत में हक्कदार का हक्क मारकर या घटाकर उसे नुक़सान पहुँचाना

इस्लामी शरीअत के कायदों में से एक कायदा (नीति) यह है कि: ‘ला इल्मी (अज्ञाता) में किसी को नुक़सान पहुँचायें और न जानबूझ कर किसी को नुक़सान

पहूँचायें’। मसलन (उदाहरण स्वरूप): शरीअत स्वीकृत सारे उत्तराधिकारीयों (शरीअत की तरफ से मुकर्रर कर्दा वारेसीन) को या उनमें से किसी को विरासत से महसूम करके नुक्सान पहूँचाना। जो शख्स ऐसा करेगा उसके लिए नबी ﷺ की जुबानी घोषित यह धम्रकी है:

«مَنْ ضَارَ أَضَرَ اللَّهَ بِهِ، وَمَنْ شَاقَ شَقَّ اللَّهَ عَلَيْهِ». [رواه الإمام أحمد: ٤٥٢/٣، انظر صحيح

الجامع: ٦٣٤٨].

«जो दूसरों को नुक्सान पहूँचायेगा अल्लाह उसे नुक्सान पहूँचायेगा, और जो दूसरों को तक्लीफ़ देगा अल्लाह उसको तक्लीफ़ देगा।» {मुस्नद अहमद: ३/४५३, देखें: सहीहुल जामेअः ६३४८}

वसीयत द्वारा नुक्सान पहूँचाने की शक्लों (रूपों) में से हैं: किसी वारिस को उसके शरई हक़ (वैध अधिकार) से महसूम करना, अथवा शरई नियम-कानून के खिलाफ़ किसी वारिस के लिए वसीयत करना, या सुलुस (तृतीयांश) से ज्यादा की वसीयत करना।

उन स्थानों (मूलकों) में जहाँ शरई कानून के मुताबिक़ फैसला नहीं होता, वहाँ हक़दार को उसका वह हक़ जो अल्लाह ने उसे दिया है मिलना मुश्किल तथा कठिन हो जाता है। क्योंकि वहाँ मानव रचित कानून लागू है, जो शरीअत के खिलाफ़ फैसला करता है, और वकील के पास लिखी हुई ज़ालिमाना वसीयत नाफिज़ (लागू) करने का हुक्म देता है। अतः उनके हाथों की लिखाई को और उनकी कमाई को हलाकत और अफ़सोस है।



नर्द (चौसर) का खेल

लोगों में आम तथा प्रचलित बहुत सारे खेल बहुत सी हराम चीज़ों को शामिल हैं। उनमें से एक नर्द है जिससे शुरू करके दूसरे बहुत से खेलों की तरफ़ मुंतकिल (स्थानंतरित) होते हैं, जैसे डाइस वगैरा। नबी ﷺ ने इस नर्द से जो जुआ के दरवाजे खोलता है सावधान करते हुए फ़रमाया:

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

118

«مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيرِ فَكَانَ مَا صَبَغَ يَدُهُ فِي لَحْمِ حِنْزِيرٍ وَدَمِهِ». [رواہ مسلم: ٤/١٧٧٠]

«जिसने नर्द का खेल खेला, गोया उसने अपने हाथ को सुअर के गोश्त तथा उसके खून से रंग लिया» {मुस्लिम: ४/१७७०}

और अबू मूसाؓ से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ». [رواہ الإمام أحمد: ٤/٣٩٤، وهو في صحيح الجامع: ٦٥٠٥]

«जो नर्द का खेल खेला, उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की।» {मुस्नद अहमद: ४/३६४, सहीहुल जामेअः ६५०५}



मोमिन तथा उस व्यक्ति को शाप (लानत) करना जो इसका मुस्तहिक न हो

बहुत से लोग जो गुस्से की हालत में अपनी जुबानों को कन्ट्रोल नहीं कर पाते हैं, जल्द ही शाप करना शुरू कर देते हैं। पस वह इंसान, चौपाया, जड़ पदार्थ (जमादात), ज़माना तथा समय को शाप करते हैं। बल्कि कभी कभी खुद को, अपने बाल-बच्चों को, शौहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को भी शाप करते हैं। हालाँकि यह एक मुंकर (अन्याय) तथा संगीन विषय है। अबू ज़ैद साबित बिन ज़ह्वाक अन्सारीؓ से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«... وَمَنْ لَعِنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَفَّتَهُ». [رواہ البخاري, انظر فتح الباري: ٤٦٥/١٠].

«--- किसी मोमिन को शाप करना उसके क़त्ल के मानिंद (हत्या सदृश) है।» {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ٩٠/٤٦٥}

और चूँकि शाप ज़्यादातर औरतों की ओर से होती है, इसी लिए नबी ﷺ ने फ़रमाया कि यह उनके जहन्नम में दाखिल होने के अस्वाब (कारणों) में से एक सबब है। इसके अलावा लानत करने वाले कियामत के दिन सिफ़ारिशी नहीं हुँगे। इससे भी ज़्यादा भयानक बात यह है कि जिस पर लानत किया है, अगर

वह इसका मुस्तहिक़ नहीं है तो वह लानत उस पर लौट आएगी। अतः वह अल्लाह की रहमत से दूरी की बद दुआ अपने नफ्स पर ही करने वाला होगा।



नौहा करना (मैयत पर रोना पीटना)

अ़ज़ीम मुनकर (महा निंदित तथा गर्हित) कामों में से बाज़ औरतों का मैयत पर विलाप करना (चीख़-चिल्ला कर रोना), उसकी ख़बियाँ शुमार करना, चेहरा पर तमाचा मारना, कपड़े फाड़ना और बाल मुँडाना या कसना और कटवाना। यह सारी चीज़ें अल्लाह के फैसले से राज़ी न होने तथा मुसीबत पर सब्र न करने की दलील है। ऐसा करने वालों पर नबी ﷺ ने लानत की है। अबू उमामा رضي الله عنه سे मरवी (वर्णित) है:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَعْنَ الْخَامِشَةِ وَجْهَهَا، وَالشَّاقِقَةِ جَبِينَهَا، وَالدَّاعِيَةِ بِالْوَلِيلِ وَالْتُّبُورِ». [رواه

ابن ماجة: ٥٠٥/١، وهو في صحيح الجامع: ٥٠٦٨].

«رَسُولُ اللَّهِ لَعَنَ الْخَامِشَةِ وَجْهَهَا، وَالشَّاقِقَةِ جَبِينَهَا، وَالدَّاعِيَةِ بِالْوَلِيلِ وَالْتُّبُورِ» {इब्नु माज़ा: ٩/٥٠٥، सहीहुल जामेआ़्र: ٥٠٦٨}

और अब्दुल्लाह बिन मसज़ूद رضي الله عنه سे रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَيْسَ مَنَا مِنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ». [رواه البخاري, انظر

الفتح: ١٦٢/٢].

«वह हम में से नहीं है जो रुख़सार (गाल) पीटे, गरेबान फाड़े और जाहिलयत के कलिमात (शब्द) कहे» {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ٣/٩٦٣}

दूसरी हदीस में नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتْبُعْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقْأَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطْرَانٍ وَدُرْعٌ مِنْ

ज़َرَبٍ». [رواه مسلم برقم: ٩٣٤].

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

120

«नौहा करने वाली जब मौत से पहले तौबा न करे, तो कियामत के दिन वह उठाई जायेगी इस हाल में कि उस पर गंधक का कुर्ता और ज़ंग की क़मीस होगी» {मुस्लिम, हडीस नम्बर: ६२४}



चेहरे पर मारना और दाग लगाना

जाविर ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा:

«نَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْصَّرْبِ فِي الْوِجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوِجْهِ». [رواه مسلم: ١٦٧٣/٣]

«रसूलुल्लाह ﷺ ने चेहरे पर मारने तथा दाग लगाने से मना फ़रमाया है» {मुस्लिम: ३/१६७३}

बहुत से बाप अपने बेटों को तथा शिक्षक अपने छात्रों को और मालिक अपने नौकरों को सज़ा देते हुए उनके चेहरों पर हाथों से या दूसरी चीज़ों से मारते हैं। ऐसा करने में जहाँ चेहरे की बेइज़ती (अवमानना) है जिसे अल्लाह ने इज़ज़त बख़्शी है, वहाँ उसके बाज़ अहम हवास के खोने का भी अंदेशा है, जिसके कारण उसे पछतावा का शिकार होना पड़ेगा, और कभी किसास की भी नौबत आ सकती है।

जानवरों के चेहरे पर दाग़ना यानी ऐसा इम्तियाज़ी (पार्थक्यकारी) निशान लगाना कि हर जानवर का मालिक अपने अपने जानवर को पहचान सके, या अगर वह गुम हो जाए तो उसके पास लौटाया जा सके। ऐसा करना हराम है, क्योंकि इसमें जानवर को बद शक्ति करना (जानवर की आकृति बदलना) है तथा उसके अ़ज़ाब (कष्ट) देना है। और अगर कोई यह हुज्जत पेश करे कि यह उसके क़बीले का उर्फ (ख़ानदान का प्रथा) तथा इम्तियाज़ी निशान है, तो चेहरा के अ़लावा दूसरे स्थान में दाग सकता है।



किसी शर्ई उज्ज्र के बिना तीन दिन से ज्यादा किसी मुसलमान से बात न करना (संबंध न रखना)

मुसलमानों के दरमियान संबंध छिन्न (क़तए तअल्लुक) करना शैतान के चक्रांतों में से है। और बहुत से वह लोग जो शैतान का पदांक अनुसरण करते (उसके क़दम बक़दम चलते) हैं, वग़ैर किसी शर्ई कारण -जैसे मादी इख्तिलाफ़ या फुजूल झगड़ा- के अपने मुसलमान भाईयों से सालों साल तक संबंध छिन्न किये रहते हैं। आदमी कभी कभी कसम खा लेता है कि वह उससे बात ही नहीं करेगा। और कभी नज़्र (मिन्नत) मान लेता है कि वह उसके घर में दाखिल नहीं होगा। अगर रास्ते में मुलाकात होती है तो मुँह फेर लेता है, और अगर किसी मजलिस में मुलाकात होती है तो उसको छोड़कर उसके आगे पीछे के सारे लोगों से मुसाफ़िरा करता है। जबकि मुस्लिम समाज के कमज़ोर होने के अस्वाब में से एक उक्त आचरण है। इसी लिए इस सिलसिले में शरीअत का हुक्म दोटूक (अकाट्य) है तथा धमकी सख्त है। अबू हुरैरा رض से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسَلّمَ ने फ़रमाया:

«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ». [رواه أبو داود: ٢١٥/٥، وهو في صحيح الجامع: ٧٦٣٥]

«किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वह तीन दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से क़तए तअल्लुक (संबंध छिन्न) किये रखे। जो शख्स तीन दिन से ज्यादा क़तए तअल्लुक किये रखेगा और उस अर्सा (काल) में मरेगा, तो वह दोज़ख में दाखिल होगा» [अबू दाऊद: ٤/٢٩٤, सहीहुल जामेअ: ٧٦٣٥]

और अबू ख़राश अस्लमी رض से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسَلّمَ ने फ़रमाया:

«مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسْفُكَ دَمِهِ». [رواه البخاري في الأدب المفرد، حديث رقم: ٤٠٦، وهو في صحيح الجامع: ٦٥٥٧]

«जो शख्स अपने भाई को एक साल तक छोड़े रखे, तो गोया उसने उसका ख़ून बहाया» [बुखारी की अलअदबुल मुफ़रद, हदीस नम्बर: ४०६, सहीहुल जामेअ: ६५५७]

मुसलमानों से क़तए तअल्लुक की सज़ा में इतना ही काफ़ी है कि वह अल्लाह की क्षमा से वंचित (मग़फिरत से महरूम) रहेगा। अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

تُعَرِّضُ أَعْمَالَ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرْئَيْنِ، يَوْمَ الْأَشْنَينِ وَيَوْمَ الْحَمِيسِ، فَيُغَفَّرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَهْنَاءً، فَيُقَالُ: اتُرْكُوا أَوْ ارْكُوا (يعني أخرروا) هَذِينَ حَتَّى يَفِيتَا». [رواه مسلم: ١٩٨٨/٤]

«हर हफ्ता दो मरतबा यानी सोमवार और जुमेरात के दिन लोगों के आमाल (कर्म) पेश किए जाते हैं। पस हर मोमिन बंदे को माफ़ कर दिया जाता है सिवाय उस बंदे के जिसके दरमियान और उसके (मुस्लिम) भाई के दरमियान दुश्मनी हो। उनके बारे में कहा जाता है: इन्हें छोड़ दो या इनका मामला विलंब (मुअख़्बर) कर दो यहाँ तक कि वह लौट जाएं यानी आपस में सुलह कर लें।» {मुस्लिम: ٨/٩٦٢}

दोनों विवादियों में से जो तौबा करे उसे चाहिए कि वह अपने साथी के पास जाए और सलाम के साथ उससे मिले। अगर उसने ऐसा किया और उसके साथी ने मुँह फेर लिया तो वह भार मुक्त (बरीउज़ि़म्मा) हो गया, और अब ज़िम्मेदारी इनकारी के कंधे पे आ गई। अबू अय्यूब ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूلुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا يَحُلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ لَيَالٍ، يُلْتَقَيَانِ فَيُعَرِّضُ هَذَا وَيَعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدُأُ بِالسَّلَامِ». [رواه البخاري, فتح الباري: ٤٩٢/١٠]

«किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वह अपने भाई को तीन रात से ज़्यादा छोड़े रखे, दोनों मुलाकात करें तो यह इधर मुँह कर ले और वह उधर मुँह कर ले, और उन दोनों में से बेहतर वह है जो सलाम करने में पहल करे।» {बुखारी, देखें फ़त्हुल बारी: ٩٠/٤٦٢}

लेकिन अगर क़तए तअल्लुक पर (संबंध छिन्न करने का) कोई शर्ई उङ्ग्र हो -जैसे नमाज़ का छोड़ना या कोई बुराई निरंतर करते रहना- तो (ऐसी सूरत में देखना है कि) अगर क़तए तअल्लुक कुसूरवार (दोषी) के लिए फ़ायदेमंद सावित होगा,

और उसे सही रास्ता पर ला खड़ा करेगा, या उसके दिल में ग़लती का इहसास (अनुभूति) डाल देगा, तो क़तए तअल्लुक़ करना वाजिब तथा ज़खरी है। और अगर क़तए तअल्लुक़ का नतीजा यह निकले कि कुसूरवार उपेक्षा पर उपेक्षा (एराज़ पर एराज़) किये जा रहा है, और सरकशी, नफ़रत, दुश्मनी तथा पाप में इज़ाफ़ा (वृद्धि) ही हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क़तए तअल्लुक़ जायज़ नहीं होगा। क्योंकि इससे शरई मसलहत तो पूरी (शरीअत का स्वार्थ तो साधित) होगी ही नहीं, बल्कि उल्टा फ़साद व बिगाड़ में इज़ाफ़ा होगा। अतः उचित यह है कि उसके साथ एहसान करते रहे, उसे नसीहत करते रहे तथा याद दिलाते रहे। {जैसे कि नबी ﷺ ने मसलहत के पेशे नज़र काब बिन मालिक और उनके दोनों साथियों के साथ क़तए तअल्लुक़ किया था। जबकि आपने अब्दुल्लाह बिन उबै बिन سलूल और मुनाफ़िकों से क़तए तअल्लुक़ नहीं किया था, क्योंकि उनसे क़तए तअल्लुक़ न करने ही में उनके लिए ज्यादा भलाई थी। (तअलीक़ इन्जु बाज़ रहेमहुल्लाह)}



परिसमाप्ति (खातिमा)

यह हैं वह बाज़ मुंतशिर (प्रचलित) हराम विषय जिनका जमा करना (अल्लाह की तौफ़ीक) से संभव हुआ। हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला से उसके अस्माए हुसूना के माध्यम (बेहतरीन नामों के वसीले) से सवाल करते हैं कि वह हमें अपने डर से हिस्सा अ़ता फ़रमाए, जो हमारे और उसकी नाफ़रमानी के बीच रुकावट बने, और अपनी फ़रमाबद्दारी से इस क़दर कि जिसके साथ वह हमें अपनी जन्नत तक पहुँचा दे। और हमारे गुनाहों को बर्खा दे तथा हमसे हमारे कामों में जो अकारण ज्यादती हुई है उसे भी माफ़ फ़रमा दे। और अपने हलाल के ज़रीया हराम से तथा अपने फ़ज्ल व करम के ज़रीया दूसरों से बेनियाज़ कर दे। और हमारी तौबा क़बूल फ़रमाए तथा हमारे गुनाहों को धो दे, बेशक वही सुनने वाला और क़बूल करने वाला है। दुरुद और सलाम नाज़िल हो उम्मी (अनपढ़) नबी मुहम्मद पर और उनके परिवार-परिजन (आल व औलाद) तथा तमाम साथियों (सहाबए किराम) पर। सब तारीफ़ अल्लाह तआला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है।

समाप्त





IslamHouse.com

 [Hindi.IslamHouse](#)  [@IslamHouseHi](#)  [IslamHouseHi](#)  <https://islamhouse.com/hi/>
 [IslamHouseHi](#)

For more details visit
www.GuideToIslam.com



contact us :Books@guidetoislam.com

 [Guidetolslam.org](#)  [Guidetoislam1](#)  [Guidetoislam](#)  www.Guidetoislam.com



المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: +٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠ - فاكس: +٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦ ص.ب: ٢٩٤٩٥ الرّيـاض ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम

इस किताब में है: ♦ कुरआन और हडीस की रोशनी में चंद हराम चीज़ों का व्यापक जिन्हें करते हुए बहुत सारे लोग गुरेज़ नहीं करते हैं, जैसे: अल्लाह के शिर्क करना, क़ब्रों की इबादत करना, सूद, रिश्वत और ज़िना वगैरा।



IslamHouse.com



OsoulCenter
www.osoulcenter.com

